



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

विनियोग लेखे 2023-24



मध्यप्रदेश सरकार

विनियोग लेखे

2023-2024

मध्यप्रदेश सरकार

विषय-सूची

	पृष्ठ
विषय सूची	i-iii
प्रस्तावना	iv-v
विनियोग लेखे का सार	vi-xvii
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	xviii-xix
अनुदान/विनियोग संख्या एवं नाम	
भारित विनियोग-लोक ऋण	1-3
भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	4-9
01. सामान्य प्रशासन	10-17
02. विमानन	18-20
03. गृह	21-29
04. पर्यावरण	30-31
05. जेल	32-34
06. वित्त	35-42
07. वाणिज्यिक कर	43-48
08. भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	49-55
09. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	56-57
10. वन	58-63
11. औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	64-65
12. ऊर्जा	66-71
13. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	72-80
14. पशुपालन एवं डेयरी	81-90
15. घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	91-93
16. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	94-96
17. सहकारिता	97-101
18. श्रम	102-104
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	105-109
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	110-118
21. लोक सेवा प्रबंधन	119-120
22. नगरीय विकास एवं आवास	121-125

	पृष्ठ
23. जल संसाधन	126-133
24. लोक निर्माण कार्य	134-141
25. खनिज साधन	142-144
26. संस्कृति	145-148
27. स्कूल शिक्षा	149-159
28. राज्य विधान मंडल	160-161
29. विधि और विधायी कार्य	162-168
30. ग्रामीण विकास	169-179
31. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	180-182
32. जनसंपर्क	183-184
33. जनजातीय कार्य	185-194
34. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	195-196
35. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	197-200
36. परिवहन	201-203
37. पर्यटन	204-206
38. आयुष	207-210
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	211-216
40. पंचायत	217-221
41. प्रवासी भारतीय	222
42. भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	223-224
43. खेल और युवा कल्याण	225-230
44. उच्च शिक्षा	231-238
45. लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	239-240
46. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	241-244
47. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	245-253
48. नर्मदा घाटी विकास	254-261
49. अनुसूचित जाति कल्याण	262-267
50. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	268-271
51. धार्मिक न्यास और धर्मस्व	272-273
52. चिकित्सा शिक्षा	274-280
53. अल्प संख्यक कल्याण	281-283

	पृष्ठ
54. पिछड़ा वर्ग कल्याण	284-286
55. महिला एवं बाल विकास	287-293
56. कुटीर एवं ग्रामोद्योग	294-297
57. आनंद	298

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I	आकस्मिकता निधि के अग्रिम से प्राप्त व्यय का अनुदानवार ब्यौरा, जिसकी वर्ष की समाप्ति से पूर्व निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गई	300
परिशिष्ट-II	अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां	301-303

प्रस्तावना

वर्ष 2023-24 के लिये मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखों में :-

- “मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
“पूरक” पूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
“पुनर्वि.” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।

प्रभारित विनियोग और व्यय को *तिरछे* अंकों में दर्शाया गया है।

टिप्पणी :

“अनुच्छेद 204 और 205 के तहत पारित विनियोग अधिनियम” – “और भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत पारित निरंक आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम” शब्दों के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा।

1. जब आकस्मिकता निधि अधिनियम में संशोधन अधिनियम द्वारा, समेकित निधि से धनराशि के विनियोग द्वारा आकस्मिक निधि के कोष को बढ़ाया गया है और राशि को वर्ष के दौरान किसी भी विनियोग अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है।

2. जब वृद्धि एक अध्यादेश द्वारा होती है जो 31 मार्च तक अस्तित्व में थी और एक अधिनियम नहीं बनी है।

3. जब वृद्धि किसी ऐसे अध्यादेश द्वारा की गई हो जो समाप्त हो गया हो और जिसे वर्ष के अंत से पहले किसी अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया हो।

मध्यप्रदेश लोक लेखा समिति द्वारा दिनांक 14.09.2004 को अनुमोदित निम्नलिखित पुनरीक्षित मापदण्ड विनियोग लेखे पर टिप्पणियों हेतु मान्य किये गए हैं।

बचत के प्रकरणों में टिप्पणी दी जावे यदि:

1. किसी अनुदान में कुल प्रावधान पांच प्रतिशत या इससे अधिक बचत हो।
2. किसी उप शीर्ष में कुल प्रावधान का दस प्रतिशत या अधिक की कुल बचत उप शीर्ष में होने पर टिप्पणी दी जावे यदि बचत की राशि:-
 - क. बचत की राशि ₹ 40 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹ 30 करोड़ से अधिक हो।
 - ख. बचत की राशि ₹ 20 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के मध्य हो।
 - ग. बचत की राशि ₹ 10 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से कम हो।
3. अनुदान में भारित व्यय के अंतर्गत कुल बचत ₹ 10 लाख से कम नहीं हो।

आधिक्य व्यय के प्रकरणों में विनियोग लेखे पर टिप्पणी दी जावे यदि:—

1. उन सभी प्रकरणों में जहाँ किसी अनुदान या विनियोग में समग्र आधिक्य हो।
2. किसी उप शीर्ष के कुल प्रावधान में उप शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य ₹ 10 लाख और दस प्रतिशत से अधिक हो।
3. ऐसे सभी प्रकरणों में जहाँ किसी उप शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य उस उप शीर्ष के कुल प्रावधान के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है टिप्पणी दी जावे यदि:-
 - क. एक उप शीर्ष के अंतर्गत जहाँ कुल प्रावधान ₹ 30 करोड़ से अधिक है और आधिक्य ₹ 40 लाख से अधिक है।
 - ख. एक उप शीर्ष के अंतर्गत जहाँ कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के मध्य है और आधिक्य ₹ 20 लाख से अधिक है।
 - ग. एक उप शीर्ष के अंतर्गत जहाँ कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से कम है और आधिक्य ₹ 10 लाख से अधिक है।

विनियोग लेखे का सार

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत (हजार ₹ में)	आधिक्य
भारित विनियोग- लोक ऋण पूंजीगत- <i>प्रभारित</i>	2,45,50,99,74	2,16,35,72,65	29,15,27,09	
भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा राजस्व- <i>प्रभारित</i>	2,45,81,80,60	2,30,98,41,15	14,83,39,45	
01 सामान्य प्रशासन राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i>	8,98,23,85 1,03,32,11	7,06,92,07 77,19,73	1,91,31,78 26,12,38	
पूंजीगत- दत्तमत	58,14,03	25,78,81	32,35,22	
02 विमानन राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i>	1,00,95,97 1	87,96,87 0	12,99,10 1	
पूंजीगत- दत्तमत <i>प्रभारित</i>	1,91,00,01 40,00,00	1,23,99 21,71,77	1,89,76,02 18,28,23	
03 गृह राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i>	95,93,83,53 1,53,50	83,06,50,00 1,51,85	12,87,33,53 1,65	
पूंजीगत- दत्तमत	6,98,70,16	6,11,75,86	86,94,30	
04 पर्यावरण राजस्व- दत्तमत	35,20,91	17,74,66	17,46,25	
05 जेल राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i>	5,55,69,46 5,00	5,00,04,07 0	55,65,39 5,00	
पूंजीगत- दत्तमत	87,50,05	42,45,38	45,04,67	
06 वित्त राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i>	2,48,59,17,34 11,07,96,95	2,22,21,85,73 21,51,80	26,37,31,61 10,86,45,15	
पूंजीगत- दत्तमत <i>प्रभारित</i>	4,80,70,10 2,00,00	79,35,45 0	4,01,34,65 2,00,00	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)					
07	वाणिज्यिक कर राजस्व-				
	दत्तमत	24,61,96,86	22,63,46,33	1,98,50,53	
	प्रभारित	12,00	0	12,00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	35,00,01	5,03,34	29,96,67	
08	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय राजस्व-				
	दत्तमत	89,74,68,91	58,77,40,33	30,97,28,58	
	प्रभारित	3,70,75	90,18	2,80,57	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	3,06,17,80	2,60,29,41	45,88,39	
09	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा राजस्व-				
	दत्तमत	59,05,53	8,17,78	50,87,75	
	प्रभारित	50	0	50	
10	वन राजस्व-				
	दत्तमत	24,21,92,20	19,56,79,77	4,65,12,43	
	प्रभारित	1,95,01	1,26,20	68,81	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	16,18,23,61	15,87,85,80	30,37,81	
11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राजस्व-				
	दत्तमत	10,47,07,53	10,30,13,73	16,93,80	
	प्रभारित	25	0	25	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	9,55,00,04	9,54,41,00	59,04	
12	ऊर्जा राजस्व-				
	दत्तमत	1,38,44,08,76	1,36,57,42,17	1,86,66,59	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	2,17,13,44,09	12,30,97,56	2,04,82,46,53	
13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास राजस्व-				
	दत्तमत	2,47,27,50,53	2,13,79,16,45	33,48,34,08	
	प्रभारित	45,00	1,54	43,46	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	15,00,01	0	15,00,01	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत (हजार ₹ में)	आधिक्य
14 पशुपालन एवं डेयरी राजस्व-				
दत्तमत	15,64,32,52	11,16,59,76	4,47,72,76	
प्रभारित	13,88	1,45	12,43	
पूँजीगत-				
दत्तमत	18,83,32	5,83,13	13,00,19	
15 घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग				
राजस्व-				
दत्तमत	33,59,00	19,26,58	14,32,42	
प्रभारित	1,00	0	1,00	
पूँजीगत-				
दत्तमत	9,16,07	6,08,60	3,07,47	
16 मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास				
राजस्व-				
दत्तमत	2,25,34,12	1,21,37,01	1,03,97,11	
प्रभारित	10,00	9,06	94	
पूँजीगत-				
दत्तमत	1	0	1	
17 सहकारिता				
राजस्व-				
दत्तमत	8,83,85,25	7,65,59,79	1,18,25,46	
प्रभारित	12,00	0	12,00	
पूँजीगत-				
दत्तमत	20,00,50,04	15,00,05,00	5,00,45,04	
18 श्रम				
राजस्व-				
दत्तमत	12,60,44,03	9,53,44,40	3,06,99,63	
प्रभारित	17,00	0	17,00	
पूँजीगत-				
दत्तमत	50,00	3	49,97	
19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	1,22,61,81,54	1,08,03,68,21	14,58,13,33	
प्रभारित	50	0	50	
पूँजीगत-				
दत्तमत	11,41,18,75	10,88,62,67	52,56,08	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत (हजार ₹ में)	आधिक्य
20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राजस्व-				
दत्तमत	10,75,54,01	8,73,74,19	2,01,79,82	
प्रभारित	2,25,00	1,14,28	1,10,72	
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,17,70,61,67	1,05,31,22,43	12,39,39,24	
21 लोक सेवा प्रबंधन राजस्व-				
दत्तमत	1,17,53,00	1,01,74,18	15,78,82	
प्रभारित	20	0	20	
पूँजीगत-				
दत्तमत	25,00	0	25,00	
22 नगरीय विकास एवं आवास राजस्व-				
दत्तमत	1,10,20,24,45	90,89,41,21	19,30,83,24	
प्रभारित	11,67,02,10	11,65,83,14	1,18,96	
पूँजीगत-				
दत्तमत	34,45,30,22	33,47,97,20	97,33,02	
प्रभारित	2,85,00,01	45,00,00	2,40,00,01	
23 जल संसाधन राजस्व-				
दत्तमत	15,81,92,17	12,09,83,79	3,72,08,38	
पूँजीगत-				
दत्तमत	68,40,47,97	66,24,11,58	2,16,36,39	
प्रभारित	20,10,00	10,23,90	9,86,10	
24 लोक निर्माण कार्य राजस्व-				
दत्तमत	25,93,59,16	22,29,49,85	3,64,09,31	
प्रभारित	10,00,11	1,97,81	8,02,30	
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,14,67,34,50	1,09,33,53,98	5,33,80,52	
प्रभारित	4,45,00,06	4,22,54,02	22,46,04	
25 खनिज साधन राजस्व-				
दत्तमत	3,08,87,76	2,91,94,77	16,92,99	
प्रभारित	8,50,05,00	8,42,91,45	7,13,55	
पूँजीगत-				
दत्तमत	8,60,80,00	8,60,00,00	80,00	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत (हजार ₹ में)	आधिक्य
26 संस्कृति				
राजस्व-				
दत्तमत	3,47,09,70	2,60,07,95	87,01,75	
प्रभारित	80	0	80	
पूंजीगत-				
दत्तमत	3,72,24,26	1,71,78,20	2,00,46,06	
27 स्कूल शिक्षा				
राजस्व-				
दत्तमत	2,89,53,07,40	2,68,59,84,33	20,93,23,07	
प्रभारित	40,00	0	40,00	
पूंजीगत-				
दत्तमत	30,29,58,08	26,06,18,67	4,23,39,41	
28 राज्य विधान मंडल				
राजस्व-				
दत्तमत	1,08,94,38	91,01,79	17,92,59	
प्रभारित	72,74	37,25	35,49	
29 विधि और विधायी कार्य				
राजस्व-				
दत्तमत	26,19,87,79	21,54,69,26	4,65,18,53	
प्रभारित	2,63,68,10	2,14,99,52	48,68,58	
पूंजीगत-				
दत्तमत	1,69,50,01	1,55,97,91	13,52,10	
30 ग्रामीण विकास				
राजस्व-				
दत्तमत	1,55,35,23,69	95,35,08,88	60,00,14,81	
प्रभारित	6,81	0	6,81	
पूंजीगत-				
दत्तमत	25,28,00,00	17,64,93,22	7,63,06,78	
31 योजना, आर्थिक और सांख्यिकी				
राजस्व-				
दत्तमत	3,54,00,73	3,15,48,15	38,52,58	
प्रभारित	2,00	0	2,00	
पूंजीगत-				
दत्तमत	6,08,32,05	5,89,95,00	18,37,05	
32 जनसंपर्क				
राजस्व-				
दत्तमत	10,78,29,05	10,49,49,79	28,79,26	
प्रभारित	1,00	0	1,00	
पूंजीगत-				
दत्तमत	3,00,00	78,52	2,21,48	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत (हजार ₹ में)	आधिक्य
33	जनजातीय कार्य राजस्व-				
	दत्तमत	1,00,34,17,21	82,56,56,73	17,77,60,48	
	प्रभारित	9,00	2,10	6,90	
	पूजीगत-				
	दत्तमत	17,50,33,78	14,76,22,95	2,74,10,83	
34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण राजस्व-				
	दत्तमत	46,42,00,15	45,31,33,01	1,10,67,14	
	प्रभारित	1,20	0	1,20	
	पूजीगत-				
	दत्तमत	1,00,00,00	0	1,00,00,00	
35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राजस्व-				
	दत्तमत	7,27,18,87	6,20,87,10	1,06,31,77	
	प्रभारित	6	1	5	
	पूजीगत-				
	दत्तमत	1,52,20,05	1,37,20,00	15,00,05	
36	परिवहन राजस्व-				
	दत्तमत	1,49,82,36	84,74,19	65,08,17	
	प्रभारित	25,00	8,02	16,98	
	पूजीगत-				
	दत्तमत	10,00,01	2,78,19	7,21,82	
37	पर्यटन राजस्व-				
	दत्तमत	1,18,34,84	74,40,12	43,94,72	
	प्रभारित	1	0	1	
	पूजीगत-				
	दत्तमत	1,52,00,00	1,44,49,29	7,50,71	
38	आयुष राजस्व-				
	दत्तमत	7,26,94,28	6,24,42,24	1,02,52,04	
	प्रभारित	8,00	18	7,82	
	पूजीगत-				
	दत्तमत	23,59,20	18,11,95	5,47,25	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत (हजार ₹ में)	आधिक्य
39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण राजस्व-				
दत्तमत	16,58,89,13	14,39,95,51	2,18,93,62	
<i>प्रभारित</i>	1,85	0	1,85	
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,02,10,64	59,85,07	42,25,57	
40 पंचायत राजस्व-				
दत्तमत	95,77,06,13	73,95,87,98	21,81,18,15	
<i>प्रभारित</i>	50	0	50	
पूँजीगत-				
दत्तमत	1	0	1	
41 प्रवासी भारतीय राजस्व-				
दत्तमत	20,86,33	20,01,00	85,33	
42 भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास राजस्व-				
दत्तमत	1,43,20,50	1,29,04,97	14,15,53	
<i>प्रभारित</i>	5,01	0	5,01	
पूँजीगत-				
दत्तमत	10,05,04	1,89,44	8,15,60	
43 खेल और युवा कल्याण राजस्व-				
दत्तमत	2,16,91,85	1,82,39,15	34,52,70	
<i>प्रभारित</i>	53	0	53	
पूँजीगत-				
दत्तमत	5,41,20,93	2,91,20,20	2,50,00,73	
44 उच्च शिक्षा राजस्व-				
दत्तमत	30,56,94,88	22,65,87,12	7,91,07,76	
<i>प्रभारित</i>	35,00	0	35,00	
पूँजीगत-				
दत्तमत	6,87,93,23	4,59,40,38	2,28,52,85	
45 लोक परिसंपत्ति प्रबंधन राजस्व-				
दत्तमत	55,76,13	8,07,69	47,68,44	
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,10,00,00	85,96,47	24,03,53	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत (हजार ₹ में)	आधिक्य
46 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राजस्व-				
दत्तमत	1,86,52,25	1,59,68,88	26,83,37	
प्रभारित	5,00	0	5,00	
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,62,52,06	73,56,76	88,95,30	
47 तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार राजस्व-				
दत्तमत	22,62,18,44	13,18,96,10	9,43,22,34	
प्रभारित	10,00	21	9,79	
पूँजीगत-				
दत्तमत	7,37,62,77	5,07,13,24	2,30,49,53	
48 नर्मदा घाटी विकास राजस्व-				
दत्तमत	2,97,40,95	2,87,74,59	9,66,36	
पूँजीगत-				
दत्तमत	84,32,92,26	81,97,29,50	2,35,62,76	
प्रभारित	1,50,01	1,23,42	26,59	
49 अनुसूचित जाति कल्याण राजस्व-				
दत्तमत	19,34,16,84	11,00,35,07	8,33,81,77	
प्रभारित	10,00	2,15	7,85	
पूँजीगत-				
दत्तमत	2,36,00,11	1,22,77,35	1,13,22,76	
50 उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण राजस्व-				
दत्तमत	4,92,12,40	3,13,29,70	1,78,82,70	
प्रभारित	1,00	0	1,00	
पूँजीगत-				
दत्तमत	5,00,05	4,00,00	1,00,05	
51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व राजस्व-				
दत्तमत	1,12,43,68	77,52,51	34,91,17	
प्रभारित	1,50	0	1,50	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत (हजार ₹ में)	आधिक्य
52 चिकित्सा शिक्षा				
राजस्व-				
दत्तमत	22,67,67,66	20,77,31,24	1,90,36,42	
प्रभारित	10,01	0	10,01	
पूँजीगत-				
दत्तमत	15,96,14,32	13,97,34,71	1,98,79,61	
53 अल्प संख्यक कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	14,56,30	9,68,84	4,87,46	
प्रभारित	10	0	10	
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,40,00,00	84,03	1,39,15,97	
54 पिछड़ा वर्ग कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	15,34,07,74	11,87,87,49	3,46,20,25	
प्रभारित	1,00	0	1,00	
पूँजीगत-				
दत्तमत	5	0	5	
55 महिला एवं बाल विकास				
राजस्व-				
दत्तमत	2,09,48,85,06	2,02,99,37,52	6,49,47,54	
प्रभारित	10,00	10,00	0	
पूँजीगत-				
दत्तमत	3,71,80,00	1,39,36,40	2,32,43,60	
56 कुटीर एवं ग्रामोद्योग				
राजस्व-				
दत्तमत	1,32,71,58	86,26,15	46,45,43	
प्रभारित	1,00	0	1,00	
पूँजीगत-				
दत्तमत	25,00	8,98	16,02	
57 आनंद				
राजस्व-				
दत्तमत	7,00,02	4,87,00	2,13,02	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत (हजार ₹ में)	आधिक्य
योग	37,20,08,73,56	30,40,82,58,15	6,79,26,15,41	
राजस्व—				
दत्तमत	23,28,20,86,71	19,84,11,95,71	3,44,08,91,00	
प्रभारित	2,80,97,05,69	2,54,28,39,08	26,68,66,61	
पूंजीगत—				
दत्तमत	8,57,46,21,34	5,81,05,77,62	2,76,40,43,72	
प्रभारित	2,53,44,59,82	2,21,36,45,74	32,08,14,08	
आकस्मिकता निधि द्वारा विनियोग	0	0	0	
गलत वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण के कारण, आधिक्य जिसे नियमितीकरण की आवश्यकता न हो	0	0	0	
महायोग				
राजस्व—	26,09,17,92,40	22,38,40,34,79	3,70,77,57,61	
पूंजीगत—	11,10,90,81,17	8,02,42,23,36	3,08,48,57,81	

निम्नलिखित अनुदानों पर आधिक्यों को नियमितीकरण की आवश्यकता है:—

राजस्व — निरंक

पूंजीगत — निरंक

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग पर आधिक्यों को नियमितीकरण की आवश्यकता है:—

राजस्व — निरंक

पूंजीगत — निरंक

विनियोग लेखे का सार—जारी

विनियोग लेखे के सारांश में दर्शित व्यय में आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में प्राप्त की गई ₹ 15,00,00,000 की राशि शामिल नहीं है जिसकी वर्ष के समापन से पूर्व निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी। इसका विवरण **परिशिष्ट-I** में दिया गया है।

चूँकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशि के लिए हैं जिनका व्यय करना अपेक्षित है, उनके प्रति दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2023—24 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दिया गया है:—

	राजस्व		पूँजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
	(हजार ₹ में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	19,84,11,95,71	2,54,28,39,08	5,81,05,77,62	2,21,36,45,74
घटाइये-वसूलियों का जोड़	23,02,08,66	0	12,58,63,26	0
वित्त लेखे की विवरण संख्या-11 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	19,61,09,87,05	2,54,28,39,08	5,68,47,14,36	2,21,36,45,74

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण **परिशिष्ट-II** में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

प्रावधान में दस प्रतिशत से अधिक बचत निम्नलिखित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अंतर्गत हुई:-

[क] दत्तमत अनुदान

- | | |
|----------------------------|--|
| (i) राजस्व-अनुदान संख्या | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57 |
| (ii) पूंजीगत-अनुदान संख्या | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56 |

[ख] प्रभारित विनियोग

- | | |
|----------------------------|--|
| (i) राजस्व-अनुदान संख्या | 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56 |
| (ii) पूंजीगत-अनुदान संख्या | 02, 06, 22, 23, 48, CH1 |

विनियोग लेखे के सार में दर्शित व्यय में 31 मार्च 2024 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में, कोई भी राशि जमा नहीं की गई, जो कि निरंक हैं।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम द्वारा प्रदाय किए गए ई-डाटा के द्वारा, संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा 98.12 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां, 94.36 प्रतिशत राजस्व व्यय, 96.76 प्रतिशत पूंजीगत व्यय तथा 86.81 प्रतिशत ऋण एवं अग्रिमों का मिलान किया गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खातों के लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही मध्यप्रदेश सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे मध्यप्रदेश सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए मध्यप्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत मध्यप्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्त) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और मध्यप्रदेश सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय) और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक : 14 नवम्बर 2024

स्थान : नई दिल्ली

भारित विनियोग—लोक ऋण
(सभी प्रभारित)

(मुख्य शीर्ष—6003—राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, 6004—केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम)

पूँजीगत :

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,45,50,99,74			
पूरक	सांकेतिक	2,45,50,99,74	2,16,35,72,65	(-) 29,15,27,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				5,14,94

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत :

- (1) ₹ 2,91,527.09 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 514.94 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6003-101.0716- विविध ऋण भुगतान	मूल	10,000.00	10,000.00	0.00	(-) 10,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
6003-101.7245- 8.92 प्रतिशत मध्यप्रदेश गवर्नमेंट स्टॉक 2022	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
6003-101.7328- 8.60 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2023	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

भारित विनियोग-लोक ऋण जारी

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
6003-101.9927-4.94 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2023	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
6003-103.8140-भारतीय जीवन बीमा निगम से उधार	मूल	852.69	852.69	22.01	(-) 830.68	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
6003-104.3093-भारतीय सामान्य बीमा निगम से कर्ज	मूल	90.04	90.04	36.22	(-) 53.82	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
6003-106.9497-7.68 प्रतिशत मध्य प्रदेश उदय बाण्ड, 2023	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
6003-109.1216-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से कर्ज	मूल	3,734.00	3,734.00	305.64	(-) 3,428.36	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
6003-110.0637-उपाय तथा साधन अग्रिम	मूल पुनर्वि.	2,00,000.00 (-) 35,608.00	1,64,392.00	0.00	(-) 1,64,392.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 35,608.00 लाख की प्रत्याशित बचत उपाय तथा साधन अग्रिम की मांग की कमी के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
6003-110.0779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	मूल	2,00,000.00	2,00,000.00	0.00	(-) 2,00,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

भारित विनियोग-लोक ऋण समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6004-02.105.6983-12वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार समेकित ऋण	मूल	47,000.00	47,000.00	36,305.97	(-) 10,694.03	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6003-111.6835-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	मूल	4,20,000.00	4,50,000.00	4,75,391.14	+ 25,391.14	पुनर्विनियोजन द्वारा निधि में ₹ 30,000.00 लाख का आवर्धन मांग आधारित ऋण पुनर्भुगतान के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
	पुनर्वि.	30,000.00				
6004-02.101.9086-बाह्य पोषित परियोजनाओं हेतु बेक टू बेक ऋण	मूल	1,25,000.00	1,25,000.00	1,98,011.42	+ 73,011.42	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
(सभी प्रभारित)

(मुख्य शीर्ष- 2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन, 2049-ब्याज अदायगियां)

राजस्व :

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,26,19,90,58			
पूरक	19,61,90,02	2,45,81,80,60	2,30,98,41,15	(-) 14,83,39,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,66,64

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

- (1) ₹ 1,48,339.45 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2023 (₹ 76,190.01 लाख) तथा फरवरी 2024 (₹ 1,20,000.01 लाख) में प्राप्त ₹ 1,96,190.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,48,339.45 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 166.64 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2049-01.101.1088- 7.88 प्रतिशत मध्यप्रदेश गवर्नमेंट स्टॉक 2033	मूल 23,640.00	23,640.00	11,820.00	(-) 11,820.00	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2049-01.101.1172- 7.67 प्रतिशत मध्यप्रदेश गवर्नमेंट स्टॉक 2033	पूरक 15,340.00	15,340.00	7,670.00	(-) 7,670.00	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2049-01.101.1173- 7.72 प्रतिशत मध्यप्रदेश गवर्नमेंट स्टॉक 2038	पूरक 15,440.00	15,440.00	7,720.00	(-) 7,720.00	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.1174-7.64 प्रतिशत मध्यप्रदेश गवर्नमेंट स्टॉक 2033	पूरक	22,920.00	22,920.00	11,460.00	(-) 11,460.00	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2049-01.101.1184-7.36 प्रतिशत मध्यप्रदेश गवर्नमेंट स्टॉक 2033	पूरक	14,720.00	14,720.00	12,010.00	(-) 2,710.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2049-01.101.1185-7.40 प्रतिशत मध्यप्रदेश गवर्नमेंट स्टॉक 2034	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 29,600.00	29,600.00	18,824.63	(-) 10,775.37	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 29,600.00 लाख का निधि में आवर्धन ब्याज भुगतान पर व्यय की मांग के प्रावधान के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2049-01.101.1365-7.46 प्रतिशत मध्यप्रदेश गवर्नमेंट स्टॉक 2039	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 11,190.00	11,190.00	0.00	(-) 11,190.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,190.00 लाख का निधि में आवर्धन ब्याज भुगतान पर व्यय की मांग के प्रावधान के कारण हुआ। सम्पूर्ण अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2049-01.101.1367-7.46 प्रतिशत मध्यप्रदेश गवर्नमेंट स्टॉक 2038	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 14,920.00	14,920.00	0.00	(-) 14,920.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,920.00 लाख का निधि में आवर्धन ब्याज भुगतान पर व्यय की मांग के प्रावधान के कारण हुआ। सम्पूर्ण अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2049-01.101.1368-7.44 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2035	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 3,720.00	3,720.00	0.00	(-) 3,720.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,720.00 लाख का निधि में आवर्धन ब्याज भुगतान पर व्यय की मांग के कारण हुआ। सम्पूर्ण अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2049-01.101.1371-7.48 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2029	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 14,960.00	14,960.00	0.00	(-) 14,960.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,960.00 लाख का निधि में आवर्धन ब्याज भुगतान पर व्यय की मांग के प्रावधान के कारण हुआ। सम्पूर्ण अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.1372-7.45 प्रतिशत म.प्र. राज्य गवर्नमेंट स्टॉक 2044	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 14,900.00	14,900.00	0.00	(-) 14,900.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,900.00 लाख का निधि में आवर्धन ब्याज भुगतान पर व्यय की मांग के प्रावधान के कारण हुआ। सम्पूर्ण अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2049-01.101.1374-7.46 प्रतिशत म.प्र. राज्य गवर्नमेंट स्टॉक 2038	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 7,460.00	7,460.00	0.00	(-) 7,460.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,460.00 लाख का निधि में आवर्धन ब्याज भुगतान पर व्यय की मांग के प्रावधान के कारण हुआ। सम्पूर्ण अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2049-01.101.6763-नया बाजार ऋण	मूल पुनर्वि.	2,70,000.00 (-) 2,62,870.04	7,129.96	7,129.96	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,62,870.04 लाख का निधि में आवर्धन नए बाजार ऋणों से सम्बंधित बांडो के लिए एक अलग अनुपूरक में एक नई योजना खोलने के कारण हुआ।
2049-01.101.9629-7.09 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2030	मूल	7,090.00	7,090.00	3,915.37	(-) 3,174.63	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2049-01.101.9823-6.49 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2024	मूल	4,867.50	4,867.50	2,433.75	(-) 2,433.75	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2049-01.101.9824-7.35 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2029	मूल	5,512.50	5,512.50	2,756.25	(-) 2,756.25	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2049-01.200.1217-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम मर्यादित से लिए गए ऋणों पर ब्याज	मूल	2,085.00	2,085.00	921.46	(-) 1,163.54	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2049-01.200.3087- भारतीय जीवन बीमा निगम से लिए गए ऋणों पर ब्याज	मूल	50.00	50.00	4.29	(-) 45.71	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.200.6343- विशेष जमा खाते पर ब्याज	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.200.6973- स्थानीय निधि निक्षेप खातों पर ब्याज	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-) 1,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2049-01.200.7824- प्रतिकारात्मक वन रोपड़ निधि पर ब्याज भुगतान	मूल	55,000.00	55,000.00	26,379.00	(-) 28,621.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.305.2205- नये ऋणों के प्रचालन संबंधी व्यय	मूल	2,000.00	2,000.00	605.93	(-) 1,394.07	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.305.2624- पुराने ऋणों का प्रबंध	मूल	10,000.00	10,000.00	4,914.85	(-) 5,085.15	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2049-03.104.0095- अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज	मूल	960.58	960.58	1,097.81	+ 137.23	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2049-03.104.4033- विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज	मूल	9,000.01	9,000.01	2,627.20	(-) 6,372.81	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2049-60.701.0716- विविध ऋण भुगतान	मूल	30,000.00	30,000.00	0.00	(-) 30,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-60.701.6587- अन्य दायित्वों पर ब्याज	मूल	8,000.00	8,000.00	1.12	(-) 7,998.88	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.1176- 7.62 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य गवर्नमेंट स्टॉक, 2034	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 22,860.00	22,860.00	12,450.00	(-) 10,410.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,860.00 लाख का निधि में आवर्धन ब्याज भुगतान पर व्यय की मांग के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2049-01.101.1177- 7.59 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य गवर्नमेंट स्टॉक, 2038	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 22,770.00	22,770.00	22,770.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,770.00 लाख का निधि में आवर्धन ब्याज भुगतान पर व्यय की मांग के कारण हुआ।
2049-01.101.1178- 7.69 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य गवर्नमेंट स्टॉक, 2043	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 23,070.00	23,070.00	23,070.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23,070.00 लाख का निधि में आवर्धन ब्याज भुगतान पर व्यय की मांग के कारण हुआ।
2049-01.101.1180- 7.66 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य गवर्नमेंट स्टॉक, 2048	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 15,320.00	15,320.00	15,320.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,320.00 लाख का निधि में आवर्धन ब्याज भुगतान पर व्यय की मांग के कारण हुआ।
2049-01.101.1181- 7.38 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य गवर्नमेंट स्टॉक, 2025	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 15,926.04	15,926.04	15,926.04	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,926.04 लाख का निधि में आवर्धन ब्याज भुगतान पर व्यय की मांग के कारण हुआ।
2049-01.101.1182- 7.74 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य गवर्नमेंट स्टॉक, 2043	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 30,960.00	30,960.00	30,960.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30,960.00 लाख का निधि में आवर्धन ब्याज भुगतान पर व्यय की मांग के कारण हुआ।

भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.2029-8.27 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	मूल	12,405.00	12,405.00	87,930.04	+ 75,525.04	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2049-01.101.7421-9.68 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2023	मूल पुनर्वि.	1.00 7,259.00	7,260.00	7,260.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,259.00 लाख का निधि में आवर्धन ब्याज भुगतान पर व्यय की मांग के कारण हुआ।
2049-01.101.9314-8.05 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2028	मूल	16,100.00	16,100.00	23,300.00	+ 7,200.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2049-01.123.5042-भारत सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को रा. अ.ब. निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज	मूल	2,85,000.00	2,85,000.00	3,04,459.00	+ 19,459.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2049-01.200.0845-उदय बान्ड्स का ब्याज भुगतान	मूल	52,463.00	52,463.00	52,872.04	+ 409.04	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2049-04.101.3707-राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज	मूल पूरक	60,000.00 1,20,000.00	1,80,000.00	2,11,928.53	+ 31,928.53	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

(मुख्य शीर्ष- 2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 2013-मंत्री परिषद्, 2015-निर्वाचन, 2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2055-पुलिस, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2062-सतर्कता, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216-आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8,71,02,15			
पूरक	27,21,70	8,98,23,85	7,06,92,07	(-) 1,91,31,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (11, 28, 30 तथा 31 मार्च 2024)				1,70,72,98

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में दर्शाये गये व्यय (₹ 7,06,92,07,013) में वित्तीय वर्ष 2022-23 में आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि ₹ 19,40,09,664 का व्यय भी सम्मिलित है। आकस्मिकता निधि से बिना स्वीकृति के राशि ₹ 19,40,09,664 की समान राशि का अत्यधिक व्यय हुआ, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष 2022-23 हेतु लंबित थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रतिपूर्ति हेतु लंबित राशि (₹ 19,40,09,664) की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 में कर ली गई है।

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,03,11,11			
पूरक	21,00	1,03,32,11	77,19,73	(-) 26,12,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (11 तथा 31 मार्च 2024)				13,01,73

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

पूँजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	49,54,83	58,14,03	25,78,81	(-) 32,35,22
पूरक	8,59,20			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (08 फरवरी तथा 07, 30, 31 मार्च 2024)				31,71,80

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः जुलाई 2023 में (₹ 281.60 लाख) तथा फरवरी 2024 (₹ 2,440.10 लाख) में प्राप्त ₹ 2,721.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 19,131.78 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 11, 28, 30 तथा 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 17,072.98 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2013-102.1922- पूर्व मुख्यमंत्रियों को मानदेय तथा भत्ते	मूल	168.55	52.18	52.18	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 116.37 लाख की प्रत्याशित बचत बिलों तथा यात्रा बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।
	पुनर्वि.	(-) 116.37				

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2015-101.6757-स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	मूल पुनर्वि.	6,589.50 (-) 1,488.60	5,100.90	4,007.00	(-) 1,093.90	₹ 1,488.60 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 550.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 2,038.60 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,488.60 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 550.00 लाख) का निवल प्रभाव था। पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 550.00 लाख की वृद्धि पर्याप्त बजट की अनुपलब्धता के कारण जबकि कमी वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर निकायों के निर्वाचन हेतु विभिन्न स्तरों पर वित्तीय प्रबंधन के कारण सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों/जिला प्रशासकों द्वारा व्यय बिलों की प्राप्ति/जांच/सत्यापन प्रक्रिया शुरू होने के कारण, विधानसभा चुनाव प्रक्रिया आरम्भ होने, सम्पूर्ण व्यय बिलों के लंबित रहने, बजट आवंटन के विरुद्ध त्रैमासिक व्यय सीमा में छूट न दिए जाने तथा ईसीआईएल हैदराबाद एवं मध्यप्रदेश राज्य विद्युत विकास निगम (एमपीएसइडीसी) से चुनाव के सम्बन्ध में व्यय बिल की देर से प्राप्ति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2015-101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 36.11	13.89	3.89 (-) 10.00	समर्पण के रूप में ₹ 36.11 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर निकायों के निर्वाचन हेतु विभिन्न स्तरों पर वित्तीय प्रबंधन के कारण सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों/जिला प्रशासकों द्वारा व्यय बिलों की प्राप्ति/जांच/सत्यापन प्रक्रिया शुरू होने के कारण, विधानसभा चुनाव प्रक्रिया आरम्भ होने, सम्पूर्ण व्यय बिलों के लंबित रहने, बजट आवंटन के विरुद्ध त्रैमासिक व्यय सीमा में छूट न दिए जाने तथा ईसीआईएल हैदराबाद एवं मध्यप्रदेश राज्य विद्युत विकास निगम (एमपीएसइडीसी) से चुनाव के सम्बन्ध में व्यय बिल की देर से प्राप्ति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2052-090.4327- सचिवालय	मूल पुनर्वि.	16,725.57 (-) 4,880.63	11,844.94	11,436.87 (-) 408.07	₹ 4,880.63 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.58 लाख की वृद्धि तथा ₹ 4,882.21 लाख की कमी (समर्पण ₹ 4,120.17 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 762.04 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि राशि ₹ 0.45 लाख के लंबित देयताओं के भुगतान के कारण जबकि कमी पद रिकित्तियों तथा कम व्यय के कारण हुई। शेष पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किये गए हैं। समर्पण पद रिकित्तियों, वस्तुओं के क्रय पर व्यय न होने तथा यात्रा बिल एवं स्वीकृति आदेश प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-800.0101.7660-कार्यक्रम, आयोजन एवं प्रबंधन	मूल पूरक	0.01 50.00	50.01	0.00	50.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2062-103.3844-लोक आयुक्त	मूल पूरक पुनर्वि.	5,372.11 47.35 (-) 1,149.80	4,269.66	4,268.43	(-) 1.23	₹ 1,149.80 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 63.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 1,212.80 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,149.80 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 63.00 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी व्यय अनुसार, पद रिक्तियों, मितव्ययिता तथा व्यय पर नियंत्रण के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2070-800.6910-राज्य सूचना आयोग की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,249.98 (-) 654.37	595.61	556.40	(-) 39.21	₹ 654.37 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.18 लाख की वृद्धि तथा ₹ 658.55 लाख की कमी (समर्पण ₹ 654.37 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 4.18 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि पर्याप्त बजट की कमी तथा अर्जित अवकाश एवं यात्रा देयक के भुगतान हेतु राशि की कमी के कारण हुई जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। समर्पण पद रिक्तियों एवं संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2070-800.9608-क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल	मूल पुनर्वि.	1,500.00 (-) 1,125.00	375.00	375.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,125.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2235-60.107.4674-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन	मूल पुनर्वि.	2,000.00 (-) 694.69	1,305.31	1,305.31	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 694.69 लाख की प्रत्याशित बचत स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2250-800.5669-मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 200.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3451-090.4327-सचिवालय	मूल पुनर्वि.	4,080.22 (-) 1,359.07	2,721.15	2,721.03	(-) 0.12	समर्पण के रूप में ₹ 1,359.07 लाख की प्रत्याशित बचत स्वीकृति आदेश प्राप्त न होने, पद रिक्तियों, वस्तुओं के क्रय पर व्यय नहीं होने तथा यात्रा देयकों की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

प्रभारित

- (4) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 21.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 2,612.38 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 11 तथा 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 1,301.73 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2015-101.6757-स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	मूल पुनर्वि.	10.00 (-) 10.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 10.00 लाख की प्रत्याशित बचत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) हैदराबाद एवं म.प्र. राज्य विद्युत विकास निगम (एमपीएसइडीसी) भोपाल, से चुनाव के सम्बन्ध में व्यय देयकों की विलंब से प्राप्ति, त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर निकायों के निर्वाचन उपरांत विभिन्न स्तरों पर वित्तीय प्रबंधन के कारण सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों/जिला प्रशासकों द्वारा व्यय बिलों की प्राप्ति/जांच/सत्यापन प्रक्रिया शुरू होने के कारण, विधानसभा चुनाव प्रक्रिया आरम्भ होने के कारण सभी व्यय देनदारियां निरस्त नहीं की गई, देनदारियां (दावें) लंबित होने तथा बजट आवंटन के विरुद्ध त्रैमासिक व्यय सीमा में छूट न दिए जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2051-102.3689-राज्य लोक सेवा आयोग	मूल पुनर्वि.	8,460.99 (-) 840.34	7,620.65	6,350.78	(-) 1,269.87	समर्पण के रूप में ₹ 840.34 लाख की प्रत्याशित बचत आवश्यकतानुसार व्यय, मितव्ययिता, व्यय-सीमा, जिलाध्यक्ष द्वारा वास्तविक व्यय, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रक्रियाधीन होने, योजना शीर्ष 9545 पर प्रतिबन्ध, डिक्री की प्राप्ति नहीं होने तथा बीसीओ 1962 समर्पण नहीं दर्शाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2051-102.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	15.00 (-) 2.82	12.18	0.50	(-) 11.68	समर्पण के रूप में ₹ 2.82 लाख की प्रत्याशित बचत योजना पर प्रतिबन्ध के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (7) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 859.20 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (8) ₹ 3,235.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 08 फरवरी तथा 07, 30 और 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 3,171.80 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.1341-मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली का पुनर्निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,500.00 (-) 869.00	631.00	631.00	0.00	₹ 869.00 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 98.07 लाख पुनर्विनियोजन + ₹ 770.93 लाख समर्पण) आवासीय कमिश्नर, म.प्र. भवन, नई दिल्ली द्वारा आवंटन पुनर्विनियोजन के रूप में उपलब्ध होने तक अनुमति देने के कारण हुई। समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.3689- राज्य लोक सेवा आयोग	मूल पुनर्वि.	450.00 (-) 450.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 450.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की बचत सक्षम वित्तीय समिति द्वारा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.6925- नई दिल्ली में प्रस्तावित मध्यांचल भवन का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,460.00 (-) 1,460.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,460.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की बचत निविदा आमंत्रण कार्य प्रगति पर होने के कारण मध्यांचल विस्तार कार्य संभव नहीं हो पाने के कारण हुई।

- (10) समर्पण राशि ₹ 55,15,208 स्वीकृति क्र. 644/1245332/2023/1-10 भोपाल, दिनांक 25.04.2024 को 31.03.2024 उपरांत दिनांक 25.04.2024 को जारी होने के कारण लेखे में शामिल नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 02—विमानन

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 3053-नागर विमानन, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	65,95,97			
पूरक	35,00,00	1,00,95,97	87,96,87	(-) 12,99,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में हुए व्यय (₹ 87,96,87,000) के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से कुल स्वीकृति अग्रिम ₹ 40,00,00,000 (दिनांक 29.09.2023 को स्वीकृत ₹ 15,00,00,000, दिनांक 01.11.2023 को स्वीकृत ₹ 10,00,00,000 एवं दिनांक 14.03.2024 को स्वीकृत ₹ 15,00,00,000) में से ₹ 25,00,00,000 व्यय की गई राशि भी शामिल है। तथापि ₹ 15,00,00,000 की वर्ष के दौरान प्रतिपूर्ति नहीं की गई।

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,91,00,01			
पूरक	0	1,91,00,01	1,23,99	(-) 1,89,76,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 02—विमानन जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	40,00,00			
पूरक	0	40,00,00	21,71,77	(-) 18,28,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 1,299.10 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2023 (₹ 1,000.00 लाख) तथा फरवरी 2024 (₹ 2,500.00 लाख) में प्राप्त ₹ 3,500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,299.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-091.4043- विमानन संचालनालय	मूल	5,668.96				बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
	पूरक	3,500.00	9,168.96	8,349.98	(-) 818.98	
3053-60.102.4727- हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	मूल	25.00	25.00	0.00	(-) 25.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (4) ₹ 18,976.02 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5053-02.102.0101.4727- हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	मूल	4,000.00	4,000.00	123.99	(-) 3,876.01	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 02—विमानन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5053-80.800.0101.0690- अधोसंरचना एवं विमानपत्तन का विकास	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 एवं 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
5053-80.800.0101.6592- नए जेट विमानों का क्रय	मूल	15,000.00	15,000.00	0.00	(-) 15,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (6) ₹ 1,828.23 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (7) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5053-02.102.0101.3115- भू अर्जन हेतु मुआवजा	मूल	4,000.00	4,000.00	2,171.77	(-) 1,828.23	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 03—गृह

(मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद, 2055-पुलिस, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2216-आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 6216-आवास हेतु ऋण,)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	95,73,48,30			
पूरक	20,35,23	95,93,83,53	83,06,50,00	(-) 12,87,33,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 तथा 31 मार्च 2024)				11,56,86,11

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,53,50			
पूरक	0	1,53,50	1,51,85	(-) 1,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,00

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,74,70,16			
पूरक	24,00,00	6,98,70,16	6,11,75,86	(-) 86,94,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				75,36,74

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 2,035.23 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,28,733.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 28 तथा 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 1,15,686.11 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-001.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	7,500.00 (-) 4,187.98	3,312.02	3,312.02	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,187.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2055-003.0195- पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	मूल पुनर्वि.	23,219.55 (-) 5,982.18	17,237.37	17,235.25	(-) 2.12	₹ 5,982.18 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 6,070.18 लाख की कमी (समर्पण ₹ 5,982.18 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 88.00 लाख) तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 88.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि पुलिस विभाग के 45 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों के लिए अधिकतम ₹ 2,000 की सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों से वार्षिक स्वास्थ्य जांच कराने के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के व्यय, गत दो-तीन वर्षों के कोरोना व अन्य गंभीर बीमारियों के कारण लंबित बिल, मार्च माह के वेतन आहरण हेतु अन्य वेतन मदों में राशि की अनुपलब्धता के कारण हुई जबकि कमी वेतन/भत्ता मद से निधि के अप्रयुक्त रहने पर हुई उपलब्ध बचत के कारण हुई। समर्पण के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2055-101.0101.6329- नई भर्ती प्रक्रिया पर व्यय	मूल पुनर्वि.	70.00 (-) 70.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 70.00 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-101.0270- अपराध अनुसंधान विभाग	मूल पूरक पुनर्वि.	31,483.72 400.00 (-) 5,949.53	25,934.19	25,932.03	(-) 2.16	₹ 5,949.53 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 6,019.53 लाख की कमी (समर्पण ₹ 5,949.53 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 70.00 लाख) तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि वित्तीय वर्ष में किये गए प्रावधानित बजट की कमियों के कारण जबकि कमी वेतन/भत्ता मद के अंतर्गत निधि का उपयोग न होने पर संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।
2055-104.4492- सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	मूल पुनर्वि.	1,75,420.01 (-) 26,349.35	1,49,070.66	1,49,071.13	+ 0.47	₹ 26,349.35 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 28,370.35 लाख की कमी (समर्पण ₹ 26,118.35 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 2,252.00 लाख) तथा ₹ 2,021.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि पुलिस विभाग के 45 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों के लिए अधिकतम ₹ 2,000 की सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों से वार्षिक स्वास्थ्य जांच कराने के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के व्यय, गत दो-तीन वर्षों के कोरोना व अन्य गंभीर बीमारियों के कारण लंबित बिल, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में की गई घोषणा 15 अगस्त 2023 से लागू के अनुपालन में विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ), अराजपत्रित अधिकारियों तथा कर्मचारियों हेतु पौष्टिक भोजन भत्ता एवं कपड़ा भत्ता के बढ़कर ₹ 5,000 होने तथा मुफ्त भोजन दरों के प्रतिदिन ₹ 70 से बढ़कर ₹ 100 होने से अतिरिक्त व्यय के भार तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु प्रावधानित बजट की कमियों के कारण हुई जबकि कमी वेतन/भत्ता एवं यात्रा भत्ता के अंतर्गत राशि के उपयोग न होने पर बचत के कारण हुई। शेष के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-109.0703.5172- अनुसूचित जाति/ जनजाति के थानों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,701.77 (-) 3,675.49	26.28	26.28	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,675.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2055-109.0706.5172- अनुसूचित जाति/ जनजाति के थानों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,701.77 (-) 3,701.62	0.15	0.15	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,701.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2055-109.0707.5172- अनुसूचित जाति/ जनजाति के थानों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	6,736.40 (-) 5,048.60	1,687.80	1,687.50	(-) 0.30	समर्पण के रूप में ₹ 5,048.60 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-111.0101.9259- पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (रेल पुलिस पश्चिम विभाग)	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 200.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 200.00 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2055-111.9259- पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (रेल पुलिस पश्चिम विभाग)	मूल पुनर्वि.	17,561.50 (-) 4,748.17	12,813.33	12,812.92	(-) 0.41	₹ 4,748.17 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 4,812.17 लाख की कमी (समर्पण ₹ 4,748.17 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 64.00 लाख) तथा ₹ 64.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि पुलिस विभाग के 45 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों के लिए अधिकतम ₹ 2,000 की सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों से वार्षिक स्वास्थ्य जांच कराने के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के व्यय, गत दो-तीन वर्षों के कोरोना व अन्य गंभीर बीमारियों के कारण लंबित बिल, मार्च माह के वेतन आहरण हेतु अन्य वेतन मदों में राशि की अनुपलब्धता तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु प्रावधानित बजट की कमियों के कारण हुई जबकि कमी वेतन/भत्ता मद से निधि के उपयोग न होने पर हुई उपलब्ध बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-113.2634- पुलिस चिकित्सालयों की स्थापना एवं पुलिस कर्मियों का कल्याण	मूल पुनर्वि.	3,184.68 (-) 1,208.95	1,975.73	1,975.55	(-) 0.18	समर्पण के रूप में ₹ 1,208.95 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2055-114.4155- बेतार केन्द्र भोपाल/ग्वालियर	मूल पुनर्वि.	24,097.24 (-) 4,766.28	19,330.96	19,329.72	(-) 1.24	₹ 4,766.28 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 5,741.28 लाख की कमी (समर्पण ₹ 4,766.28 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 975.00 लाख) तथा ₹ 975.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि प्रावधानित बजट की कमियों को दूर करने, लंबित देयकों के भुगतान तथा स्पेक्ट्रम शुल्क भुगतान की आवश्यकता के कारण हुई जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2055-115.0701.2643- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	525.03 (-) 453.03	72.00	72.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 453.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2055-115.0704.2643- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	350.02 (-) 302.02	48.00	48.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 302.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2055-800.6329- नवीन भर्ती प्रक्रिया पर व्यय	मूल पुनर्वि.	1,005.00 (-) 798.35	206.65	206.65	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 798.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-800.7130- महिला अपराध शाखा का गठन	मूल पुनर्वि.	3,450.70 (-) 532.06	2,918.64	2,917.99	(-) 0.65	₹ 532.06 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 555.56 लाख की कमी (समर्पण ₹ 532.06 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 23.50 लाख) तथा ₹ 23.50 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि पुलिस विभाग के 45 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों के लिए अधिकतम ₹ 2,000 की सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों से वार्षिक स्वास्थ्य जांच कराने के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के व्यय, गत दो-तीन वर्षों के कोरोना व अन्य गंभीर बीमारियों के कारण लंबित बिल, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में की गई घोषणा 15 अगस्त 2023 से लागू के अनुपालन में विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ), अराजपत्रित अधिकारियों तथा कर्मचारियों हेतु पौष्टिक भोजन भत्ता एवं कपड़ा भत्ता के बढ़कर ₹ 5,000 होने तथा मुफ्त भोजन दरों के प्रतिदिन ₹ 70 से बढ़कर ₹ 100 होने से अतिरिक्त व्यय के भार के कारण जबकि कमी वेतन/भत्ता के अंतर्गत निधि के उपयोग न होने पर उपलब्ध बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2055-800.8333- सड़क सुरक्षा निधि से व्यय	मूल पुनर्वि.	2,000.00 (-) 1,986.92	13.08	13.08	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,986.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2070-107.0701.7867- नगर सेना का आधुनिकीकरण	मूल	90.00	90.00	0.00	(-) 90.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2070-107.0492- आव्हान पर होने वाला व्यय	मूल	45,000.00	45,000.00	38,112.95	(-) 6,887.05	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2070-107.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	1,000.00	1,000.00	5.27	(-) 994.73	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2070-114.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	₹ 100.00 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 92.60 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 7.40 लाख) अंशतः वित्त विभाग द्वारा छूट नहीं मिलने के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2216-05.053.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	3,000.00 (-) 1,682.58	1,317.42	1,317.42	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,682.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2235-60.200.0686- सांप्रदायिक दंगों में पीड़ितों को सहायता	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-001.7189- केन्द्र/राज्यों के पुलिस बल के व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल पूरक पुनर्वि.	1,000.00 1,200.00 4,374.97	6,574.97	6,574.97	0.00	₹ 4,374.97 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,400.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 1,025.03 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः विधान सभा निर्वाचन हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता के कारण हुई। शेष आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-109.0802.1117- सुरक्षा संबंधी व्यय (केन्द्र क्षेत्रीय)	मूल पुनर्वि.	435.50 1,133.17	1,568.67	1,568.67	0.00	₹ 1,133.17 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,200.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 66.83 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि पर्याप्त बजट की अनुपलब्धता तथा अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई। शेष आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

पूंजीगत :

दत्तमत

- (5) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 2,400.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 8,694.30 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 7,536.74 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4055-207.0701.2643- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	900.00 (-) 602.45	297.55	297.55	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 602.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4055-207.0704.2643- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	600.00 (-) 431.17	168.83	168.83	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 431.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4055-207.4011- विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला	मूल पुनर्वि.	984.00 (-) 438.01	545.99	545.99	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 438.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4055-207.8333- सड़क सुरक्षा निधि से व्यय	मूल पुनर्वि.	2,000.00 (-) 2,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,000.00 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 03—गृह समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4055-800.0101.7346- केंद्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र	मूल पुनर्वि.	3,500.00 (-) 3,479.16	20.84	20.84	0.00	₹ 3,479.16 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 893.49 लाख + समर्पण ₹ 2,585.67 लाख) वर्तमान वित्तीय वर्ष में शीर्ष के अंतर्गत बचत तथा पुनर्विनियोजन द्वारा निविदा प्रक्रिया के पूर्ण नहीं होने के कारण हुई। समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4055-800.0703.5172- अनुसूचित जाति/ जनजाति के थानों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	291.00 (-) 291.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 291.00 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4055-800.0706.5172- अनुसूचित जाति/ जनजाति के थानों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	291.00 (-) 291.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 291.00 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4070-003.0101.2710- प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-) 1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

(8) उपरोक्त टिप्पणी (7) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4055-109.0802.9913- विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत बालाघाट जिले को सहायता	मूल पूरक पुनर्वि.	0.02 250.00 710.98	961.00	961.00	0.00	₹ 710.98 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 711.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.02 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि योजना के अंतर्गत निधि की अनुपलब्धता वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त निधि का उपयोग करने के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

(9) पूर्ण जानकारी के अभाव के कारण समर्पण राशि ₹ 31,99,350 स्वीकृति क्र.दो-2/395/1244/वित्त(1)/बजट/2023-24 जबलपुर, दिनांक 31.03.2024 तथा समर्पण राशि ₹ 1,22,82,81,702 स्वीकृति क्र. दो-2/395/1242/वित्त (1)/बजट/2023-24 जबलपुर, दिनांक 31.03.2024 को लेखे में शामिल नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या 04-पर्यावरण

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास)

राजस्व :

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	35,20,91			
पूरक	0	35,20,91	17,74,66	(-) 17,46,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

- (1) ₹ 1,746.25 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-02.106.0701.8872- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के लिए राज्यांश	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2217-05.191.0101.0513- एफको को अनुदान	मूल	700.00	700.00	0.00	(-) 700.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2217-05.191.0701.5240- राष्ट्रीय जलीय स्रोत संरक्षण कार्यक्रम (एन.पी. सी.ए.)	मूल पुनर्वि.	1,064.31 (-) 56.63	1,007.68	821.97	(-) 185.71	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 56.63 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष के दौरान कोई व्यय देयता नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 04—पर्यावरण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.191.0704.5240- राष्ट्रीय जलीय स्रोत संरक्षण कार्यक्रम (एन.पी. सी.ए.)	मूल पुनर्वि.	931.57 (-) 37.76	893.81	198.30	(-) 695.51	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 37.76 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष के दौरान कोई व्यय देयता नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.191.0701.9894- बायोस्फेयर रिजर्व स्कीम	मूल पुनर्वि.	0.01 56.63	56.64	56.63	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 56.63 लाख का आवर्धन केंद्र सरकार के निदेशानुसार राज्यांश के प्रावधान के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 05—जेल

(मुख्य शीर्ष— 2056-जेल, 2216-आवास, 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,55,67,46			
पूरक	2,00	5,55,69,46	5,00,04,07	(-) 55,65,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00			
पूरक	0	5,00	0	(-) 5,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	87,50,05			
पूरक	0	87,50,05	42,45,38	(-) 45,04,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 05—जेल जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 2.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 5,565.39 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2056-001.2304-निदेशन और प्रशासन	मूल	1,567.46	1,567.46	1,029.20	(-) 538.26	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2056-101.0101.5044-जेलों का आधुनिकीकरण	मूल	290.00	290.00	181.59	(-) 108.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2056-101.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	790.56	790.56	407.01	(-) 383.55	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2056-101.0102.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	298.08	298.08	48.83	(-) 249.25	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2056-101.0103.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	207.36	207.36	78.69	(-) 128.67	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2216-05.053.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	195.20	195.20	52.92	(-) 142.28	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (4) ₹ 4,504.67 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.0849-जेलों की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु निर्माण कार्य	मूल	800.00	800.00	317.93	(-) 482.07	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 05—जेल समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.6405- जेल भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	6,500.01 (-) 180.00	6,320.01	2,605.72	(-) 3,714.29	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 180.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0102.0849- जेलों की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु निर्माण कार्य	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

(6) उपरोक्त टिप्पणी (5) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4070-01.800.0101.5044- जेलों का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	0.02 180.00	180.02	179.34	(-) 0.68	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 180.00 लाख का निधि में आवर्धन माननीय न्यायालयों एवं जेलों के मध्य कनेक्टिविटी हेतु एफटीटीएच कनेक्टिविटी के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

(7) राशि ₹ 1,00,86,86,556 की समर्पण स्वीकृति क्र. 7609-11/वित्त बजट/2024, दिनांक 03.05.2024 जो कि 31.03.2024 के उपरांत दिनांक 03.05.2024 को स्वीकृत होने एवं नियत तिथि 15.05.2024 के पश्चात् प्राप्त होने के कारण लेखे में शामिल नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या 06-वित्त

(मुख्य शीर्ष- 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2048-ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोजन, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2054-खजाना एवं लेखा प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय, 6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज, 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि, 7810-अन्तर्राज्यीय परिशोधन)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,48,57,17,29			
पूरक	2,00,05	2,48,59,17,34	2,22,21,85,73	(-) 26,37,31,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				20,76,94

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	11,07,96,95			
पूरक	0	11,07,96,95	21,51,80	(-) 10,86,45,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				3,00

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,80,70,10			
पूरक	0	4,80,70,10	79,35,45	(-) 4,01,34,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				58

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,00,00			
पूरक	0	2,00,00	0	(-) 2,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 200.05 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,63,731.61 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 2,076.94 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-091.0101.5652- म.प्र. परियोजना विकास कोष योजना	मूल पुनर्वि.	75.00 (-) 60.00	15.00	0.00	(-) 15.00	समर्पण के रूप में ₹ 60.00 लाख की प्रत्याशित बचत विभागों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2052-091.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पूरक	5.00 100.00	105.00	0.00	(-) 105.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2052-091.4295- संचालनालय, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली	मूल पूरक	475.03 100.00	575.03	293.68	(-) 281.35	पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (₹ 23.00 लाख) की वृद्धि तथा कमी हुई। वृद्धि, कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2052-091.6357- पी.पी.पी. प्रकोष्ठ का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	529.85 (-) 424.27	105.58	0.00	(-) 105.58	समर्पण के रूप में ₹ 424.27 लाख की प्रत्याशित बचत परामर्शदाताओं की नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-091.9508- कर्मचारी आयोग	मूल	204.89	204.89	26.34	(-) 178.55	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2054-003.3843- लेखा प्रशिक्षण शाला, आंतरिक लेखा-परीक्षण का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	412.42 (-) 22.20	390.22	186.25	(-) 203.97	₹ 22.20 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में वृद्धि (₹ 0.40 लाख) तथा कमी (₹ 22.60 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट के 80 से 90 प्रतिशत व्यय होने से दो माह की देनदारियों के भुगतान के कारण हुई जबकि कमी देनदारियों के निर्माण में लिए गए समय के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2054-095.0101.6327- म.प्र. आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,319.87 0.15	1,320.02	618.32	(-) 701.70	₹ 0.15 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा वृद्धि (₹ 0.50 लाख) तथा कमी (₹ 0.35 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट के 80 से 90 प्रतिशत व्यय होने से दो माह की देनदारियों के भुगतान के कारण हुई जबकि कमी देनदारियों के निर्माण में लिए गए समय के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2054-095.5329- लंबित देयकों का भुगतान	मूल पुनर्वि.	1,48,300.00 (-) 1,158.50	1,47,141.50	0.00	(-) 1,47,141.50	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,158.50 लाख की प्रत्याशित बचत उचित मांग की कमी के कारण हुई। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2054-098.4361-स्थानीय निधि संपरीक्षा	मूल	6,730.64	6,730.64	4,500.71	(-) 2,229.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2070-800.0101.0224-अन्य व्यय	मूल	1,000.02	1,000.02	0.00	(-) 1,000.02	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2070-800.9135-म.प्र. पी.आई. कंपनी को संधारण अनुदान	मूल	1,000.00	1,000.00	28.97	(-) 971.03	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.101.5158-सेवानिवृत्त न्यायिक सदस्यों को देय भत्ते	मूल	763.79	763.79	6.14	(-) 757.65	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2071-01.101.9999-एकीकृत मध्य प्रदेश पेंशन	मूल	6,41,570.02	6,41,570.02	6,01,084.03	(-) 40,485.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.103.9998-मध्यप्रदेश पेंशन	मूल	45.01	45.01	2.75	(-) 42.26	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2071-01.103.9999-एकीकृत मध्य प्रदेश पेंशन	मूल	44.64	44.64	2.11	(-) 42.53	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2071-01.104.9998-मध्यप्रदेश पेंशन	मूल	2,56,300.01	2,56,300.01	2,07,536.18	(-) 48,763.83	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2054-095.8808-सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य	मूल	3,367.04	3,367.04	3,520.55	+ 153.51	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2071-01.101.9998-मध्यप्रदेश पेंशन	मूल	4,00,000.01	4,00,000.01	4,47,341.67	+ 47,341.66	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2071-01.105.9998-मध्यप्रदेश पेंशन	मूल	1,30,000.01	1,30,000.01	1,44,622.61	+ 14,622.60	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2071-01.200.5653-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान	मूल	1,200.00	1,200.00	4,155.34	+ 2,955.34	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2075-797.6857-प्रतिभूति रिडेमशन निधि में हस्तांतरण	मूल पुनर्वि.	2,500.00 1,158.50	3,658.50	3,658.50	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,158.50 लाख का निधि में आवर्धन प्रतिभूति रिडेमशन निधि में हस्तांतरण के कारण हुआ।

प्रभारित

- (5) ₹ 1,08,645.15 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 3.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2048.101.1086-संचित ऋण शोधन निधि में अंतरण	मूल	1,00,000.00	1,00,000.00	0.00	(-) 1,00,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 06-वित्त जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2054-095.5329- लंबित देयकों का भुगतान	मूल	10,000.00	10,000.00	0.00	(-) 10,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.101.9999- एकीकृत मध्य प्रदेश पेंशन	O	148.52	148.52	25.96	(-) 122.56	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

- (7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01.102.9999- एकीकृत मध्य प्रदेश पेंशन	मूल	5.02	5.02	44.13	+ 39.11	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2071-01.104.9999- एकीकृत मध्य प्रदेश पेंशन	मूल	45.01	45.01	64.01	+ 19.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2071-01.106.9998- मध्यप्रदेश पेंशन	मूल	500.01	500.01	1,304.68	+ 804.67	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2071-01.106.9999- एकीकृत मध्य प्रदेश पेंशन	मूल	78.76	78.76	711.00	+ 632.24	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

पूंजीगत :

दत्तमत

- (8) ₹ 40,134.65 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 0.58 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 06-वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4070-800.8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल	5,000.08	5,000.08	3.45	(-) 4,996.63	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
6075-800.6787-गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	मूल पुनर्वि.	10,000.00 (-) 4,944.00	5,056.00	1.00	(-) 5,055.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,944.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
6075-800.6788-राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस. एल.आर. बांड्स के समाधान हेतु प्रावधान	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-) 1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
6075-800.6842-राज्य शासन उपक्रमों की पुनर्संरचना हेतु ऋण सहायता	मूल	30,000.00	30,000.00	1,010.58	(-) 28,989.42	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (10) उपरोक्त टिप्पणी (9) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4425-107.0101.1005-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंश पूंजी में धनवेष्ठन	मूल पुनर्वि.	2,000.00 4,943.42	6,943.42	6,943.42	0.00	₹ 4,943.42 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,944.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 0.58 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 06-वित्त समाप्त

प्रभारित

(11) ₹ 200.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(12) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
7810-800.0122- अंतरराज्यीय परिशोधन	मूल	200.00	200.00	0.00	(-) 200.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर

(मुख्य शीर्ष- 2030-स्टाम्प और पंजीकरण, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2043—राज्य माल एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रह प्रभार, 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2216-आवास, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	21,97,25,94			
पूरक	2,64,70,92	24,61,96,86	22,63,46,33	(-) 1,98,50,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 तथा 31 मार्च 2024)				90,79,23

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	12,00			
पूरक	0	12,00	0	(-) 12,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2,00

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	16,00,01			
पूरक	19,00,00	35,00,01	5,03,34	(-) 29,96,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				24,96,66

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 19,850.53 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 26,470.92 लाख का अनुपूरक अनुदान, जुलाई 2023 (₹ 11,000.00 लाख) में प्राप्त अत्यधिक सिद्ध हुआ जबकि फरवरी 2024 (₹ 15,470.92 लाख) में प्राप्त अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 19,850.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 28 तथा 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 9,079.23 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2030-02.101.4612-स्टाम्पों की लागत	मूल पुनर्वि.	3,000.00 (-) 87.75	2,912.25	2,899.55	(-) 12.70	समर्पण के रूप में ₹ 87.75 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2030-03.001.0101.9942-डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 250.00	750.00	113.51	(-) 636.49	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 250.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2030-03.001.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	500.00 (-) 159.10	340.90	244.09	(-) 96.81	समर्पण के रूप में ₹ 159.10 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2039-001.0101.8808-सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य	मूल	1,200.00	1,200.00	325.62	(-) 874.38	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2039-001.0123-स्थापना व्यय	मूल	1,355.02	1,355.02	856.80	(-) 498.22	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2039-001.1470-जिला कार्यपालिका स्थापना	मूल	20,226.16	20,226.16	15,146.17	(-) 5,079.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2039-001.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	258.00	258.00	83.21	(-) 174.79	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 07-वाणिज्यिक कर जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2039-800.4034- विभागीय मदिरा दुकानों को संचालन	मूल	100.01	100.01	0.42	(-) 99.59	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2039-800.4612- स्टाम्पों की लागत	पूरक	11,000.00	11,000.00	8,724.77	(-) 2,275.23	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2043-001.8808- सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य	मूल पुनर्वि.	2,276.02 (-) 330.86	1,945.16	1,864.35	(-) 80.81	₹ 330.86 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 70.00 लाख पुनर्विनियोजन + ₹ 260.86 लाख समर्पण) वित्तीय वर्ष में बचत की सम्भावना के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2043-001.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 78.89	121.11	81.11	(-) 40.00	समर्पण के रूप में ₹ 78.89 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2043-101.1509- जिला स्थापना	मूल पुनर्वि.	25,658.78 (-) 6,759.97	18,898.81	18,928.97	+ 30.16	₹ 6,759.97 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.00 लाख की वृद्धि तथा प्रावधान में ₹ 6,789.97 लाख की कमी (पुनर्विनियोजन ₹ 30.00 लाख + ₹ 6,759.97 लाख समर्पण) का निवल प्रभाव था। वृद्धि लंबित चिकित्सकीय देयकों के भुगतान के कारण हुई जबकि कमी अंशतः सातवें वेतन आयोग के अनुसार भत्तों की दर में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण हुई बचत, स्थानान्तरण नहीं होने के कारण हुई, पदोन्नति, ऑनलाइन माध्यम से हुए पत्राचार, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन माध्यम से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मिटिंग करने के कारण हुई। कमी के अन्य शेष कारण के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2045-797.0530.2359- म.प्र. नगरीय परिवहन अधोसंरचना विकास निधि	मूल	16,880.00	21,628.00	21,628.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
	पूरक	4,749.00				
	पुनर्वि.	(-) 1.00				

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2030-02.102.2455- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	मूल	9,316.89	10,276.02	10,276.02	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 959.13 लाख का निधि में आवर्धन गैर-न्यायिक स्टाम्प की बिक्री पर व्यय के कारण हुआ।
	पुनर्वि.	959.13				

(5) पंचायत, भूराजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि.

पंचायत, भूमि राजस्व उपकर एवं स्टाम्प शुल्क निधि का गठन मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 74 एवं 75 के तहत किया गया था। ग्राम पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक भूमि धारक और सरकारी भूमि के पट्टे पर भूमि राजस्व उपकर 50 पैसे प्रति रुपये या उसके हिस्से की दर से लगाया या एकत्र किया जाता है एवं अचल संपत्ति के मूल्य पर, उपहार, बिक्री और बंधक विलेख के समय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लगाया जाकर एक प्रतिशत की दर से राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत सरकार की प्राप्ति में जमा की जायेगी। इस निधि का उपयोग जनपद, ग्राम और जिला पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा कार्यालय व्यय के भुगतान के लिए किया जाता है। उपकर और अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को मुख्य शीर्ष "0030-स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क-01-स्टाम्प न्यायिक एवं 02-स्टाम्प-गैर न्यायिक-800-अन्य प्राप्तियां-0035-एम.पी. पंचायत अधिनियम के तहत लगाया गया स्टाम्प शुल्क" के अंतर्गत राजस्व में जमा किया जाता है एवं गत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त उपकर और अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की आय के बराबर राशि राज्य के समेकित निधि में इस अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "2030-स्टाम्प और पंजीकरण-02-स्टाम्प-गैर न्यायिक-797-आरक्षित निधि और जमा खाते में/से अंतरण, 6002-म.प्र. पंचायत अधिनियम के तहत लगाए गए अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का म.प्र. पंचायत भूमि राजस्व उपकर एवं स्टाम्प शुल्क निधि को अंतरण" को प्रभारित तथा मुख्य शीर्ष 8229-विकास और कल्याण निधि-200-अन्य विकास एवं कल्याण निधि-पंचायत भूमि राजस्व उपकर एवं स्टाम्प शुल्क निधि में जमा किया जाता है।

अनुदान संख्या 07-वाणिज्यिक कर जारी

1 अप्रैल 2023 को निधि का अथशेष ₹ 1,78,992.49 लाख था। वर्ष के दौरान निधि में कोई राशि जमा नहीं की गई और निधि से ₹ 27,400.00 लाख का व्यय किया गया। 31 मार्च 2024 को निधि लेखे में ₹ 1,51,592.49 लाख की शेष राशि जमा थी।

निधि के हस्तांतरण का ब्यौरा वित्त लेखे 2023-24 के विवरण पत्रक 21 तथा 22 में वर्णित हैं।

प्रभारित

- (6) ₹ 12.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 2.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2039-001.1470-जिला कार्यपालिका स्थापना	मूल	10.00	10.00	0.00	(-) 10.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (8) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 1,900.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (9) ₹ 2,996.67 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 2,496.66 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (10) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.1267-वाणिज्यिक कर कार्यालय भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,500.00 (-) 996.66	503.34	503.34	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 996.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.7311-कार्यालय भवनों का निर्माण	मूल पूरक	0.01 500.00	500.01	0.00	(-) 500.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 07-वाणिज्यिक कर समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.7382- जिला/उप पंजीयक कार्यालय भवन निर्माण/विस्तार	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	1,400.00				
	पुनर्वि.	(-) 1,500.00				

अनुदान संख्या 08-मू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय

(मुख्य शीर्ष- 2029-मू-राजस्व, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण, 2216-आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 4058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत हेतु ऋण)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	89,74,68,91			
पूरक	सांकेतिक	89,74,68,91	58,77,40,33	(-) 30,97,28,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				22,56,96,45

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,70,75			
पूरक	0	3,70,75	90,18	(-) 2,80,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,86

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,06,17,80			
पूरक	0	3,06,17,80	2,60,29,41	(-) 45,88,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				14,98,87

अनुदान संख्या 08— भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 3,09,728.58 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 2,25,696.45 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2029-103.0101.5070- कम्प्यूटरों का उन्नयन एवं नवीन तकनीकी उपकरण	मूल पुनर्वि.	3,500.03 (-) 3,463.04	36.99	36.99	0.00	₹ 3,463.04 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 90.00 लाख + ₹ 3,373.04 लाख समर्पण) की प्रत्याशित बचत अंशतः नवनियुक्त पटवारियों को लैपटॉप वितरण नहीं होने तथा आवश्यकतानुसार व्यय के कारण हुआ।
2029-103.0101.7167- एस.एल.टी.आई. एवं प्रशिक्षण शालाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	105.00 (-) 105.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधानित राशि ₹ 105.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-093.8808- सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल	4,200.01	4,200.01	0.00	(-) 4,200.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2058-001-9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की बचत बिल प्राप्ति न होने तथा संभावित बचत के कारण हुई।
2245-01.101.6422- सूखा से संबंधित फसल क्षति एवं अन्य कार्यों हेतु सहायता	मूल पुनर्वि.	700.00 (-) 700.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 700.00 लाख की प्रत्याशित बचत कम व्यय के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08— भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-02.101.2018- बाढ़ तथा अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत	मूल पुनर्वि.	60,000.00 (-) 33,348.31	26,651.69	26,859.28	+ 207.59	समर्पण के रूप में ₹ 33,348.31 लाख की प्रत्याशित बचत कम व्यय के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-02.122.0989- क्षतिग्रस्त सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों की मरम्मत और उसकी पुनः स्थापना	मूल पुनर्वि.	5,000.00 (-) 5,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 5,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत कम व्यय के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-08.797.1301.9597- आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण-राज्य आपदा शमन निधि (एस.डी. एम.एफ.)	मूल	1,13,121.00	1,13,121.00	52,240.00	(-) 60,881.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-80.102.6276- आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु	मूल पुनर्वि.	1,13,121.00 (-) 73,621.74	39,499.26	39,499.26	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 73,621.74 लाख की प्रत्याशित बचत कम व्यय के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-80.102.6374- आपदा प्रबंधन का प्रचार प्रसार	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत कम व्यय के कारण हुई।

अनुदान संख्या 08— भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-80.102.7667-15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण	मूल पुनर्वि.	26,751.01 (-) 26,155.20	595.81	595.81	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 26,155.20 लाख की प्रत्याशित बचत कम व्यय के कारण हुई।
2245-80.102.7767-महामारी/रसायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सी.बी. आर.एन.) आपदाओं की रोकथाम हेतु किये जाने वाले कार्यों पर व्यय	मूल पुनर्वि.	8,000.00 (-) 8,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधानित राशि ₹ 8,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत कम व्यय के कारण हुई।
2245-80.800.7021-पाला से क्षति पर राहत सहायता	मूल पुनर्वि.	577.50 (-) 562.34	15.16	15.16	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 562.34 लाख की प्रत्याशित बचत कम व्यय के कारण हुई।
2245-80.800.7249-कीट प्रकोप से फसल क्षति	मूल पुनर्वि.	1,017.90 (-) 1,005.80	12.10	12.10	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,005.80 लाख की प्रत्याशित बचत कम व्यय के कारण हुई।
2245-80.800.8030-पुनः स्थापना के लिये सहायता अन्य कार्य हेतु	मूल पुनर्वि.	600.00 (-) 596.89	3.11	3.11	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 596.89 लाख की प्रत्याशित बचत कम व्यय के कारण हुई।

(3) अकाल राहत कोष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)
2245-05-101-0474-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण अकाल राहत निधि	0.01	0.00	0.01

यह निधि बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए समेकित निधि से राशि अंतरित कर निर्मित की गई है। निधि में किये गए निवेश से प्राप्त ब्याज भी इस निधि लेखा में जमा किया जाता है।

वर्ष के दौरान कोई भी राशि मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-राज्य आपदा मोचन निधि-101-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-राज्य आपदा मोचन निधि को नामे कर मुख्य शीर्ष 8223 अकाल राहत निधि-101-अकाल राहत निधि के अंतर्गत निधि लेखा में जमा नहीं की गई।

अनुदान संख्या 08— भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय जारी

31 मार्च 2024 को शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :-				(₹ लाख में)
विवरण	1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2024 को अंत शेष नामे + जमा (-)
(1) 101-अकाल राहत निधि	(-) 592.81	0.00	0.00	(-) 592.81
कुल	(-) 592.81	0.00	0.00	(-) 592.81

निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2023-24 के विवरण संख्या-21 में मुख्य शीर्ष 8223-अकाल राहत निधि-101-अकाल राहत निधि तथा 102-अकाल राहत निधि निवेश लेखा के अंतर्गत सम्मिलित है।

(4) राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि:-

13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित यह निधि (पुनरीक्षित प्रशासकीय निर्देश के साथ) "आपदा राहत कोष" के स्थान पर 14 दिसंबर 2010 से लागू हुई। जो वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक कार्यरत था। सभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, ओलावृष्टि, आग, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना और कीट हमला इत्यादि इस योजना के तहत राहत के लिए पात्र हैं जो वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत तक चालू थी। वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित निधि में ₹ 2,14,080.00 लाख का योगदान था जिसमें 75 प्रतिशत (₹1,60,560.00 लाख) केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में किया गया जो शुरूआत में "1601-केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान-07-वित्त आयोग अनुदान-104-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए सहायता अनुदान" के तहत जमा किया गया एवं बकाया 25 प्रतिशत (₹ 53,520.00 लाख) का योगदान राज्य सरकार द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त ब्याज के रूप में ₹ 2,564.59 लाख मुख्य शीर्ष 2245-80-102 "विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध" से अंतरित किये गये। कुल योगदान को "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां, 122-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि" शीर्ष के तहत निधि में स्थानांतरित किया जाना था या यदि शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-115-प्राकृतिक आपदा अव्ययित सीमान्त धन निधि" के तहत निधि का निवेश करना संभव नहीं है, इस उद्देश्य हेतु इस अनुदान में मुख्य शीर्ष "2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-05-आपदा राहत निधि 101-आरक्षित निधियों और जमा लेखों में अंतरण-आपदा राहत निधि" के अंतर्गत प्रावधान बनाने के पश्चात् इस अनुदान में राहत अथवा सहायता पर किया गया व्यय शुरू में ही प्रावधान के विरुद्ध डेबिट किया जाता है एवं तत्संबंधित वर्ष के खातों के बंद होने से पूर्व समान-राशि निधि में अंतरित कर दी जाती है। 01 अप्रैल 2023 की स्थिति में ₹ 1,82,551.37 लाख (क्रेडिट) शेष था। वर्ष के दौरान राज्य शासन ने केन्द्रांश ₹ 1,60,560.00 लाख तथा राज्यांश ₹ 53,520.00 लाख (कुल ₹ 2,14,080.00 लाख) मुख्य शीर्ष "2245-05-101-आरक्षित निधि एवं जमा लेखों में अंतरण-राज्य आपदा राहत निधि" एवं ब्याज ₹ 2,564.59 लाख मुख्य शीर्ष 2245-80-102 "विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध" से कुल ₹ 2,16,644.59 लाख मुख्य शीर्ष 8121-122 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में अंतरित किये गये।

अनुदान संख्या 08- भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय जारी

वर्ष के लेखे बन्द होने से पूर्व प्राकृतिक आपदाओं पर किया गया ₹ 76,788.79 लाख का व्यय इस निधि के नामे किया गया। 31 मार्च 2024 को निधि लेखा में मुख्य शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि" के अंतर्गत ₹ 3,22,407.17 लाख का क्रेडिट शेष था। जब निधि मुख्य शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि" के अंतर्गत वर्गीकृत हो तो निधि में होने वाली अभिवृद्धि को केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलामी ट्रेजरी बिलों और ब्याज अर्जित करने वाली जमा और अनुसूचित/वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा प्रमाण-पत्र में निवेश करना आवश्यक था, यदि आर.बी.आई. की अधिविकर्षण विनियमन योजना के तहत अधिविकर्षण हो। ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर मुख्य शीर्ष "2049-ब्याज अदायगी-05-आरक्षित निधियों पर ब्याज-105-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज" को डेबिट करके जमा किया जाना है। वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया और निधि में ब्याज की कोई राशि भी जमा नहीं की गई।

निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2023-24 के विवरण संख्या-21 में सम्मिलित किया गया है।

प्रभारित

- (5) ₹ 280.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 1.86 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-099.3657-राजस्व बोर्ड	मूल	159.50	159.50	88.07	(-) 71.43	पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (₹ 1.00 लाख) की वृद्धि एवं कमी हुई। वृद्धि आगामी माह में वेतन के भुगतान तथा कमी संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2053-093.1509-जिला स्थापना	मूल	200.00	200.00	1.97	(-) 198.03	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

पूंजीगत :

दत्तमत

- (7) ₹ 4,588.39 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 1,498.87 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 08— भू—राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4058-103.0101.3427- मशीनों और उपकरण छपाई की मशीनों की खरीद	मूल पुनर्वि.	600.00 (-) 497.87	102.13	102.13	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 497.87 लाख की प्रत्याशित बचत लोक सभा चुनाव 2024 के दौरान आचार संहिता के लागू होने पर आदेश जारी न होने के कारण हुई।
4059-01.051.0101.5160- कम आबादी वाली तहसीलों में आवासीय परिसर का निर्माण	मूल	1,220.00	1,220.00	566.79	(-) 653.21	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4059-01.051.0102.5160- कम आबादी वाली तहसीलों में आवासीय परिसर का निर्माण	मूल	460.00	460.00	0.00	(-) 460.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4059-01.051.0103.5160- कम आबादी वाली तहसीलों में आवासीय परिसर का निर्माण	मूल	320.00	320.00	0.00	(-) 320.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4070-800.3657- राजस्व बोर्ड	मूल	182.00	182.00	0.00	(-) 182.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4070-800.6846- भू-प्रबंधन	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 1,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

- (9) समर्पण राशि ₹ 23,50,000 स्वीकृति क्र. 9-321/डीसी/पुनर्वि./7/2015-16 भोपाल, दिनांक 26.04.2024 को 31.03.2024 के उपरांत दिनांक 26.04.2024 को जारी होने के कारण इस लेखे में शामिल नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 09—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

(मुख्य शीर्ष 2810—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	59,05,53			
पूरक	0	59,05,53	8,17,78	(-) 50,87,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	50			
पूरक	0	50	0	(-) 50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 5,087.75 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2810-02.101.0101.7312- सौर ऊर्जा पार्क विस्तार	मूल 50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2810-102.0410.0718- मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना	मूल 1,400.00	1,400.00	0.00	(-) 1,400.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 09—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2810-102.0412.0718-	मूल	1,500.00	1,500.00	0.00	(-) 1,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना						
2810-102.0413.0718-	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-) 1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना						
2810-105.0101.2304-	मूल	212.47	212.47	70.62	(-) 141.85	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
निदेशन और प्रशासन						
2810-105.0101.5683-	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
उद्योग संवर्धन नीति 2014 में पूंजी अनुदान						
2810-105.0101.5694-	मूल	70.00	70.00	0.00	(-) 70.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
उद्योग संवर्धन नीति 2014 में ब्याज सब्सिडी						
2810-105.0101.9543-	मूल	244.00	244.00	0.00	(-) 244.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
ऊर्जा साक्षरता अभियान						
2810-105.0101.9544-	मूल	200.00	200.00	0.00	(-) 200.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
म.प्र. नवीकरणीय ऊर्जा नीति अंतर्गत सुविधाएँ						
2810-105.0102.9543-	मूल	92.00	92.00	0.00	(-) 92.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
ऊर्जा साक्षरता अभियान						
2810-105.0103.9543-	मूल	64.00	64.00	0.00	(-) 64.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
ऊर्जा साक्षरता अभियान						

अनुदान संख्या 10—वन

(मुख्य शीर्ष- 2055-पुलिस, 2216-आवास, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 3054-सड़क तथा सेतु, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	23,86,51,14			
पूरक	35,41,06	24,21,92,20	19,56,79,77	(-) 4,65,12,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				5,47,18

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,95,01			
पूरक	0	1,95,01	1,26,20	(-) 68,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	15,19,96,61			
पूरक	98,27,00	16,18,23,61	15,87,85,80	(-) 30,37,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 10—वन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 3,541.06 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 46,512.43 लाख की उपलब्ध अत्यधिक बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 547.18 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.001.0101.3555- मुख्यालय स्थापना	मूल	7,209.58	7,209.58	4,063.15	(-) 3,146.43	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 61.32 लाख की समान राशि की वृद्धि तथा कमी हुई। वृद्धि स्थानांतरण यात्रा भत्ता के लंबित देयकों का भुगतान करने, अनुबंध आधार पर कार्य करने वाले तथा स्थायी कर्मचारियों के वेतन भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2406-01.003.0101.4462- वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	मूल पुनर्वि.	3,621.04 (-) 100.00	3,521.04	1,649.37	(-) 1,871.67	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2406-01.003.4462- वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	मूल	201.08	201.08	7.50	(-) 193.58	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2406-01.004.0101.2330- वन मानचित्रों का डिजिटिजेशन	मूल	600.00	600.00	142.54	(-) 457.46	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.101.0101.0812- कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	मूल पूरक पुनर्वि.	1,20,745.71 61.00 100.00	1,20,906.71	96,927.94	(-) 23,978.77	₹ 100.00 लाख का निधि में आवर्धन ₹ 980.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 880.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः स्थायी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, अखिल भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को चिकित्सकीय अग्रिम का भुगतान करने के कारण हुई जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। शेष वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.101.0102.0812- कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	मूल	8,657.23	8,657.23	6,223.01	(-) 2,434.22	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2406-01.101.0430.7882- कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन—संरक्षण समूह	मूल	2,120.00	2,120.00	0.00	(-) 2,120.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2406-01.190.0702.5231- लघु वनोपज संघ को अनुदान	मूल	420.00	420.00	0.00	(-) 420.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2406-01.190.0707.7458- समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केंद्रीय प्रवर्तित)	मूल	105.60	105.60	0.00	(-) 105.60	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 10-वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.190.0705.5231-लघु वनोपज संघ को अनुदान	मूल	280.00	280.00	0.00	(-) 280.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2406-02.110.0101.1122-चीता प्रबंधन योजना	मूल	183.00	183.00	0.00	(-) 183.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2406-02.110.0102.1122-चीता प्रबंधन योजना	मूल	69.00	69.00	0.00	(-) 69.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2406-02.110.0103.1122-चीता प्रबंधन योजना	मूल	48.00	48.00	0.00	(-) 48.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2406-02.110.0701.8862-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का रहवास विकास	मूल पुनर्वि.	879.48 (-) 588.57	290.91	240.04	(-) 50.87	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 588.57 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार से कम स्वीकृतियां प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-02.110.0702.3730-वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	मूल	2,253.07	2,253.07	1,239.77	(-) 1,013.30	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2406-02.110.0702.8862-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का रहवास विकास	मूल	331.20	331.20	120.04	(-) 211.16	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2406-02.110.0705.3730-वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	मूल	1,816.55	1,816.55	1,150.00	(-) 666.55	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2406-02.110.0705.8862-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का रहवास विकास	मूल	230.47	230.47	80.45	(-) 150.02	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2406-02.111.0101.6355-जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना	मूल	1,020.58	1,020.58	625.79	(-) 394.79	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.004.7781- मालिक मकबूजा लकड़ी का क्रय	मूल पुनर्वि.	1,000.00 500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	₹ 500.00 लाख का निधि में आवर्धन भूमिस्वामी/ लोकवाणी के लाभार्थियों से लकड़ी की खरीद के कारण हुआ।
2406-02.110.0704.3730- वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	मूल पुनर्वि.	1,763.08 977.47	2,740.55	2,740.55	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 977.47 लाख का निधि में आवर्धन मूल बजट कम होने पर वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार से अधिक बजट प्राप्त होने के कारण हुआ।
2406-02.110.0706.3730- वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	मूल पुनर्वि.	825.85 240.62	1,066.47	1,066.34	(-) 0.13	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 240.62 लाख का निधि में आवर्धन मूल बजट कम होने के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार से अधिक बजट प्राप्त होने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (5) ₹ 68.81 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.001.0101.3555- मुख्यालय स्थापना	मूल	55.00	55.00	0.00	(-) 55.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 10—वन समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत

- (7) ₹ 3,037.81 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 9,827.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (8) ₹ 3,037.81 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (9) अंतिम निर्धारित तिथि 15.05.2024 पश्चात प्राप्त होने के कारण समर्पण राशि ₹ 7,61,03,00,870 स्वीकृति क्र. कक्ष-3/बजट-1/एक-पुनर्वि.लेखे/2023-24/2011, दिनांक 21.05.2024 को लेखे में शामिल नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 11-औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन

(मुख्य शीर्ष- 2230-श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 6856-पेट्रो-केमिकल उद्योगों के लिये कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,47,07,53			
पूरक	0	10,47,07,53	10,30,13,73	(-) 16,93,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (20 तथ 31 मार्च 2024)				16,91,23

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	25			
पूरक	0	25	0	(-) 25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				25

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,55,00,04			
पूरक	0	9,55,00,04	9,54,41,00	(-) 59,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				59,04

अनुदान संख्या 11—औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन समाप्त

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 1,693.80 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 1,691.23 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) ₹ 1,693.80 लाख की कुल बचत सम्पूर्ण प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम है।

पूंजीगत :

दत्तमत

- (3) ₹ 59.04 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित की गई।
- (4) ₹ 59.04 लाख की कुल बचत सम्पूर्ण प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम है।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2045—वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, 2801—बिजली, 4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6801—बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज)

राजस्व :

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	98,94,51,75			
पूरक	39,49,57,01	1,38,44,08,76	1,36,57,42,17	(-) 1,86,66,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	83,48,44,08			
पूरक	1,33,65,00,01	2,17,13,44,09	12,30,97,56	(-) 2,04,82,46,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

- (1) ₹ 18,666.59 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2023 (₹ 3,19,000.00 लाख) तथा फरवरी 2024 (₹ 75,957.01 लाख) में प्राप्त ₹ 3,94,957.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 18,666.59 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2045-103.0101.4281-संग्रह प्रभार—बिजली शुल्क	मूल 3,741.16	3,741.16	2,856.58	(-) 884.58	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2045-103.5666-विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत विशेष अदालतों का गठन	मूल	1,105.56	1,105.56	741.40	(-) 364.16	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में समान राशि (प्रत्येक ₹ 400.00 लाख) की वृद्धि तथा कमी हुई। वृद्धि विशेष न्यायाधीश विद्युत रेड्डी आयोग के अंतर्गत दूसरी तथा तीसरी किस्त के भुगतान, सातवें सी.पी.सी. के अनुसार बकाया के भुगतान करने हेतु निधि की आवश्यकता के कारण हुई जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2801-80.101.0101.7837-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	मूल	1,69,205.00	1,69,205.00	0.00	(-) 1,69,205.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2801-80.101.0102.7837-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	मूल	79,500.00	79,500.00	0.00	(-) 79,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2801-80.101.0103.7837-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	मूल	51,295.00	51,295.00	0.00	(-) 51,295.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2801-80.101.0101.5381-अटल कृषि ज्योति योजना	मूल पूरक	10,00.00 सांकेतिक	10,00.00	1,70,205.00	+ 1,69,205.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2801-80.101.0102.5378- अटल गृह ज्योति योजना	मूल पूरक	1,33,088.01 सांकेतिक	1,33,088.01	2,12,588.00	+ 79,499.99	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2801-80.101.0103.5378- अटल गृह ज्योति योजना	मूल पूरक	97,777.01 सांकेतिक	97,777.01	1,31,660.00	+ 33,882.99	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

(5) विद्युत ऊर्जा विकास निधि:-

<p>ऊर्जा विकास निधि का गठन सरकार द्वारा किसी उपभोक्ता को बेची या आपूर्ति की गई या स्वयं या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा की कुल इकाइयों पर दस पैसे प्रति यूनिट की दर से लगाए गए ऊर्जा विकास उपकर से किया गया था और इसका उपयोग ऊर्जा (ऊर्जा के सभी पारंपरिक और गैर-पारंपरिक प्रकार शामिल हैं), अनुसंधान एवं विकास योजनओं में विद्युत की उत्पादन क्षमता, पारेषण वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वेक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर राजस्व शीर्ष "0043-विद्युत पर कर एवं शुल्क 800-अन्य प्राप्तियों" में जमा किया जाता है तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के मुख्य शीर्ष "2045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क 103-संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-3218-मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अंतरण" को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।</p> <p>इस निधि में 01 अप्रैल 2023 को ₹ 4,59,204.62 लाख का प्रारंभिक शेष था। वर्ष के दौरान ₹ 78,078.18 लाख राशि निधि में जमा की गई एवं राशि ₹ 39,628.00 लाख निधि में से व्यय की गई। 31 मार्च 2024 को निधि में ₹ 4,97,654.80 लाख का अंतशेष था।</p> <p>इस निधि के लेन-देन मुख्य शीर्ष "8229 विकास एवं कल्याण निधि 110-विद्युत विकास निधि" के अंतर्गत सम्मिलित हैं, जिसका लेखा वित्त लेखे 2023-24 के विवरण संख्या 21 में दिया गया है।</p>
--

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा जारी

पूँजीगत :

- (6) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 13,36,500.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (7) ₹ 20,48,246.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4801-05.190.0101.2051-विद्युत वितरण कंपनियाँ को उदय योजना के तहत अंशपूँजी का प्रदाय	पूरक	13,36,500.00	13,36,500.00	0.00	(-) 13,36,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4801-05.190.0101.7837-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	मूल	2,27,334.50	2,27,334.50	0.00	(-) 2,27,334.50	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4801-05.190.0102.7837-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	मूल	97,563.50	97,563.50	0.00	(-) 97,563.50	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4801-05.190.0103.7837-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	मूल	68,602.00	68,602.00	0.00	(-) 68,602.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4801-05.190.0410.7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	मूल	15,000.00	15,000.00	0.00	(-) 15,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4801-05.190.0410.9654-	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-) 1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
स्मार्ट मीटर एवं स्काडा योजना हेतु अंशपूँजी						
4801-05.190.0701.9542-	मूल	1,41,600.00	1,41,600.00	72,432.61	(-) 69,167.39	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)						
4801-05.190.0702.9542-	मूल	50,240.00	50,240.00	3,130.00	(-) 47,110.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)						
4801-05.190.0703.9542-	मूल	36,540.00	36,540.00	2,397.33	(-) 34,142.67	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)						
4801-05.190.0705.9542-	मूल	3,350.00	3,350.00	0.00	(-) 3,350.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)						
4801-05.190.0706.9542-	मूल	2,436.00	2,436.00	0.00	(-) 2,436.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)						
6801-205.1201.0700-	मूल	1,000.00	1,000.00	195.49	(-) 804.51	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
ग्रीन कॉरिडोर						
6801-205.1201.6929-	मूल	2,300.00	2,300.00	1,147.43	(-) 1,152.57	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण						
6801-205.1201.9655-	मूल	4,000.00	4,000.00	0.00	(-) 4,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
स्मार्ट मीटर एवं स्काडा योजना हेतु ऋण						
4801-05.190.1901.9542-	मूल	60,000.00	60,000.00	0.00	(-) 60,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)						
4801-05.190.1902.9542-	मूल	29,000.00	29,000.00	0.00	(-) 29,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)						

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4801-05.190.1903.9542-रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)	मूल	20,000.00	20,000.00	0.00	(-) 20,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
6801-190.0101.5336-विद्युत गृहों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य	मूल	30,000.00	30,000.00	0.00	(-) 30,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
6801-190.0101.7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	मूल	25,000.00	25,000.00	0.00	(-) 25,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
6801-190.0102.7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	मूल	8,000.00	8,000.00	0.00	(-) 8,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
6801-190.0103.7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	मूल	8,500.00	8,500.00	0.00	(-) 8,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

(9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6801-190.1901.9542-रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)	पूरक	सांकेतिक	0.00	7,648.79	+ 7,648.79	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
6801-204.0101.6869-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना	पूरक	0.00	0.00	98,488.01	+ 98,488.01	आधिक्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के समायोजन हेतु किये गये व्यय के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास

(मुख्य शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2702-लघु सिंचाई, 2801-बिजली, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,69,81,00,52			
पूरक	77,46,50,01	2,47,27,50,53	2,13,79,16,45	(-) 33,48,34,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				33,48,33,74

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	45,00			
पूरक	0	45,00	1,54	(-) 43,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				43,46

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	15,00,01			
पूरक	0	15,00,01	0	(-) 15,00,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				15,00,01

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 3,34,834.08 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त ₹ 7,74,650.01 लाख (जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 7,74,650.00 लाख तथा फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 0.01 लाख) का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 3,34,834.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को ₹ 3,34,833.74 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-001.0119- अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)	मूल पुनर्वि.	59,823.63 (-) 23,533.15	36,290.48	36,288.95	(-) 1.53	₹ 23,533.15 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 23,542.15 लाख कमी (समर्पण ₹ 23,533.15 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 9.00 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अतिरिक्त निधि तथा वेतन मदों की आवश्यकता के कारण जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-102.0101.9899- ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना	मूल पुनर्वि.	21,700.00 (-) 21,700.00	0.00	0.00	0.00	₹ 21,700.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा योजना सम्बन्धी नीतियों के निर्धारण नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-102.0102.9899- ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना	मूल पुनर्वि.	7,700.00 (-) 7,700.00	0.00	0.00	0.00	₹ 7,700.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा योजना सम्बन्धी नीतियों के निर्धारण नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-102.0103.9899- ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना	मूल पुनर्वि.	5,600.00 (-) 5,600.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,600.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा योजना सम्बन्धी नीतियों के निर्धारण नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-102.0701.7501- फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी	मूल पुनर्वि.	14,509.62 (-) 6,247.12	8,262.50	8,262.50	0.00	₹ 6,247.12 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 1,512.75 लाख + समर्पण ₹ 4,734.37 लाख) प्रावधान के अनुरूप प्राप्ति नहीं होने तथा समर्पण के रूप में भारत सरकार से स्वीकृति नहीं प्राप्त होने के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2401-102.0702.7501- फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी	मूल पुनर्वि.	5,312.99 (-) 2,558.81	2,754.18	2,754.18	0.00	समर्पण में रूप में ₹ 2,558.81 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान के अनुरूप प्राप्ति नहीं होने तथा भारत सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2401-102.0702.7717- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	198.51 (-) 198.51	0.00	0.00	0.00	समर्पण में रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 198.51 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान के अनुरूप प्राप्ति नहीं होने तथा भारत सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2401-102.0704.7501- फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी	मूल पुनर्वि.	9,673.08 (-) 4,164.75	5,508.33	5,508.33	0.00	₹ 4,164.75 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 1,008.50 लाख + समर्पण ₹ 3,156.25 लाख) प्रावधान के अनुरूप प्राप्ति नहीं होने तथा समर्पण के रूप में भारत सरकार से स्वीकृति नहीं प्राप्त होने के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2401-102.0705.7501- फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी	मूल पुनर्वि.	3,542.01 (-) 1,705.89	1,836.12	1,836.12	0.00	समर्पण में रूप में ₹ 1,705.89 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान के अनुरूप प्राप्ति नहीं होने तथा भारत सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-105.0702.1227-परंपरागत कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	285.66 (-) 283.66	2.00	2.00	0.00	समर्पण में रूप में ₹ 283.66 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान के अनुरूप प्राप्ति नहीं होने तथा भारत सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2401-105.0704.1227-परंपरागत कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	426.79 (-) 422.79	4.00	4.00	0.00	समर्पण में रूप में ₹ 422.79 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान के अनुरूप प्राप्ति नहीं होने तथा भारत सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2401-109.0101.9530-प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन हेतु प्रचार प्रसार योजना	मूल पुनर्वि.	1,860.00 (-) 1,860.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण में रूप में ₹ 1,860.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारी 1402 को राशि जारी नहीं करने के कारण हुई।
2401-109.0101.9531-एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	मूल पुनर्वि.	310.00 (-) 310.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण में रूप में ₹ 310.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन पश्चात वित्त पोषित होने तथा राशि को आहरण में रखने के कारण हुई।
2401-109.0101.9538-निर्यात प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	682.00 (-) 682.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण में रूप में ₹ 682.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत मंडी बोर्ड द्वारा मांग के अभाव के कारण हुई।
2401-109.0101.9901-राज्य कृषि वानिकी योजना	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 1,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण में रूप में ₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत परियोजना समीक्षा समिति द्वारा परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया में विलम्ब के कारण हुई।
2401-109.0102.9530-प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन हेतु प्रचार प्रसार योजना	मूल पुनर्वि.	510.00 (-) 510.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण में रूप में ₹ 510.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारी 1402 को राशि जारी नहीं करने के कारण हुई।
2401-109.0103.9530-प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन हेतु प्रचार प्रसार योजना	मूल पुनर्वि.	630.00 (-) 630.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण में रूप में ₹ 630.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारी 1402 को राशि जारी नहीं करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-109.0103.9531- एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	मूल पुनर्वि.	105.00 (-) 105.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण में रूप में ₹ 105.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।
2401-109.0103.9538- निर्यात प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	231.00 (-) 231.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण में रूप में ₹ 231.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत मंडी बोर्ड द्वारा मांग के अभाव के कारण हुई।
2401-109.0701.7492- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा)	मूल पुनर्वि.	5,555.51 (-) 3,374.19	2,181.32	2,181.32	0.00	₹ 3,374.19 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 2,200.00 लाख + समर्पण ₹ 1,174.19 लाख) प्रावधान के अनुरूप प्राप्ति नहीं होने तथा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं ऑब्जेक्ट शीर्ष में राशि शेष होने के कारण हुई।
2401-109.0701.7494- सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल	मूल पुनर्वि.	3,185.26 (-) 2,818.05	367.21	367.21	0.00	समर्पण में रूप में ₹ 2,818.05 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान के अनुरूप प्राप्ति नहीं होने तथा भारत सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2401-109.0701.9920- नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग	मूल पुनर्वि.	732.00 (-) 732.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण में रूप में ₹ 732.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रावधान के अनुरूप प्राप्ति नहीं होने तथा भारत सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2401-109.0702.7493- नेशनल ई गवर्नेंस प्लान	मूल पूरक पुनर्वि.	36.07 66.00 (-) 102.07	0.00	0.00	0.00	समर्पण में रूप में ₹ 102.07 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रावधान के अनुरूप प्राप्ति नहीं होने तथा भारत सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2401-109.0702.9920- नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग	मूल पुनर्वि.	276.00 (-) 276.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण में रूप में ₹ 276.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कार्य योजना हेतु स्वीकृति प्राप्ति नहीं होने तथा भारत सरकार द्वारा राशि जारी नहीं किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-109.0704.7492-सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा)	मूल पुनर्वि.	3,703.67 (-) 2,249.46	1,454.21	1,454.21	0.00	₹ 2,249.46 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 1,500.00 लाख + समर्पण ₹ 749.46 लाख) प्रावधान के अनुरूप प्राप्ति नहीं होने तथा समर्पण के रूप में भारत सरकार से स्वीकृति नहीं प्राप्त होने के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2401-110.0101.8768-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	1,22,094.61 (-) 48,544.56	73,550.05	73,550.05	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 48,544.56 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति पश्चात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रद्द किये जाने के कारण हुई।
2401-113.0101.9598-प्राथमिक प्रसंस्करण को प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	1,220.00 (-) 1,220.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,220.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2401-113.0701.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	2,700.02 (-) 2,700.02	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,700.02 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत एस.एन.ए. को भारत सरकार द्वारा निधि आवंटन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास निदेशालय द्वारा राशि के आहरण तथा वित्त विभाग द्वारा बनाये गए प्रावधानों के विरुद्ध राशि का व्यय नहीं होने के कारण हुई।
2401-113.0704.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	1,800.02 (-) 1,800.02	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,800.02 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत एस.एन.ए. को भारत सरकार द्वारा निधि आवंटन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास निदेशालय द्वारा राशि के आहरण तथा वित्त विभाग द्वारा बनाये गए प्रावधानों के विरुद्ध राशि का व्यय नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-113.0706.7501- फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्वोरिटी	मूल पुनर्वि.	128.00 (-) 128.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 128.00 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत एस.एन.ए. को भारत सरकार द्वारा निधि आवंटन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास निदेशालय द्वारा राशि के आहरण तथा वित्त विभाग द्वारा बनाये गए प्रावधानों के विरुद्ध राशि का व्यय नहीं होने के कारण हुई।
2408-01.102.7847- मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना	मूल पुनर्वि.	1,00,000.00 (-) 79,989.67	20,010.33	20,010.33	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 79,989.67 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारी 1402 को राशि जारी नहीं करने के कारण हुई।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-102.0701.7498- सब मिशन ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट	मूल पूरक पुनर्वि.	1,874.92 1,264.80 2,899.28	6,039.00	6,039.00	0.00	₹ 2,899.28 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,899.32 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 0.04 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भारत सरकार द्वारा द्वितीय चरण में राशि प्राप्त होने जबकि कमी प्रावधान के अनुरूप प्राप्ति नहीं होने तथा भारत सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2401-102.0701.7499- स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट अंडर आर.के.वी.वाय.	मूल पुनर्वि.	366.07 2,144.68	2,510.75	2,510.75	0.00	₹ 2,144.68 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,144.75 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 0.07 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भारत सरकार द्वारा द्वितीय चरण में राशि प्राप्त होने जबकि कमी प्रावधान के अनुरूप प्राप्ति नहीं होने तथा भारत सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। शेष वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-102.0703.7498- सब मिशन ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट	मूल	531.26	1,493.00	1,493.00	0.00	₹ 635.34 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 635.38 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 0.04 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भारत सरकार द्वारा द्वितीय चरण में राशि प्राप्त होने जबकि कमी प्रावधान के अनुरूप प्राप्ति नहीं होने तथा भारत सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	पूरक	326.40				
	पुनर्वि.	635.34				
2401-102.0704.7499- स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट अंडर आर.के.वी.वाय.	मूल	244.07	1,673.83	1,673.83	0.00	₹ 1,429.76 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,429.83 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 0.07 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भारत सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत राशि जारी करने पर अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी प्रावधान के अनुरूप प्राप्ति नहीं होने तथा भारत सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। शेष वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
	पुनर्वि.	1,429.76				

प्रभारित

(5) ₹ 43.46 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित की गई।

(6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-001.0119- अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)	मूल	35.00	0.90	0.90	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 34.10 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन शीर्ष के अंतर्गत विभाग में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा कार्यालय व्यय तथा तिमाही व्यय सीमा पर प्रतिबन्ध के कारण हुई।
	पुनर्वि.	(-) 34.10				

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत

- (7) ₹ 1,500.01 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित की गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4401-800.0101.9576- कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना विकास	मूल पुनर्वि.	915.00 (-) 915.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 915.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4401-800.0102.9576- कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना विकास	मूल पुनर्वि.	345.00 (-) 345.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 345.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4401-800.0103.9576- कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना विकास	मूल पुनर्वि.	240.00 (-) 240.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 240.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी

(मुख्य शीर्ष—2403—पशुपालन, 4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	14,78,16,80			
पूरक	86,15,72	15,64,32,52	11,16,59,76	(-) 4,47,72,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				4,47,71,16

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में दर्शाये गये व्यय (₹ 11,16,59,75,838) में दिनांक 21.09.2023 को कुल स्वीकृत ₹ 1,15,70,000 में आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम ₹ 1,15,70,000 का व्यय भी सम्मिलित है। वर्ष के दौरान राशि की निधि में प्रतिपूर्ति कर ली गई है।

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	13,88			
पूरक	0	13,88	1,45	(-) 12,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				12,43

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	13,83,32			
पूरक	5,00,00	18,83,32	5,83,13	(-) 13,00,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				13,00,19

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 8,615.72 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 44,772.76 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को ₹ 44,771.16 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-001.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	1,161.00 (-) 665.81	495.19	495.19	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 665.81 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
2403-001.0102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	473.00 (-) 319.48	153.52	153.52	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 319.48 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
2403-001.0103.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	366.00 (-) 297.08	68.92	68.92	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 297.08 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
2403-001.0702.7595- राष्ट्रीय पशुधन मिशन	मूल पुनर्वि.	270.72 (-) 240.72	30.00	30.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 240.72 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा जारी राशि के अनुपात में आहरण करने के कारण हुई।
2403-001.0705.7595- राष्ट्रीय पशुधन मिशन	मूल पुनर्वि.	180.48 (-) 160.50	19.98	19.98	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 160.50 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा जारी राशि के अनुपात में आहरण करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-001.1468- जिला एवं संभागीय स्तर	मूल पुनर्वि.	4,844.23 (-) 686.23	4,158.00	4,157.57	(-) 0.43	₹ 686.23 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 46.50 लाख की वृद्धि तथा ₹ 732.73 लाख की कमी (पुनर्विनियोजन ₹ 5.50 लाख + समर्पण ₹ 727.23 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि करों के भुगतान, भवनों के किराये, नगर पालिका के लंबित बकाए तथा बिजली शुल्क भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने, पद रिक्तियों तथा सेवानिवृत्ति एवं सरकार द्वारा मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2403-001.4297- संचालनालय स्तर	मूल पुनर्वि.	1,141.17 (-) 221.74	919.43	919.43	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 221.74 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः न्यायिक मामलों में भुगतान नहीं होने से हुई बचत, रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने, सरकार द्वारा मंहगाई भत्ते में वृद्धि नहीं करने तथा व्यय सीमा दर्शित नहीं होने के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2403-101.0101.1443- मुख्यमंत्री सहकारिता दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना	पूरक पुनर्वि.	620.00 (-) 620.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 620.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना स्वीकृत नहीं होने के कारण हुई।
2403-101.0101.9612- मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	9,150.00 3,100.00 (-) 10,125.99	2,124.01	2,124.51	+ 0.50	₹ 10,125.99 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 2,774.86 लाख + समर्पण ₹ 7,351.13 लाख) अंशतः अद्यतन व्यय की गणना करने के पश्चात हुई बचत तथा वित्त विभाग द्वारा योजना के पुनर्विनियोजन हेतु अनुमति नहीं मिलने के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत तथा अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-101.0102.1443- मुख्यमंत्री सहकारिता दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना	पूरक पुनर्वि.	220.00 (-) 220.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 220.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना स्वीकृत नहीं होने के कारण हुई।
2403-101.0102.9612- मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	3,450.00 1,100.00 (-) 3,349.46	1,200.54	1,200.54	0.00	₹ 3,349.46 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 16.00 लाख + समर्पण ₹ 3,333.46 लाख) अंशतः वित्त विभाग द्वारा योजना में पुनर्विनियोजन हेतु स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2403-101.0103.1443- मुख्यमंत्री सहकारिता दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना	पूरक पुनर्वि.	160.00 (-) 160.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 160.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना स्वीकृत नहीं होने के कारण हुई।
2403-101.0103.9612- मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	2,400.00 800.00 (-) 2,702.45	497.55	497.55	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,702.45 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा योजना में पुनर्विनियोजन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2403-101.0701.0752- पी.पी.आर. रोग नियंत्रण	मूल पुनर्वि.	66.93 (-) 66.93	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 66.93 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि नहीं प्राप्त होने पर बचत के कारण हुई।
2403-101.0702.0752- पी.पी.आर. रोग नियंत्रण	मूल पुनर्वि.	58.34 (-) 58.34	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 58.34 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि नहीं प्राप्त होने के कारण हुई।
2403-101.0704.0752- पी.पी.आर. रोग नियंत्रण	मूल पुनर्वि.	68.37 (-) 68.37	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 68.37 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि नहीं प्राप्त होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-101.0706.1458- महत्वपूर्ण पशुरोगों की विधिवत रोकथाम	मूल पुनर्वि.	211.00 (-) 118.79	92.21	92.21	0.00	₹ 118.79 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 0.18 लाख + समर्पण ₹ 118.61 लाख) भारत सरकार से राशि नहीं प्राप्त होने के कारण हुई।
2403-102.0102.1108- गहन पशु विकास परियोजना	मूल पुनर्वि.	17,653.48 (-) 4,001.74	13,651.74	13,651.25	(-) 0.49	समर्पण के रूप में ₹ 4,001.74 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः पद रिक्तियों तथा सेवानिवृत्ति एवं सरकार द्वारा मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ाने, कर्मचारियों की संख्या के अनुरूप व्यय होने, संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने, भारत सरकार द्वारा एनएआईपी योजना के तहत जमे हुए सीमेन उपलब्ध करवाने तथा बकाए का भुगतान नहीं होने के कारण हुई। शेष समर्पण तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2403-102.0103.1108- गहन पशु विकास परियोजना	मूल पुनर्वि.	10,545.65 (-) 2,584.45	7,961.20	7,960.81	(-) 0.39	समर्पण के रूप में ₹ 2,584.45 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 2,605.45 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2,584.45 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 21.00 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि लंबित बिजली शुल्क के भुगतान के कारण आवश्यक राशि जबकि कमी संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने, पद रिक्तियों तथा सेवानिवृत्ति एवं सरकार द्वारा मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ाने, कर्मचारियों की संख्या के अनुरूप व्यय होने, भारत सरकार द्वारा एनएआईपी योजना के तहत जमे हुए सीमेन उपलब्ध करवाने तथा बकाए का भुगतान नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-102.2567- पशु प्रजनन प्रक्षेत्र	मूल पुनर्वि.	1,710.61 (-) 408.23	1,302.38	1,302.38	0.00	₹ 408.23 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 458.23 लाख की कमी (समर्पण ₹ 408.23 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 50.00 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि जनवरी तथा फरवरी माह के वेतन बिलों के लिए आवश्यक राशि के कारण तथा अनुकम्पा अनुदान के भुगतान के कारण उपलब्ध प्रावधानों में कमी के कारण हुई जबकि कमी अद्यतन व्यय की गणना के कारण हुई। समर्पण अंशतः कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने, पद रिक्तियों तथा सेवानिवृत्ति एवं सरकार द्वारा मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ाने, कर्मचारियों की संख्या के अनुरूप व्यय होने के कारण निधि में राशि की बचत के कारण हुई।
2403-103.3578- मुर्गी पालन विकास प्रक्षेत्र	मूल पुनर्वि.	2,613.33 (-) 281.23	2,332.10	2,332.09	(-) 0.01	₹ 281.23 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 115.53 लाख की वृद्धि तथा ₹ 396.76 लाख की कमी (पुनर्विनियोजन ₹ 5.53 लाख + समर्पण ₹ 391.23 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि स्वीकृति पश्चात लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए निधि की आवश्यकता, संविदा पर खेतों में लंबित कार्यों के भुगतान, तथा पक्षियों के दाने हेतु लंबित बिल के कारण जबकि कमी अंशतः अद्यतन व्यय की गणना के कारण, कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने, पद रिक्तियों तथा सेवानिवृत्ति एवं सरकार द्वारा मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ाने तथा कर्मचारियों की संख्या के अनुरूप व्यय होने के कारण हुई। शेष कमी तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-101.0101.3786- रोग उन्मूलन इकाई	मूल पुनर्वि.	1,097.57 (-) 48.16	1,049.41	1,049.41	0.00	₹ 48.16 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.50 लाख की वृद्धि तथा ₹ 78.66 लाख की कमी (पुनर्विनियोजन ₹ 30.50 लाख + समर्पण ₹ 48.16 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन शीर्ष के अंतर्गत भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता तथा फरवरी माह के वेतन भुगतान के कारण जबकि कमी अंशतः अद्यतन व्यय की गणना के कारण, कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने, पद रिक्तियों तथा सेवानिवृत्ति एवं सरकार द्वारा मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ाने तथा कर्मचारियों की संख्या के अनुरूप व्यय होने के कारण हुई। शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2403-101.0102.3786- रोग उन्मूलन इकाई	मूल पुनर्वि.	544.32 (-) 110.41	433.91	434.07	+ 0.16	₹ 110.41 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8.84 लाख की वृद्धि तथा ₹ 119.25 लाख की कमी (पुनर्विनियोजन ₹ 8.84 लाख + समर्पण ₹ 110.41 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन शीर्ष के अंतर्गत भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता, स्वीकृति पश्चात् चिकित्सा प्रतिपूर्ति बकाया के भुगतान तथा फरवरी माह के वेतन भुगतान के कारण जबकि कमी अंशतः अद्यतन व्यय की गणना के कारण, कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने, पद रिक्तियों तथा सेवानिवृत्ति एवं सरकार द्वारा मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ाने तथा कर्मचारियों की संख्या के अनुरूप व्यय होने के कारण हुई। शेष कमी तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-107.0701.7595- राष्ट्रीय पशुधन मिशन	मूल पुनर्वि.	1,159.78 (-) 879.78	280.00	280.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 879.78 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा जारी निधि के अनुपात में आहरण होने के कारण हुई।
2403-107.0704.7595- राष्ट्रीय पशुधन मिशन	मूल पुनर्वि.	773.19 (-) 586.49	186.70	186.70	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 586.49 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा जारी निधि के अनुपात में आहरण होने के कारण हुई।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-101.0701.1458- महत्वपूर्ण पशुरोगों की विधिवत रोकथाम	मूल पुनर्वि.	265.40 468.72	734.12	734.12	0.00	₹ 468.72 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 516.63 लाख की वृद्धि एवं ₹ 47.91 लाख कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश से आवश्यकतावश 60 प्रतिशत आहरण के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2403-102.0101.5418- सॉर्टेड सेक्सड सीमेन परियोजना	मूल पुनर्वि.	0.01 999.99	1,000.00	1,000.00	0.00	₹ 999.99 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 0.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सॉर्टेड सीमेन डोज के विस्तार के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-113.0704.1971- दुग्ध, अंडा, ऊन एवं मांस के उपलब्धता के अनुमान	मूल	0.05	115.70	115.70	0.00	₹ 57.80 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 57.85 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 0.05 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
	पूरक	57.85				
	पुनर्वि.	57.80				
2403-800.0101.2087- आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना	मूल	500.20	1,400.16	1,400.16	0.00	₹ 899.96 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 100.04 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सॉर्टेड सीमेन डोज के विस्तार के कारण जबकि कमी 20 प्रतिशत कटौती के प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि.	899.96				

प्रभारित

- (5) ₹ 12.43 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित की गई।
 (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-001.4297- संचालनालय स्तर	मूल	13.88	1.45	1.45	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 12.43 लाख की प्रत्याशित बचत न्यायिक मामलों के भुगतान नहीं होने पर बचत के कारण हुई।
	पुनर्वि.	(-) 12.43				

पूंजीगत :

दत्तमत

- (7) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
 (8) ₹ 1,300.19 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 14-पशुपालन एवं डेयरी समाप्त

(9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4403-101.0101.9588- पशु चिकित्सालय एवं अन्य भवनों का अधोसंरचना विकास	मूल पुनर्वि.	530.00 (-) 129.54	400.46	400.46	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 129.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4403-102.0101.7153- गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन	पूरक पुनर्वि.	310.00 (-) 310.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 310.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत विभाग द्वारा निधि की आवश्यकता नहीं होने पर भी वित्त विभाग द्वारा द्वितीय अनुपूरक में राशि उपलब्ध कराने के कारण हुई।
4403-102.0102.7153- गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन	पूरक पुनर्वि.	110.00 (-) 110.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 110.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत विभाग द्वारा निधि की आवश्यकता नहीं होने पर भी वित्त विभाग द्वारा द्वितीय अनुपूरक में राशि उपलब्ध कराने के कारण हुई।
4403-800.0101.7482- गौ अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केंद्र	मूल पुनर्वि.	505.01 (-) 372.09	132.92	132.92	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 372.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 15—घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग

(मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	33,58,99			
पूरक	1	33,59,00	19,26,58	(-) 14,32,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,16,07			
पूरक	0	9,16,07	6,08,60	(-) 3,07,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 15—घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 1,432.42 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
 (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.102.0103.4049- विमुक्त जातियों को रोजगार सहायता	मूल	162.00	162.00	50.00	(-) 112.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.196.0103.7393- विमुक्त जाति छात्रावास	मूल	525.00	525.00	460.12	(-) 64.88	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2225-01.277.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	183.75	183.75	0.00	(-) 183.75	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.277.0103.7393- विमुक्त जाति छात्रावास	मूल	1,777.46	1,777.46	993.56	(-) 783.90	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूंजीगत :

दत्तमत

- (3) ₹ 307.47 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
 (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-01.800.0102.7397- विमुक्त जातियों की बस्तियों का विकास	मूल	166.07	166.07	134.82	(-) 31.25	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 15—घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-01.800.0103.7393- विमुक्त जाति छात्रावास	मूल	400.00	400.00	201.78	(-) 198.22	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4225-01.800.0103.7397- विमुक्त जातियों की बस्तियों का विकास	मूल	125.00	125.00	94.97	(-) 30.03	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास

(मुख्य शीर्ष— 2405-मछली उद्योग, 4405—मछली उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,25,34,12			
पूरक	0	2,25,34,12	1,21,37,01	(-) 1,03,97,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (15 जनवरी 2024)				12,47,28

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	9,06	(-) 94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 10,397.11 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 15 जनवरी 2024 को केवल ₹ 1,247.28 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2405-101.0101.9613-मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना	मूल	3,050.00	3,050.00	188.11	(-) 2,861.89	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2405-101.0102.9613-मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना	मूल	1,150.00	1,150.00	49.79	(-) 1,100.21	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2405-101.0103.9613-मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना	मूल	800.00	800.00	25.73	(-) 774.27	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2405-101.0701.7858-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	मूल	3,538.00	3,538.00	2,136.27	(-) 1,401.73	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2405-101.0702.7858-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	मूल	1,334.00	1,334.00	903.24	(-) 430.76	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2405-101.0703.7858-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	मूल	928.00	928.00	624.05	(-) 303.95	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2405-101.0704.7858-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	मूल	2,358.67	2,358.67	1,541.63	(-) 817.04	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2405-101.0705.7858- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	मूल	889.33	889.33	602.16	(-) 287.17	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2405-101.0162- मत्स्यउद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला	मूल पुनर्वि.	5,572.93 (-) 959.58	4,613.35	4,044.43	(-) 568.92	₹ 959.58 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 46.00 लाख + समर्पण ₹ 913.58 लाख) पुनर्विनियोजन हेतु आवश्यकतानुसार व्यय के कारण तथा समर्पण लंबित देयता नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

पूंजीगत :

दत्तमत

(3) ₹ 0.01 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 17-सहकारिता

(मुख्य शीर्ष- 2425-सहकारिता, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 6425-सहकारिता के लिये कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	8,83,85,25			
पूरक	सांकेतिक	8,83,85,25	7,65,59,79	(-) 1,18,25,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				87,09,53

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	12,00			
पूरक	0	12,00	0	(-) 12,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				12,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	15,00,50,03			
पूरक	5,00,00,01	20,00,50,04	15,00,05,00	(-) 5,00,45,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				45,04

अनुदान संख्या 17—सहकारिता जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 11,825.46 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 8,709.53 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-001.0101.0123-स्थापना व्यय	मूल पुनर्वि.	7,751.68 (-) 2,495.26	5,256.42	5,247.90	(-) 8.52	समर्पण के रूप में ₹ 2,495.26 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2425-001.0101.2294-संचालनालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,414.14 (-) 541.94	872.20	829.80	(-) 42.40	₹ 541.94 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 521.94 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 20.00 लाख) संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2425-001.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	91.50 (-) 73.20	18.30	0.00	(-) 18.30	समर्पण के रूप में ₹ 73.20 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2425-101.0359-ऑडिट बोर्ड	मूल पुनर्वि.	7,751.35 (-) 3,087.09	4,664.26	4,663.56	(-) 0.70	समर्पण के रूप में ₹ 3,087.09 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2425-107.0101.2341-मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना	मूल	772.91	772.91	67.06	(-) 705.85	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2425-107.0102.2341-मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना	मूल	291.42	291.42	0.00	(-) 291.42	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2425-107.0103.2341-मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना	मूल	202.73	202.73	0.00	(-) 202.73	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-107.0102.9254-सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	13,800.00 (-) 6,400.84	7,399.16	6,122.16	(-) 1,277.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,400.84 लाख की प्रत्याशित बचत योजना में निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2425-107.0103.9254-सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	9,600.00 (-) 6,804.70	2,795.30	2,444.08	(-) 351.22	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,804.70 लाख की प्रत्याशित बचत योजना में निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2425-107.0701.1081-प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र प्रवर्तित)	मूल पुनर्वि.	2,928.00 (-) 809.45	2,118.55	1,532.95	(-) 585.60	समर्पण के रूप में ₹ 809.45 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से पहली, दूसरी तथा तीसरी किश्त प्राप्त कर एसएनए खातों में हस्तांतरण के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2425-107.0702.1081-प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र प्रवर्तित)	मूल पुनर्वि.	1,104.00 (-) 322.03	781.97	561.17	(-) 220.80	समर्पण के रूप में ₹ 322.03 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से पहली, दूसरी तथा तीसरी किश्त प्राप्त कर एसएनए खातों में हस्तांतरण के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2425-107.0703.1081-प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र प्रवर्तित)	मूल पुनर्वि.	768.00 (-) 215.52	552.48	398.88	(-) 153.60	समर्पण के रूप में ₹ 215.52 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से पहली, दूसरी तथा तीसरी किश्त प्राप्त कर एसएनए खातों में हस्तांतरण के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2425-107.0704.1081-प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र प्रवर्तित)	मूल पुनर्वि.	1,952.00 (-) 539.63	1,412.37	1,021.97	(-) 390.40	समर्पण के रूप में ₹ 539.63 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से पहली, दूसरी तथा तीसरी किश्त प्राप्त कर एसएनए खातों में हस्तांतरण के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-107.0705.1081- प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र प्रवर्तित)	मूल पुनर्वि.	736.00 (-) 214.69	521.31	374.11	(-) 147.20	समर्पण के रूप में ₹ 214.69 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से पहली, दूसरी तथा तीसरी किश्त प्राप्त कर एसएनए खातों में हस्तांतरण के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2425-107.0706.1081- प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र प्रवर्तित)	मूल पुनर्वि.	512.00 (-) 143.68	368.32	265.92	(-) 102.40	समर्पण के रूप में ₹ 143.68 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से पहली, दूसरी तथा तीसरी किश्त प्राप्त कर एसएनए खातों में हस्तांतरण के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-107.0101.5006- प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	मूल पुनर्वि.	671.00 (-) 33.17	637.83	5,581.13	+ 4,943.30	समर्पण के रूप में ₹ 33.17 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक गणना के आधार पर बजट आवंटन तथा जिलों द्वारा निधि के उपयोग/आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2425-107.0102.5006- प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	मूल पुनर्वि.	253.00 (-) 0.37	252.63	1,475.08	+ 1,222.45	समर्पण के रूप में ₹ 0.37 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक गणना के आधार पर बजट आवंटन तथा जिलों द्वारा निधि के उपयोग/आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2425-107.0103.5006- प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	मूल पुनर्वि.	176.00 (-) 73.84	102.16	418.18	+ 316.02	समर्पण के रूप में ₹ 73.84 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक गणना के आधार पर बजट आवंटन तथा जिलों द्वारा निधि के उपयोग/आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता समाप्त

प्रभारित

(4) ₹ 12.00 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित की गई।

पूंजीगत :

दत्तमत

- (5) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2023 में (₹ 50,000.00 लाख) तथा फरवरी 2024 (₹ 0.01 लाख) में प्राप्त ₹ 50,000.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 50,045.04 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 45.04 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4425-107.0101.5318- सहकारी बैंकों को अंशपूंजी	मूल पूरक	91,500.00 50,000.00	1,41,500.00	91,500.00	(-) 50,000.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4425-107.0101.6684- नवीन सहकारी संस्थाओं को अंशपूंजी सहायता	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 45.00	5.00	5.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 45.00 लाख की प्रत्याशित बचत संस्थानों से मांग नहीं प्राप्त होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 18-श्रम

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2230-श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,44,19,03			
पूरक	3,16,25,00	12,60,44,03	9,53,44,40	(-) 3,06,99,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				20,93,55

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	17,00			
पूरक	0	17,00	0	(-) 17,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	50,00			
पूरक	0	50,00	3	(-) 49,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 18—श्रम जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 30,699.63 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2023 (₹ 31,500.00 लाख) तथा फरवरी 2024 (₹ 125.00 लाख) में प्राप्त ₹ 31,625.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 30,699.63 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 2,093.55 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.102.0791- कर्मचारी राज्य बीमा योजना	मूल	25,529.88	25,529.88	17,953.23	(-) 7,576.65	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2230-01.101.0712- औद्योगिक न्यायालय	मूल पुनर्वि.	803.29 (-) 55.00	748.29	526.65	(-) 221.64	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 55.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2230-01.001.4268- श्रम आयुक्त	मूल पुनर्वि.	850.21 (-) 367.11	483.10	467.39	(-) 15.71	₹ 367.11 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 2.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 369.11 लाख की कमी (पुनर्विनियोजन ₹ 2.00 लाख + समर्पण ₹ 367.11 लाख) का निवल प्रभाव था। कमी चिकित्सकीय बिलों के प्राप्त नहीं होने जबकि वृद्धि हस्तांतरण यात्रा भत्ता के भुगतान के कारण हुई। कमी तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2230-01.103.4270- श्रम कल्याण निधि में योगदान	मूल	220.00	220.00	176.00	(-) 44.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2230-01.102.5810- औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	मूल पुनर्वि.	1,205.37 (-) 509.43	695.94	682.52	(-) 13.42	समर्पण के रूप में ₹ 509.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 18—श्रम समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2230-01.112.0101.2365- मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना	मूल पूरक	36,600.00 19,215.00	55,815.00	43,310.00	(-) 12,505.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2230-01.112.0102.2365- मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना	मूल पूरक	13,800.00 7,245.00	21,045.00	16,330.00	(-) 4,715.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2230-01.112.0103.2365- मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना	मूल पूरक	9,600.00 5,040.00	14,640.00	11,360.00	(-) 3,280.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

प्रभारित

(4) ₹ 17.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत :

दत्तमत

(5) ₹ 49.97 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-01.102.0791- कर्मचारी राज्य बीमा योजना	मूल	50.00	50.00	0.03	(-) 49.97	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211—परिवार कल्याण, 2216—आवास, 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,09,18,25, 94			
पूरक	13,43,55,60	1,22,61,81,54	1,08,03,68, 21	(-) 14,58,13,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	50			
पूरक	0	50	0	(-) 50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,69,47,08			
पूरक	71,71,67	11,41,18,75	10,88,62,67	(-) 52,56,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः जुलाई 2023 (₹ 92,105.60 लाख) तथा फरवरी 2024 (₹ 42,250.00 लाख) में प्राप्त ₹ 1,34,355.60 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,45,813.33 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2210-01.001.0101.4065-	विशेष अवसरों पर प्रचार	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-01.001.0101.7660-	कार्यक्रम, आयोजन एवं प्रबंधन	50.00	50.00	0.15	(-) 49.85	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-01.001.0101.9545-	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	16,166.00	16,166.00	4,190.44	(-) 11,975.56	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-01.110.0102.6105-	पेंशनर्स को दवाइयों की सुविधा	235.24	235.24	106.11	(-) 129.13	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-01.110.0701.5724-	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम/एनआरएचएम)	1,48,642.01	1,48,642.01	1,30,486.00	(-) 18,156.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-01.110.0702.5724-	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम/एनआरएचएम)	52,743.01	52,743.01	14,110.00	(-) 38,633.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-01.110.0704.2315-	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)	40,036.16	40,036.16	30,242.36	(-) 9,793.80	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-01.110.0705.2315-	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)	10,368.16	10,368.16	6,675.42	(-) 3,692.74	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2210-01.110.0705.5724-	मूल	35,162.01	35,162.01	21,545.02	(-) 13,616.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम/ एनआरएचएम)						
2210-01.110.0706.2315-	मूल	4,903.16	4,903.16	2,334.29	(-) 2,568.87	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)						
2210-01.110.1301.9922-	मूल	30,000.00				बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान	पूरक	55,698.44	85,698.44	52,043.00	(-) 33,655.44	
2210-01.110.1302.9922-	मूल	15,300.00				बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान	पूरक	14,609.43	29,909.43	15,300.00	(-) 14,609.43	
2210-01.110.1303.9922-	मूल	21,219.00				बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान	पूरक	21,001.05	42,220.05	21,219.00	(-) 21,001.05	
2210-03.103.0101.2777-	मूल	57,173.22	57,173.22	45,369.44	(-) 11,803.78	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक)						
2210-05.105.0102.2502-	मूल	248.80	248.80	82.69	(-) 166.11	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
परिवारिकाओं का प्रशिक्षण						
2210-06.101.0701.1131-	मूल	1,464.20	1,464.20	0.00	(-) 1,464.20	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
सिकलसेल (एनीमिया)						
2210-06.101.0702.1131-	मूल	552.10	552.10	0.00	(-) 552.10	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
सिकलसेल (एनीमिया)						
2210-06.101.0703.1131-	मूल	384.00	384.00	0.00	(-) 384.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
सिकलसेल (एनीमिया)						

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-06.101.0704.1131-सिकलसेल (एनीमिया)	मूल	975.90	975.90	0.00	(-) 975.90	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-06.101.0705.1131-सिकलसेल (एनीमिया)	मूल	367.80	367.80	0.00	(-) 367.80	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-06.101.0706.1131-सिकलसेल (एनीमिया)	मूल	255.94	255.94	0.00	(-) 255.94	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-06.800.0101.1441-मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा	पूरक	152.50	152.50	0.00	(-) 152.50	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-06.800.0102.1441-मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा	पूरक	57.50	57.50	0.00	(-) 57.50	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-06.800.0103.1441-मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा	पूरक	40.00	40.00	0.00	(-) 40.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.001.0101.2283-निदेशन और प्रशासन	मूल	12,753.75	12,753.75	15,275.42	+ 2,521.67	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2210-01.001.0103.7834-स्वास्थ्य संस्थाओं की सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था	मूल	918.66	918.66	998.93	+ 80.27	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2210-01.110.0702.2315-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)	मूल	3,911.16	3,911.16	11,593.60	+ 7,682.44	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-01.110.0703.2315-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)	मूल	1,203.16	1,203.16	8,751.18	+ 7,548.02	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.110.0704.5724- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम/एनआरएचएम)	मूल	99,094.71	99,094.71	1,34,206.79	+ 35,112.08	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-01.110.0706.5724- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम/एनआरएचएम)	मूल	25,573.31	25,573.31	62,329.99	+ 36,756.68	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2210-06.003.0101.5989- राज्य स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र	मूल	785.35	785.35	865.18	+ 79.83	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2211-196.0802.1508- जिला स्तरीय अमला	मूल	1,036.92	1,036.92	1,145.64	+ 108.72	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (5) ₹ 5,256.08 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 7,171.67 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 5,256.08 लाख की कुल बचत सम्पूर्ण प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी।
- (7) अंतिम निर्धारित तिथि 15.05.2024 पश्चात प्राप्त होने के कारण समर्पण राशि ₹ 1,41,043.35 लाख स्वीकृति क्रमांक 6/बजट-2210/2023-24/856 दिनांक 31.03.2024 तथा समर्पण राशि ₹ 6,698.32 लाख स्वीकृति क्रमांक 2/लेखा/बजट/2023-24/2321 दिनांक 31.03.2024 को लेखे में शामिल नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

(मुख्य शीर्ष—2215—जलपूर्ति तथा सफाई, 3604—पंचायती राज संस्थानों एवं स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन, 4215—जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,35,54,01			
पूरक	40,00,00	10,75,54,01	8,73,74,19	(-) 2,01,79,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,44,68,41

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,25,00			
पूरक	0	2,25,00	1,14,28	(-) 1,10,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,02,22

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	91,54,05,17			
पूरक	26,16,56,50	1,17,70,61,67	1,05,31,22,43	(-) 12,39,39,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2,18,76

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2023 में प्राप्त किया गया ₹ 4,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 20,179.82 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 14,468.41 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.001.0101.1854- ड्रिलिंग रिंग्स का आपरेशन/वर्कशाप/ एयरकम्प्रेसन	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 41.00	59.00	30.96	(-) 28.04	समर्पण के रूप में ₹ 41.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2215-01.001.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	667.00	667.00	236.48	(-) 430.52	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-01.001.2294- संचालनालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	4,512.80 (-) 861.42	3,651.38	3,496.26	(-) 155.12	₹ 861.42 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 863.42 लाख की कमी (समर्पण ₹ 861.42 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 2.00 लाख) तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत के कारण जबकि वृद्धि अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों का नियमित पदों के समान वर्गीकृत करने पर वेतन वृद्धि के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.001.2714-प्रशासन	मूल पुनर्वि.	51,572.00 (-) 8,621.39	42,950.61	42,761.24	(-) 189.37	₹ 8,621.39 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 10,071.39 लाख की कमी (समर्पण ₹ 8,621.39 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,450.00 लाख) तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,450.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत के कारण तथा वृद्धि न्यायालय के निर्णय अनुसार बकाया के भुगतान तथा वित्त वर्ष 2022-23 में अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि नियमित पदों के समान वर्गीकृत होने के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2215-01.101.0101.0545-प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	20,155.92 (-) 4,525.29	15,630.63	15,486.14	(-) 144.49	समर्पण के रूप में ₹ 4,525.29 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2215-01.101.0102.0545-प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	528.78 (-) 419.32	109.46	90.90	(-) 18.56	समर्पण के रूप में ₹ 419.32 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-01.102.0101.8415-ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण	मूल पूरक	2,500.00 4,000.00	6,500.00	3,077.39	(-) 3,422.61	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

(4) उचंत लेन देन:-
इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2023-24 के दौरान उचंत शीर्ष के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था। लघु शीर्ष "उचंत" में अस्थाई प्रकृति के लेन-देन दर्ज किये जाते हैं, जो कि या तो संबंधित निर्माण कार्य के अंतिम व्यय के रूप में समायोजनीय नहीं होते हैं या जिनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत लेन-देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गया है तो उन्हें वर्ष प्रति वर्ष अग्रणीत किया जाता है। "उचंत" शीर्ष के अंतर्गत चार उप-खण्ड होते हैं।
(i) क्रय (ii) भण्डार (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम (iv) कार्यशाला उचंत।
प्रत्येक उपभाग के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा कार्य-विधि जो अपनाई जाती है, निम्नानुसार स्पष्ट की गई है:-
(i) क्रय- राज्य में 1983-84 से प्रचलित नई लेखा पद्धति के परिप्रेक्ष्य में यह उप शीर्ष अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रणीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।
(ii) भण्डार- इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिये नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु अधिग्रहीत सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिये प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिये यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, के योग के नामे शेष दर्शायेगा।
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम- इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य, प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियां आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अंतर्गत नामे शेष, वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।
(iv) कार्यशाला उचंत- किये गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण कार्य विभाग की कार्यशालाओं में अन्य परिचालन संबंधी प्रभार, जिनकी वसूली या समायोजन लंबित हैं, इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान के अंतर्गत लेखाबद्ध किये गए विभिन्न उचंत उप शीर्षों में उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है:-				
विवरण	1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष नामे+जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2024 को अंत शेष नामे +जमा (-)
2215—जल पूर्ति तथा सफाई	(लाख ₹ में)			
(i) क्रय	(-) 4,410.17	0.00	0.00	(-) 4,410.17
(ii) भण्डार	+ 943.73	0.00	0.00	+ 943.73
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 20,309.20	0.00	0.00	+ 20,309.20
योग	+ 16,842.76	0.00	0.00	+ 16,842.76

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

प्रभारित

- (5) ₹ 110.72 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 102.22 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.001.2294-संचालनालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	225.00 (-) 102.22	122.78	114.28	(-) 8.50	समर्पण के रूप में ₹ 102.22 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूंजीगत :

दत्तमत

- (7) ₹ 1,23,939.24 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 2,61,656.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (8) ₹ 1,23,939.24 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 218.76 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.001.0101.1126-विभागीय कार्यालय भवनों का निर्माण	मूल	1,000.00	1,000.00	15.47	(-) 984.53	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4215.01.001.0101.9551-सिंचाई एवं पेजयल योजनाओं का सौर उर्जाकरण	मूल पुनर्वि.	21,730.64 (-) 21,730.00	0.64	0.00	(-) 0.64	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21,730.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना को स्वीकृति न मिलने, लंबित बकाया और वित्त वर्ष के शेष माहों के लिए निधि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215.01.001.0102.9551- सिंचाई एवं पेजयल योजनाओं का सौर उर्जाकरण	मूल पुनर्वि.	8,193.52 (-) 8,193.52	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,193.52 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना को स्वीकृति न मिलने, लंबित बकाया और वित्त वर्ष के शेष माहों के लिए राशि की आवश्यकता के कारण हुई।
4215.01.001.0103.9551- सिंचाई एवं पेजयल योजनाओं का सौर उर्जाकरण	मूल पुनर्वि.	5,699.84 (-) 5,699.00	0.84	0.00	(-) 0.84	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,699.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना को स्वीकृति न मिलने, लंबित बकाया और वित्त वर्ष में शेष माहों के लिए राशि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.001.1854- ड्रिलिंग रिंग्स का आपरेशन/वर्कशाप/ एयरकम्प्रेसन	मूल पुनर्वि.	7,038.69 (-) 568.76	6,469.93	4,175.56	(-) 2,294.37	₹ 568.76 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 218.76 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 350.00 लाख) संभावित बचत के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4215-01.102.0420.5468- जल जीवन मिशन (जे.जे. एम.) नेशनल रुरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	मूल	50,500.00	50,500.00	0.00	(-) 50,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4215-01.102.0422.5468- जल जीवन मिशन (जे.जे. एम.) नेशनल रुरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	मूल	31,500.00	31,500.00	0.00	(-) 31,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.0423.5468-जल जीवन मिशन (जे.जे. एम.) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	मूल	8,000.00	8,000.00	0.00	(-) 8,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4215-01.102.0480.5468-जल जीवन मिशन (जे.जे. एम.) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	मूल	27,400.00	27,400.00	0.00	(-) 27,400.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4215-01.102.1202.2316-ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	12,200.00 (-) 7,900.00	4,300.00	4,299.99	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,900.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4215-01.102.1203.2316-ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	8,400.00 (-) 5,500.00	2,900.00	2,899.99	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4215-01.800.1401.7301-पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	42,700.00 (-) 27,000.00	15,700.00	15,699.98	(-) 0.02	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 27,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.800.1402.7301-पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	16,100.00 (-) 7,600.00	8,500.00	8,499.99	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,600.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.0701.5468-जल जीवन मिशन (जे.जे. एम.) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	मूल	2,15,300.00	3,16,820.00	3,16,819.73	(-) 0.27	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,227.00 लाख की प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार से दूसरी किश्त के प्रथम ट्रांचे के रूप में निधि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
	पूरक	1,18,747.00				
	पुनर्वि.	(-) 17,227.00				
4215-01.102.0707.5468-जल जीवन मिशन (जे.जे. एम.) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	मूल	2,000.00	2,350.00	2,175.09	(-) 174.91	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 350.00 लाख का निधि में आवर्धन वेतन वृद्धि के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
	पुनर्वि.	350.00				

(10) उपरोक्त टिप्पणी (9) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.0101.2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	मूल	3,050.00	4,050.00	3,856.21	(-) 193.79	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख का निधि में आवर्धन लंबित भुगतान तथा शेष माह के लिए निधि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	1,000.00				
4215-01.102.0101.6032-भू-जल संवर्धन कार्यक्रम	मूल	800.00	1,800.00	1,776.31	(-) 23.69	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख का निधि में आवर्धन लंबित भुगतान तथा शेष माह के लिए निधि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
	पुनर्वि.	1,000.00				

अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.0102.4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना	मूल	5,025.00	7,524.52	7,459.50	(-) 65.02	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,499.52 लाख का निधि में आवर्धन लंबित भुगतान तथा शेष माह के लिए निधि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	2,499.52				
4215-01.102.0704.5468- जल जीवन मिशन (जे.जे. एम.) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	मूल	7,800.00	1,24,255.00	1,24,255.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70,557.00 लाख का निधि में आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
	पूरक	45,898.00				
	पुनर्वि.	70,557.00				
4215-01.102.0705.5468- जल जीवन मिशन (जे.जे. एम.) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	मूल	2,800.00	33,358.00	33,358.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20,994.00 लाख के निधि में आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
	पूरक	9,564.00				
	पुनर्वि.	20,994.00				
4215-01.102.0706.5468- जल जीवन मिशन (जे.जे. एम.) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	मूल	3,504.13	35,653.13	35,652.63	(-) 0.50	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,627.00 लाख का निधि में आवर्धन केंद्र सरकार से दूसरी किश्त के प्रथम ट्रांच के रूप में निधि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
	पूरक	13,522.00				
	पुनर्वि.	18,627.00				

अनुदान संख्या 21-लोक सेवा प्रबंधन

(मुख्य शीर्ष- 2053-जिला प्रशासन, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,17,53,00			
पूरक	0	1,17,53,00	1,01,74,18	(-) 15,78,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	20			
पूरक	0	20	0	(-) 20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	25,00			
पूरक	0	25,00	0	(-) 25,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 1,578.82 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 21—लोक सेवा प्रबंधन समाप्त

(2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-094.9079- म.प्र. लोक सेवा अभिकरण की स्थापना	मूल	800.00	800.00	648.82	(-) 151.18	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2053-800.0101.1165- जीवन विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था	मूल	305.00	305.00	0.00	(-) 305.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2053-800.0101.5722- कॉल सेंटर की स्थापना	मूल	2,500.00	2,500.00	1,750.00	(-) 750.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2053-800.0102.1165- जीवन विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था	मूल	115.00	115.00	0.00	(-) 115.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2053-800.0103.1165- जीवन विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था	मूल	80.00	80.00	0.00	(-) 80.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2053-800.7047- लोक सेवा केन्द्रों को अनुदान	मूल	300.00	300.00	164.00	(-) 136.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत

(3) ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.6783- लोक सेवा केन्द्रों का निर्माण	मूल	25.00	25.00	0.00	(-) 25.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

(5) समर्पण स्वीकृति क्र. बजट 134/पी.एस.एम. भोपाल, दिनांक 28.03.2024 राशि ₹ 10,67,63,372 को पूर्ण विवरण के बिना जारी किये जाने के कारण लेखे में शामिल नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास

(मुख्य शीर्ष- 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास, 3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 6217-शहरी विकास के लिए कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,10,10,24,43			
पूरक	10,00,02	1,10,20,24,45	90,89,41,21	(-) 19,30,83,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				19,99,94

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	11,67,02,10			
पूरक	0	11,67,02,10	11,65,83,14	(-) 1,18,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	25,85,30,20			
पूरक	8,60,00,02	34,45,30,22	33,47,97,20	(-) 97,33,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				5,92

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,45,00,01			
पूरक	1,40,00,00	2,85,00,01	45,00,00	(-) 2,40,00,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 1,000.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,93,083.24 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 1,999.94 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.052.0101.8333- सड़क सुरक्षा निधि से व्यय	मूल	1,000.00	1,000.00	680.00	(-) 320.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2217-05.191.0102.7357- झीलों तथा तालाबों का संरक्षण एवं विकास	मूल	204.70	204.70	0.00	(-) 204.70	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2217-05.191.0103.7144- मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2217-05.191.1301.9638- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	22,224.34	22,224.34	11,554.78	(-) 10,669.56	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.192.1301.9638-	मूल	22,224.33	22,224.33	10,074.78	(-) 12,149.55	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
15वें वित्त आयोग की अनुशांसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान						
2217-05.193.1301.9638-	मूल	22,224.33	22,224.33	9,861.44	(-) 12,362.89	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
15वें वित्त आयोग की अनुशांसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान						
2217-05.800.0101.7357-	मूल	685.30	685.30	0.00	(-) 685.30	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
झीलों तथा तालाबों का संरक्षण एवं विकास						
2217-05.800.0101.9488-	मूल	500.00	500.00	0.00	(-) 500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
मुख्यमंत्री अद्योसंरचना योजना (फेज 3)						
2217-05.800.0701.1237-	मूल	1,02,480.00	1,02,480.00	73,728.69	(-) 28,751.31	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
हाउसिंग फॉर ऑल						
2217-05.800.0701.7838-	मूल	17,100.00	17,100.00	0.00	(-) 17,100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
अटल मिशन फॉर रेज्युवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत 2.0)						
2217-05.800.0701.7839-	मूल	8,917.00	8,917.00	1,216.00	(-) 7,701.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0						
2217-05.800.0702.1237-	मूल	38,640.00	38,640.00	18,915.35	(-) 19,724.65	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
हाउसिंग फॉर ऑल						
2217-05.800.0704.7838-	मूल	20,000.00	20,000.00	0.00	(-) 20,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
अटल मिशन फॉर रेज्युवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत 2.0)						

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.800.1201.7336- एम.पी. अर्बन सर्विसेज इम्पूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	800.00	800.00	0.00	(-) 800.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
3604-191.0101.9578- नगरीय निकायों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अग्निशमन व्यवस्था हेतु अनुदान	मूल	3,000.00	3,000.00	0.00	(-) 3,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
3604-191.9611- स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन योजना	मूल	1,500.00	1,500.00	0.00	(-) 1,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
3604-192.9611- स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन योजना	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-) 1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.191.0701.1263- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	मूल	3,800.00	3,800.00	5,100.00	+ 1,300.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2217-05.191.0704.1263- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	मूल	2,500.00	2,500.00	3,700.00	+ 1,200.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2217-05.800.0701.1199- अमृत 2.0—जी.आई.एस. आधारित मास्टर प्लान	पूरक	सांकेतिक	0.00	963.09	+ 963.09	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2217-05.800.0701.1205- अमृत 2.0—ए. तथा ओ.ई. सुधार प्रोत्साहन	पूरक	सांकेतिक	0.00	6,581.18	+ 6,581.18	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2217-05.800.0701.1223- नगरीय स्वच्छ भारत मिशन 2.0—आई.एच.एच. एल. सी.टी.पी.टी.	पूरक	सांकेतिक	0.00	551.00	+ 551.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.800.0704.1205-अमृत 2.0—ए. तथा ओ.ई. सुधार प्रोत्साहन	पूरक	सांकेतिक	0.00	4,581.18	+ 4,581.18	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

प्रभारित

- (5) ₹ 118.96 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (6) ₹ 9,733.02 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 86,000.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (7) ₹ 9,733.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 5.92 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

प्रभारित

- (8) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 14,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (9) ₹ 24,000.01 लाख की उपलब्ध अत्यधिक बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (10) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4217-60.050.0530.2043-मेट्रो रेल	मूल	10,000.00	24,000.00	0.00	(-) 24,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
	पूरक	14,000.00				

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन

(मुख्य शीर्ष-2700—मुख्य सिंचाई, 2701—मध्यम सिंचाई, 2702—लघु सिंचाई, 2705—कमान क्षेत्र का विकास, 4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701—मुख्य एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	15,31,92,17			
पूरक	50,00,00	15,81,92,17	12,09,83,79	(-) 3,72,08,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	56,39,72,86			
पूरक	12,00,75,11	68,40,47,97	66,24,11,58	(-) 2,16,36,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				99,25,32

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,10,00			
पूरक	10,00,00	20,10,00	10,23,90	(-) 9,86,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				9,86,10

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2023 में प्राप्त किया गया ₹ 5,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 37,208.38 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2700-80.001.0101.9545-	मूल	1,000.00	1,000.00	403.53	(-) 596.47	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण						
2700-80.800.0101.6360-	मूल	1,500.00	1,500.00	707.70	(-) 792.30	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था						
2700-80.800.0102.6360-	मूल	700.00	700.00	221.15	(-) 478.85	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था						
2700-80.800.0103.6360-	मूल	700.00	700.00	482.04	(-) 217.96	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था						
2701-80.001.0101.0815-	मूल	1,14,799.39	1,14,799.39	88,022.01	(-) 26,777.38	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
कार्यपालिक स्थापना						
2701-80.001.0102.0815-	मूल	5,347.54	5,347.54	1,873.14	(-) 3,474.40	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
कार्यपालिक स्थापना						
2701-80.052.0101.0693-	मूल	291.00	291.00	179.75	(-) 111.25	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
औजार एवं संयंत्र						
2701-80.799.0101.1051-	मूल	50.01	50.01	(-) 0.98	(-) 50.99	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
स्टॉक						

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2701-80.799.0101.4056- विविध—लोक निर्माण अग्रिम	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2701-80.800.0101.6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल	300.00	300.00	132.85	(-) 167.15	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2701-80.800.0102.6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल	200.00	200.00	90.88	(-) 109.12	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2701-80.800.0103.6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल	200.00	200.00	121.41	(-) 78.59	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2702-80.800.0101.6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल	800.00	800.00	381.15	(-) 418.85	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2702-80.800.0102.6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल	600.00	600.00	263.60	(-) 336.40	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2702-80.800.0103.6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल	400.00	400.00	162.91	(-) 237.09	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2705-800.0101.6544- सिंचाई समितियों को अनुदान एवं अन्य कार्य	मूल	45.00	45.00	0.00	(-) 45.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2705-800.0704.3701- राज्य स्तर पर आयाकट सेल	मूल	977.22	977.22	589.94	(-) 387.28	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

(4) उचंत लेन—देन—

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) के व्यय में वर्ष 2023—24 के दौरान 'उचंत' शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किये गये हैं। 'उचंत' के अंतर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) में की गई हैं। वर्ष 2023—24 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न 'उचंत' उप—शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन—देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दर्शाया गया है:—

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

विवरण	1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2024 को अंत शेष नामे + जमा(-)
2701—मध्यम सिंचाई		(₹लाख में)		
(i) क्रय	(-) 2,309.78	0.00	0.00	(-) 2,309.78
(ii) भण्डार	+ 533.63	0.00	0.00	+ 533.63
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 3,752.14	0.00	0.98	+ 3,751.16
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 664.04	0.00	0.00	+ 664.04
योग	+ 2,640.03	0.00	0.98	+ 2,639.05

पूंजीगत :

दत्तमत

- (5) ₹ 21,636.39 लाख की बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2023 (₹ 79,075.01 लाख) तथा फरवरी 2024 (₹ 41,000.10 लाख) में प्राप्त ₹ 1,20,075.11 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 21,636.39 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 9,925.32 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) हालांकि ₹ 21,636.39 लाख की सम्पूर्ण बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम है, निम्नलिखित उप शीर्षों में उल्लेखनीय अंतर देखे गए हैं:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-60.800.0101.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पूरक पुनर्वि.	600.00 4,000.00 592.96	5,192.96	5,455.27	+ 262.31	₹ 592.96 लाख का निधि में आवर्धन ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 407.04 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1.04 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 406.00 लाख) का निवल प्रभाव था। कमी निर्माण कार्य की गति अनुमान अनुसार न होने के कारण हुई। वृद्धि तथा अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4700-80.001.0102.9551- सिंचाई तथा पेयजल योजनाओं का सौर उर्जाकरण	मूल पुनर्वि.	10,000.00 (-) 10,000.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.001.0103.9551-सिंचाई तथा पेयजल योजनाओं का सौर उर्जाकरण	मूल	10,000.00	10,000.00	0.00	(-) 10,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4700-C7.800.0701.1141-केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना	मूल पुनर्वि.	0.01 (-) 0.01	0.00	10.00	+ 10.00	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4700-C7.800.0702.2897-बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	35,100.00 (-) 15.27	35,084.73	35,122.22	+ 97.94	समर्पण के रूप में ₹ 15.27 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की गति अनुमान अनुसार न होने के कारण हुई।
4701-80.001.0101.2304-निदेशन एवं प्रशासन	मूल पुनर्वि.	700.00 (-) 700.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत घटाए राजस्व प्राप्ति शीर्ष में बजट आवंटन नहीं होने के कारण हुई।
4701-80.800.0103.1907-सद्गुरु मध्यम सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 1,000.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की गति अनुमान अनुसार न होने के कारण हुई।
4701-97.800.0102.2897-बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 1,000.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की गति अनुमान अनुसार न होने के कारण हुई।
4701-80.800.0101.3368-मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	6,084.00 (-) 5,237.27	846.73	2,786.72	+ 1,940.00	₹ 5,237.27 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 134.27 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 5,103.00 लाख) अल्प राशि तथा निर्माण कार्य अनुमान अनुसार न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-A7.800.1901.2884- नहर एवं उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	2,700.00 (-) 2,698.06	1.94	1.94	0.00	₹ 2,698.06 लाख की प्रत्याशित बचत अल्प राशि तथा निर्माण कार्य की गति अनुमान अनुसार न होने के कारण हुई।
4701-B2.800.1901.2884- नहर एवं उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	13,500.00 (-) 13,500.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4711-01.103.0101.1148- कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना	मूल पूरक पुनर्वि.	0.01 2,000.00 (-) 2,000.01	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 2,000.00 लाख + समर्पण ₹ 0.01 लाख) निर्माण कार्य आरम्भ नहीं होने के कारण हुई।
4701-E1.800.0101.2884- नहर एवं उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	0.01 2,894.99	2,895.00	955.00	(-) 1,940.00	₹ 2,894.99 लाख का निधि का आवर्धन समर्पण के रूप में ₹ 0.01 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,894.98 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के कारण जबकि कमी अल्प राशि के कारण हुई।
4705-800.0701.6648- प्रमुख और माध्यम परियोजना का कमान क्षेत्र विकास, फील्ड चैनलों का निर्माण, सिस्टम की कमी का सुधार	मूल	900.00	900.00	44.40	(-) 855.60	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4705-800.0704.6648- प्रमुख और माध्यम परियोजना का कमान क्षेत्र विकास, फील्ड चैनलों का निर्माण, सिस्टम की कमी का सुधार	मूल	900.00	900.00	44.40	(-) 855.60	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

(8) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग में "उचंत" के अंतर्गत 2023-24 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। "उचंत" के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) में की गई हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित "उचंत" लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अन्तशेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष नामे+जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2024 को अंत शेष नामे +जमा (-)
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	(-) 2,289.29	0.00	0.00	(-) 2,289.29
(ii) भण्डार	+ 4,022.86	0.00	0.00	+ 4,022.86
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 1,187.16	0.00	0.00	+ 1,187.16
(iv) कार्यशाला उचंत	(-) 211.06	0.00	0.00	(-) 211.06
योग	+ 2,709.67	0.00	0.00	+ 2,709.67
4801—विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
(i) क्रय	(-) 12.92	0.00	0.00	(-) 12.92
(ii) भण्डार	+ 62.67	0.00	0.00	+ 62.67
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 12.74	0.00	0.00	+ 12.74
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 2.22	0.00	0.00	+ 2.22
योग	+ 64.71	0.00	0.00	+ 64.71
वित्तीय वर्ष 2021-22 से समाप्त मांग संख्या-45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य का शेष				
विवरण	01 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2024 को अंत शेष नामे + जमा (-)
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (लाख ₹ में)				
(i) कय	(-) 131.77	0.00	0.00	(-) 131.77
(ii) भण्डार	(-) 27.12	0.00	0.00	(-) 27.12
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 65.36	0.00	0.00	+65.36
(iv) कार्यशाला उचंत	+0.10	0.00	0.00	+0.10
योग	(-) 93.43	0.00	0.00	(-) 93.43

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन समाप्त

वित्तीय वर्ष 2020-21 से समाप्त मांग संख्या-57 जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का शेष				
विवरण	1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2024 को अंत शेष नामे+ जमा (-)
1	2	3	4	5
(लाख ₹ में)				
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—				
(1) भंडार	(-) 0.27	0.00	0.00	(-) 0.27
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 2.21	0.00	0.00	+ 2.21
योग	+ 1.94	0.00	0.00	+ 1.94
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—				
(1) क्रय	(-) 194.83	0.00	0.00	(-) 194.83
(2) भंडार	+ 1,180.11	0.00	0.00	+ 1,180.11
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 801.70	0.00	0.00	+ 801.70
(4) कार्यशाला उचंत	+ 49.66	0.00	0.00	+ 49.66
योग	+ 1,836.64	0.00	0.00	+ 1,836.64

प्रभारित

- (9) ₹ 986.10 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 1,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (10) ₹ 986.10 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित की गई।
- (11) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-80.800.0101.1833- डिक्री धन का भुगतान (भारित)	मूल	1,000.00				समर्पण के रूप में ₹ 982.81 लाख की प्रत्याशित बचत न्यायालय से आदेश में देरी के कारण भुगतान नहीं होने के कारण हुई।
	पूरक	1,000.00				
	पुनर्वि.	(-) 982.81	1,017.19	1,017.19	0.00	

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य

(मुख्य शीर्ष- 2059—लोक निर्माण कार्य, 2216—आवास, 2217—शहरी विकास, 3053—नागर विमानन, 3054—सड़कें तथा सेतु, 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216—आवास कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	22,87,59,15			
पूरक	3,06,00,01	25,93,59,16	22,29,49,85	(-) 3,64,09,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00,11			
पूरक	0	10,00,11	1,97,81	(-) 8,02,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	70,64,34,35			
पूरक	44,03,00,15	1,14,67,34,50	1,09,33,53,98	(-) 5,33,80,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,75,10

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	45,00,06			
पूरक	4,00,00,00	4,45,00,06	4,22,54,02	(-) 22,46,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 30,600.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 36,409.31 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-80.001.4002- विद्युत एवं यांत्रिकी संभाग एवं उप संभाग का स्थापना व्यय	मूल	446.98	446.98	319.61	(-) 127.37	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2059-80.001.7246- परियोजना क्रियान्वयन इकाई	मूल	8,754.25	8,754.25	6,915.49	(-) 1,838.76	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2059-80.052.7091- विद्युत एवं यांत्रिकी स्थापना	मूल	464.40	464.40	69.57	(-) 394.83	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2217-01.001.0101.1872- प्रकाश तरण पुष्कर की स्थापना एवं अनुरक्षण	मूल पूरक पुनर्वि.	289.59 सांकेतिक 15.00	304.59	167.81	(-) 136.78	₹ 15.00 लाख का निधि में आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3054-01.337.0101.0134- अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	मूल पुनर्वि.	342.06 2,300.00	2,642.06	124.22	(-) 2,517.84	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,300.00 लाख का निधि में आवर्धन के साथ ही अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-04.337.0102.0134- अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	मूल पुनर्वि.	10,276.01 800.00	11,076.01	3,503.80	(-) 7,572.21	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 800.00 लाख का निधि में आवर्धन के साथ ही अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
3054-04.800.0101.7081- मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	मूल पूरक पुनर्वि.	44,000.00 30,000.00 (-) 10,000.00	64,000.00	56,850.66	(-) 7,149.34	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-04.800.0103.7081- मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	मूल पुनर्वि.	13,500.00 (-) 1,700.00	11,800.00	6,925.22	(-) 4,874.78	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,700.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-80.001.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	600.00	600.00	372.00	(-) 228.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
3054-80.001.3300- मंडल स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,649.25 (-) 300.00	3,349.25	2,506.97	(-) 842.28	₹ 300.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-01.053.6720-कार्यालय भवनों का रखरखाव व अनुरक्षण	मूल पूरक पुनर्वि.	1,200.00 50.00 827.00	2,077.00	2,072.79	(-) 4.21	₹ 827.00 लाख का निधि में आवर्धन ₹ 1,127.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 300.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2216-05.053.0183-एफ टाइप से उच्च श्रेणी के शासकीय आवास एवं गैर आवासीय भवनों का अनुरक्षण	मूल पुनर्वि.	4,000.00 3,500.00	7,500.00	7,491.42	(-) 8.58	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,500.00 लाख का निधि में आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
3054-03.337.0103.0134-अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	मूल पुनर्वि.	0.01 1,700.00	1,700.01	1,624.73	(-) 75.28	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,700.00 लाख का निधि में आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

(5) उचंत लेन-देन :-

वर्ष 2023-24 के दौरान 'राजस्व दत्तमत' में 'उचंत' शीर्ष के अंतर्गत कोई भी व्यय नहीं हुआ। 'उचंत' के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अंतर्गत की गई हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न 'उचंत' उप शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित 'उचंत' लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतिम शेषों सहित नीचे दर्शाया गया है:-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में समाप्त अनुदान संख्या 67-लोक निर्माण-कार्य का शेष

विवरण	1 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2024 को अंत शेष नामे+ जमा(-)
(लाख ₹ में)				
2059-लोक निर्माण कार्य				
(i) क्रय	(-)6,289.91	0.00	0.00	(-)6,289.91
(ii) भण्डार	+ 2,486.48	0.00	0.00	+ 2,486.48
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+14,781.38	0.00	0.00	+14,781.38
योग	+ 10,977.95	0.00	0.00	+ 10,977.95

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य जारी

प्रभारित

- (6) ₹ 802.30 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गयी।
- (7) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-80.800.1833- डिक्री धन का भुगतान (भारित)	मूल	1,000.00	1,000.00	197.81	(-) 802.19	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (8) ₹ 53,380.52 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 4,40,300.15 लाख का अनुपूरक अनुदान, जुलाई 2023 (₹ 2,41,800.03 लाख) में प्राप्त अत्यधिक सिद्ध हुआ जबकि फरवरी 2024 (₹ 1,98,500.12 लाख) में प्राप्त अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (9) ₹ 53,380.52 लाख की बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 175.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (10) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4216-01.106.0101.1938- शासकीय आवास गृहों का निर्माण	मूल	1,500.00	1,500.00	1,084.34	(-) 415.66	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4216-01.106.0102.1938- शासकीय आवास गृहों का निर्माण	मूल	500.00	500.00	65.20	(-) 434.80	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4216-01.106.0103.1938- शासकीय आवास गृहों का निर्माण	मूल	500.00	500.00	35.50	(-) 464.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
5054-03.101.1902.4149- वृहत पुलों का निर्माण	मूल पूरक पुनर्वि.	15,940.00 सांकेतिक (-) 10,000.00	5,940.00	4,155.06	(-) 1,784.94	₹ 10,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5054-03.337.0101.5139- मुख्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन	मूल पूरक पुनर्वि.	8,000.00 सांकेतिक (-) 4,500.00	3,500.01	1,121.23	(-) 2,378.78	₹ 4,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
5054-03.337.0102.5139- मुख्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन	मूल पूरक	2,500.00 0.01	2,500.01	241.67	(-) 2,258.34	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
5054-03.337.1901.6841- म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण	मूल पूरक पुनर्वि.	3,575.00 25,000.00 15,000.00	43,575.00	13,575.00	(-) 30,000.00	₹ 15,000.00 लाख का निधि में आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
5054-03.337.1902.5139- मुख्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन	मूल	7,500.00	7,500.00	500.00	(-) 7,000.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
5054-03.337.1902.5139- मुख्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन	मूल पुनर्वि.	8,000.00 (-) 500.00	7,500.00	0.00	(-) 7,500.00	₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
5054-04.337.0102.9892- नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन	मूल पुनर्वि.	25,000.00 (-) 18,000.00	7,000.00	2,314.38	(-) 4,685.62	₹ 18,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
5054-04.337.0103.2457- ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन	मूल	3,000.00	3,000.00	266.88	(-) 2,733.12	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
5054-04.337.0103.4557- सड़कों का सुदृढीकरण	मूल	5,000.00	5,000.00	128.76	(-) 4,871.24	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
5054-04.337.0103.9892- नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन	मूल पुनर्वि.	20,000.00 5,000.00	25,000.00	4,159.20	(-) 20,840.80	₹ 5,000.00 लाख के निधि में आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य जारी

- (11) उपरोक्त टिप्पणी (10) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय अंशतः प्रति-संतुलित की गई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4217-01.051.0101.1555-विधान सभा तथा विधायक विश्राम गृह	मूल	100.00	100.00	249.50	+ 149.50	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
5054-03.337.0102.6841-म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण	मूल	0.01	0.01	6,000.00	+ 5,999.99	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
5054-03.337.0103.6841-म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण	मूल	0.01	0.01	19,500.00	+ 19,499.99	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
5054-03.337.0801.0948-केन्द्रीय सड़क निधि	मूल पूरक पुनर्वि.	48,800.00 45,000.00 (-) 7,000.00	86,800.00	89,389.24	+ 2,589.24	₹ 7,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
5054-03.337.1901.5139-मुख्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन	मूल पुनर्वि.	22,000.00 (-) 20,200.00	1,800.00	1,824.05	+ 24.05	₹ 20,200.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
5054-03.337.1902.6841-म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण	मूल	1,250.00	1,250.00	8,250.00	+ 7,000.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
5054-03.337.1903.6841-म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण	मूल	175.00	175.00	7,675.00	+ 7,500.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
5054-80.0101.9686-बी.ओ.टी. परियोजना की समाप्ति पर भुगतान	मूल पूरक	600.00 1,000.00	1,600.00	2,600.00	+ 1,000.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

प्रभारित

- (12) ₹ 2,246.04 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 40,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य समाप्त

(13) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-80.800.1833- डिक्री धन का भुगतान (भारत)	मूल	2,000.00	2,000.00	54.02	(-) 1,945.98	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
5053-02.102.0101.3115- भू अर्जन हेतु मुआवजा	मूल	300.00	300.00	0.00	(-) 300.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

(14) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता:—

भारत सरकार के राजपत्रित अधिसूचना 31.03.2018 के द्वारा भूतपूर्व केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) का नाम अब केन्द्रीय सड़क एवं अद्योसंरचना निधि (सीआरआईएफ) कर दिया गया है। इस सीआरआईएफ का उपयोग राजमार्ग, रेलवे परियोजनाओं, रेलवे की सुरक्षा में सुधार, राज्य एवं ग्रामीण सड़कों तथा अन्य अद्योसंरचनाओं इत्यादि के विकास और रखरखाव हेतु किया जायेगा। प्रचलित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, केन्द्र से राज्य को प्राप्त अनुदान को प्रारंभ में मुख्य शीर्ष 1601 के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। तत्पश्चात् इस प्रकार प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8449—103 केन्द्रीय सड़क और अद्योसंरचना निधि से आर्थिक सहायता के अंतर्गत कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के माध्यम से लोक लेखे में स्थानांतरित किया जाना है। केन्द्रीय सड़क एवं अद्योसंरचना निधि के तहत निर्धारित सड़क कार्यों पर व्यय को पहले प्रासंगिक पूँजी अथवा राजस्व अनुभाग (मुख्य शीर्ष 5054 अथवा 3054) में दर्ज किया जायेगा एवं सम्बंधित मुख्य शीर्ष (5054 या 3054 जैसा भी मामला हो) में व्यय कटौती के रूप में लोक लेखे से मुख्य शीर्ष 8449—103 के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

वर्ष 2023—24 के दौरान राज्य सरकार की सीआरआईएफ के लिए ₹ 778.13 करोड़ का अनुदान आवंटन हुआ। केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि का संचालन राज्य सरकार द्वारा लोक लेखे में नहीं किया जाता है। हालाँकि वर्ष 2023—24 में अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य, योजना कोड 0948—केन्द्रीय सड़क एवं अद्योसंरचना निधि के तहत ₹ 1,180.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया, जिसके विरुद्ध ₹ 1,177.16 करोड़ का व्यय मुख्य शीर्ष 5054 से किया गया। ₹ 778.13 करोड़ का अनुदान लोक लेखा के माध्यम से न भेजकर सीधे खर्च किया गया।

(15) अंतिम निर्धारित तिथि 15.05.2024 के पश्चात दिनांक 07.06.2024 को प्राप्त होने के कारण समर्पण राशि ₹ 10,65,28,742 स्वीकृति क्र. आर.—174/बी/19/2010/111 भोपाल दिनांक 31.03.2024 को लेखे में शामिल नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन

(मुख्य शीर्ष—2853—अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 4853—अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,68,87,76			
पूरक	40,00,00	3,08,87,76	2,91,94,77	(-) 16,92,99
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				13,58,81

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8,50,05,00			
पूरक	0	8,50,05,00	8,42,91,45	(-) 7,13,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				7,13,55

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8,00,80,00			
पूरक	60,00,00	8,60,80,00	8,60,00,00	(-) 80,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 मार्च 2024)				20,00

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 1,692.99 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 4,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,692.99 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 1,358.81 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2853-02.001.0101.2294- संचालनालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	4,081.15 (-) 431.48	3,649.67	3,513.15	(-) 136.52	समर्पण के रूप में ₹ 431.48 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 911.48 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 480.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी कर्मचारियों/ अधिकारियों के नए पदों पर नियुक्ति नहीं होने, कार्यालयीन कार्यों में विलम्ब तथा आउटसोर्स आधार पर भर्ती में देरी के कारण हुई। वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2853-02.001.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	100.00	100.00	17.87	(-) 82.13	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2853-02.004.0420.2713- प्रयोगशाला स्थापना	मूल पुनर्वि.	129.10 (-) 38.45	90.65	88.13	(-) 2.52	समर्पण के रूप में ₹ 38.45 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों/ अधिकारियों के नए पदों पर नियुक्ति नहीं होने तथा कार्यालयीन कार्यों में विलम्ब होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2853-02.102.0420.0182- खनिजों का सर्वेक्षण की स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,577.50 (-) 408.87	2,168.63	2,055.63	(-) 113.00	समर्पण के रूप में ₹ 408.87 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों/अधिकारियों के नए पदों पर नियुक्ति नहीं होने तथा कार्यालयीन कार्यों में विलम्ब होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

प्रभारित

- (4) ₹ 713.55 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित की गई।
 (5) ₹ 713.55 लाख की सम्पूर्ण बचत कुल विनियोग के पांच प्रतिशत से कम थी।

पूंजीगत :

दत्तमत

- (6) ₹ 80.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 28 मार्च 2024 को केवल ₹ 20.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
 (7) ₹ 80.00 लाख की सम्पूर्ण बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,47,09,70			
पूरक	0	3,47,09,70	2,60,07,95	(-) 87,01,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				87,01,27

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	80			
पूरक	0	80	0	(-) 80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				80

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,72,24,26			
पूरक	0	3,72,24,26	1,71,78,20	(-) 2,00,46,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,99,46,06

अनुदान संख्या 26—संस्कृति जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 8,701.75 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को ₹ 8,701.27 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.7982-संगीत महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	1,223.15 (-) 447.21	775.94	776.38	+ 0.44	₹ 447.21 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में ₹ 465.21 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी रिक्त पदों, देयकों की प्राप्ति नहीं होने तथा संभावित बचत के कारण जबकि वृद्धि शीर्ष में अपर्याप्त निधि के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2205-102.0101.5680-राज्य नाट्य विद्यालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	350.00 (-) 112.00	238.00	238.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 112.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
2205-102.0101.5753-समारोह के आयोजन हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	4,000.00 (-) 841.77	3,158.23	3,158.23	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 841.77 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
2205-102.0101.6042-रविन्द्र भवन का स्थापना व्यय	मूल पुनर्वि.	600.00 (-) 348.27	251.73	251.73	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 348.27 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय नहीं होने, संधारण प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
2205-102.0101.6368-गैर-सरकारी संस्थानों का संधारण अनुदान	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 152.00	48.00	48.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 152.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2205-102.0101.7060- साँची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय	मूल पुनर्वि.	5,000.00 (-) 2,242.00	2,758.00	2,758.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,242.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों तथा निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई।
2205-102.0101.7373- स्वाधीनता सेनानियों/ महापुरुषों की जयंती/ पुण्यतिथि समारोह	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 76.39	123.61	123.61	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 76.39 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
2205-102.0101.9904- हिंदी भवन निर्माण हेतु सहायता	मूल पुनर्वि.	500.01 (-) 300.01	200.00	200.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 300.01 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
2205-102.8458- स्वराज भवन	मूल पुनर्वि.	327.82 (-) 137.13	190.69	190.69	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 137.13 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
2205-800.9571- रामपथ गमन क्षेत्र विकास योजना	मूल पुनर्वि.	900.04 (-) 900.04	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 900.04 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
3454-02.110.0101.6041- ज़िला विवरणिका पुनरीक्षण	मूल पुनर्वि.	132.09 (-) 47.08	85.01	82.01	(-) 3.00	₹ 47.08 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 35.08 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 12.00 लाख) व्यय नहीं होने तथा निधि की उपलब्धता अधिक होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

पूंजीगत :

दत्तमत

- (3) ₹ 20,046.06 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 19,946.06 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति समाप्त

(4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-04.106.0101.1123-संग्रहालयों का उन्नयन एवं विकास कार्य	मूल पुनर्वि.	500.00 (-) 500.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निधि आवंटन नहीं होने के कारण हुई।
4202-04.800.0101.0749-वेदांत पीठ की स्थापना	मूल पुनर्वि.	32,844.01 (-) 16,303.01	16,541.00	16,541.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 16,303.01 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निधि आवंटन नहीं होने के कारण हुई।
4202-04.800.0101.5685-राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय	मूल पुनर्वि.	500.00 (-) 500.00	0.00	0.00	0.00	₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 260.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 240.00 लाख) परियोजना हेतु स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई।
4202-04.800.9571-रामपथ गमन क्षेत्र विकास योजना	मूल पुनर्वि.	1,400.00 (-) 1,400.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,400.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निधि आवंटन नहीं होने तथा परियोजना स्वीकृत नहीं होने के कारण हुई।

(5) उपरोक्त टिप्पणी (4) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-04.800.0101.7982-संगीत महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	100.00 240.00	340.00	340.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 240.00 लाख के निधि में आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा

(मुख्य शीर्ष— 2202-सामान्य शिक्षा, 2204-खेल तथा युवा सेवायें, 2205- कला एवं संस्कृति, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,86,03,07,40			
पूरक	3,50,00,00	2,89,53,07,40	2,68,59,84,33	(-) 20,93,23,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				20,91,25,73

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	40,00			
पूरक	0	40,00	0	(-) 40,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				40,00

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	30,29,58,05			
पूरक	3	30,29,58,08	26,06,18,67	(-) 4,23,39,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				4,22,94,42

पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग में दर्शाये गये व्यय (₹ 26,06,18,66,571) में आकस्मिकता निधि से दिनांक 23.08.2023 को स्वीकृत ₹ 35,77,88,333 के विरुद्ध ₹ 35,77,88,333 का व्यय भी सम्मिलित है। वर्ष के दौरान निधि में इसकी प्रतिपूर्ति कर ली गई है।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 35,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,09,323.07 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को ₹ 2,09,125.73 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.001.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	18,269.50 (-) 12,273.86	5,995.64	1,807.83	(-) 4,187.81	₹ 12,273.86 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 3,123.86 लाख + ₹ 9,150.00 लाख पुनर्विनियोजन) के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2202-01.001.0102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	6,888.50 (-) 5,310.70	1,577.80	0.00	(-) 1,577.80	₹ 5,310.70 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,860.70 लाख + ₹ 3,450.00 लाख पुनर्विनियोजन) के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2202-01.001.0102.9560- कलाओं से समृद्ध शिक्षा—अनुगूँज	मूल पुनर्वि.	177.10 (-) 177.10	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.001.0103.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	4,792.00 (-) 3,694.40	1,097.60	0.00	(-) 1,097.60	₹ 3,694.40 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,294.40 लाख + ₹ 2,400.00 लाख पुनर्विनियोजन) के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.001.0103.9560- कलाओं से समृद्ध शिक्षा—अनुगूज	मूल पुनर्वि.	123.20 (-) 123.20	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.101.0101.0729- स्काउट गाइड गतिविधियाँ	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2202-01.101.0101.3491- माध्यमिक शालायेँ	मूल पुनर्वि.	6,61,493.12 (-) 73,873.61	5,87,619.51	5,87,618.86	(-) 0.65	₹ 73,873.61 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 76,887.41 लाख की कमी (समर्पण ₹ 27,593.29 लाख + ₹ 49,294.12 पुनर्विनियोजन) तथा ₹ 3,013.80 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। समर्पण के रूप में कमी पद रिक्तियों, सेवानिवृत्ति नहीं होने, डी.ए. भत्ता दरों में वृद्धि नहीं होने तथा संभावित बचत के कारण हुई। वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.0101.4396- सरकारी प्राथमिक स्कूलों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	11,22,094.29 (-) 78,388.80	10,43,705.49	10,43,706.18	+ 0.69	₹ 78,388.80 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 86,530.20 लाख की कमी (समर्पण ₹ 18,571.13 लाख + ₹ 67,959.07 पुनर्विनियोजन) तथा ₹ 8,141.41 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। समर्पण के रूप में कमी पद रिकित्तियों, सेवानिवृत्ति नहीं होने, डी.ए. भत्ता दरों में वृद्धि नहीं होने तथा संभावित बचत के कारण हुई। वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2202-01.101.0101.7661- विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए प्रखर योजना	मूल पुनर्वि.	244.00 (-) 244.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्राधिकृत स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.101.0102.4396- सरकारी प्राथमिक स्कूलों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	10,938.54 (-) 10,415.86	522.68	522.68	0.00	₹ 10,415.86 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 5,502.53 लाख + ₹ 4,913.33 लाख पुनर्विनियोजन) संभावित बचत के कारण हुई।
2202-01.102.0701.6344- मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा एवं अधोसंरचनात्मक विकास	मूल पुनर्वि.	1,465.80 (-) 1,465.80	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.102.0704.6344- मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा एवं अधोसंरचनात्मक विकास	मूल पुनर्वि.	977.20 (-) 977.20	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2202-02.101.0701.1121- पी.एम. श्री	मूल पुनर्वि.	2,335.15 (-) 2,335.15	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2202-02.101.0702.1121- पी.एम. श्री	मूल पुनर्वि.	880.46 (-) 880.46	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2202-02.101.0703.1121- पी.एम. श्री	मूल पुनर्वि.	612.49 (-) 612.49	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2202-02.101.0704.1121- पी.एम. श्री	मूल पुनर्वि.	1,556.76 (-) 1,556.76	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2202-02.101.0705.1121- पी.एम. श्री	मूल पुनर्वि.	586.97 (-) 586.97	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2202-02.109.0101.7912- शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	9,638.01 (-) 9,638.01	0.00	0.00	0.00	₹ 9,638.01 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 7,458.39 लाख + ₹ 2,179.62 लाख पुनर्विनियोजन) जिसमें पुनर्विनियोजन केन्द्रांश आहरण के कारण जबकि समर्पण वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2202-02.109.0102.2078- हाई/हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	मूल पुनर्वि.	2,300.00 (-) 2,300.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,300.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 814.00 लाख + ₹ 1,486.00 लाख पुनर्विनियोजन) वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-02.109.0102.7912- शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	3,634.00 (-) 3,634.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,634.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 2,795.77 लाख + ₹ 838.23 लाख पुनर्विनियोजन) जिसमें पुनर्विनियोजन केन्द्रांश आहरण के कारण जबकि समर्पण वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.109.0103.2078- हाई/हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठने व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	मूल पुनर्वि.	1,600.02 (-) 1,600.02	0.00	0.00	0.00	₹ 1,600.02 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 338.02 लाख + ₹ 1,262.00 लाख पुनर्विनियोजन) वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2202-02.109.0103.7912- शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	2,528.00 (-) 2,528.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,528.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,889.78 लाख + ₹ 638.22 लाख पुनर्विनियोजन) जिसमें पुनर्विनियोजन केन्द्रांश आहरण के कारण जबकि समर्पण वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2202-03.103.0101.7478- प्राथमिक स्तर पर मोनिटरिंग हेतु निधि	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2202-03.103.0101.7485- एक्रेडिटेशन ऑफ स्कूल	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं पड़ने के कारण हुई।
2202-03.103.0703.1121- पी.एम. श्री	मूल पुनर्वि.	426.08 (-) 426.08	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई।
2202-03.103.0704.1121- पी.एम. श्री	मूल पुनर्वि.	1,082.96 (-) 1,082.96	0.00	0.00	0.00	₹ 1,082.96 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 244.97 लाख + ₹ 837.99 लाख पुनर्विनियोजन) केन्द्रांश की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-03.103.0705.1121-पी.एम. श्री	मूल पुनर्वि.	408.33 (-) 408.33	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई।
2202-03.103.0706.1121-पी.एम. श्री	मूल पुनर्वि.	284.05 (-) 284.05	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई।
2202-80.107.0101.7127-बेटी बचाओं योजना के अंतर्गत बालिकाओं को छात्रवृत्ति	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण हुई।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.0702.5330-समग्र शिक्षा अभियान	मूल पूरक पुनर्वि.	32,042.72 2,100.00 17,521.45	51,664.17	50,093.99	(-) 1,570.18	₹ 17,521.45 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24,241.45 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 6,900.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अतिरिक्त केन्द्रांश की प्राप्ति नहीं होने के कारण जबकि वृद्धि केन्द्रांश के अनुपात में राज्यांश होने तथा भारत सरकार से दूसरी किश्त प्राप्त होने के कारण हुई।
2202-01.104.0702.9675-स्टार्स परियोजना	मूल पुनर्वि.	414.00 502.94	916.94	916.94	0.00	₹ 502.94 लाख का निधि में आवर्धन भारत सरकार से अत्यधिक केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.104.0705.9675-स्टार्स परियोजना	मूल पुनर्वि.	276.00 335.29	611.29	611.29	0.00	₹ 335.29 लाख का निधि में आवर्धन भारत सरकार से अत्यधिक केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुआ।
2202-02.109.0102.1139-मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना	मूल पुनर्वि.	575.00 1,499.86	2,074.86	2,074.86	0.00	₹ 1,499.86 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,577.80 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 77.94 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत के कारण की गई। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2202-02.109.0103.0701-अतिथि शिक्षकों को मानदेय	मूल पुनर्वि.	1,056.00 3,024.76	4,080.76	4,080.76	0.00	₹ 3,024.76 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,051.84 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 27.08 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन हेतु स्वीकृति नहीं मिलने के कारण की गई। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

प्रभारित

- (5) ₹ 40.00 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-02.105.3694-राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल	मूल पुनर्वि.	10.00 (-) 10.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-80.001.3858- लोक शिक्षण संचालनालय	मूल पुनर्वि.	30.00 (-) 30.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण विनियोग पद रिक्तियों, सेवानिवृत्ति, डी.ए. भत्ता दरों में वृद्धि नहीं होने तथा प्राधिकृत स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अप्रयुक्त रहे हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (7) ₹ 42,339.41 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 42,294.42 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.201.0101.2068- प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास	मूल पुनर्वि.	1,220.00 (-) 1,220.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधानों की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.201.0101.9562- समरसता छात्रावास	मूल पुनर्वि.	3,050.00 (-) 3,050.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधानों की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.201.0102.9562- समरसता छात्रावास	मूल पुनर्वि.	1,150.00 (-) 1,150.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधानों की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4202-01.201.0103.9562- समरसता छात्रावास	मूल पुनर्वि.	800.00 (-) 800.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधानों की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.202.0101.6970- शासकीय स्कूल/ छात्रावास/पुस्तकालय/ आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	7,678.35 (-) 6,166.07	1,512.28	1,512.28	0.00	समर्पण द्वारा ₹ 6,166.07 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन हेतु स्वीकृति नहीं मिलने तथा निर्माण एजेंसी द्वारा राशि के व्यय नहीं होने के कारण हुई।
4202-01.202.0102.6970- शासकीय स्कूल/ छात्रावास/पुस्तकालय/ आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	2,895.12 (-) 2,316.10	579.02	579.02	0.00	समर्पण द्वारा ₹ 2,316.10 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन हेतु स्वीकृति नहीं मिलने तथा निर्माण एजेंसी द्वारा राशि के व्यय नहीं होने के कारण हुई।
4202-01.202.0701.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	7,222.00 (-) 7,222.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधानों की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.202.0702.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	2,846.00 (-) 2,846.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधानों की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.202.0703.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	1,832.00 (-) 1,832.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधानों की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4202-01.202.0704.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	4,148.00 (-) 4,148.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधानों की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.202.1901.6970- शासकीय स्कूल/ छात्रावास/पुस्तकालय/ आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	7,678.38 (-) 4,948.49	2,729.89	2,729.89	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,948.49 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन हेतु स्वीकृति नहीं मिलने तथा निर्माण एजेंसी द्वारा राशि व्यय नहीं करने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.202.1902.6970- शासकीय स्कूल/ छात्रावास/पुस्तकालय/ आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	2,895.12 (-) 2,236.97	658.15	658.15	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,236.97 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन हेतु स्वीकृति नहीं मिलने तथा निर्माण एजेंसी द्वारा राशि व्यय नहीं करने के कारण हुई।

- (9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.201.0701.1121- पी.एम. श्री	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 620.49	620.49	620.49	0.00	₹ 620.49 लाख के निधि में आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4202-01.201.0702.1121- पी.एम. श्री	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 857.78	857.78	857.78	0.00	₹ 857.78 लाख के निधि में आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4202-01.201.0704.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	2,008.00 7,993.57	10,001.57	10,001.57	0.00	₹ 7,993.57 लाख के निधि में आवर्धन केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुआ।
4202-01.201.0705.1382- पी.एम. जन मन (समग्र शिक्षा)	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 880.00	880.00	880.00	0.00	₹ 880.00 लाख के निधि में आवर्धन केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुआ।
4202-01.201.0706.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	548.00 2,358.43	2,906.43	2,906.43	0.00	₹ 2,358.43 लाख के निधि में आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल

(मुख्य शीर्ष- 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,08,94,38			
पूरक	0	1,08,94,38	91,01,79	(-) 17,92,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 एवं 31 मार्च 2024)				16,60,54

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	72,74			
पूरक	0	72,74	37,25	(-) 35,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				35,49

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 1,792.59 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 28 एवं 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 1,660.54 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2011-02.101.6110- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता प्रतिपक्ष की निजी स्थापना	मूल पुनर्वि.	644.76 (-) 107.01	537.75	537.64	(-) 0.11	समर्पण के रूप में ₹ 107.01 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2011-02.103.4009-विधान सभा सचिवालय	मूल पुनर्वि.	5,089.80 (-) 975.79	4,114.01	4,146.29	+ 32.28	₹ 975.79 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में ₹ 995.79 लाख की कमी तथा प्रावधानों में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी रिक्त पदों, मितव्ययिता तथा सरकार द्वारा मासिक एवं तिमाही व्यय सीमा निर्धारण के कारण हुई जबकि वृद्धि 66वें सी.पी.ए. सम्मेलन में भाग लेने हेतु विदेशी दौरे के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2011-02.103.4312-संसदीय कार्य विभाग	मूल पुनर्वि.	356.80 (-) 120.42	236.38	236.43	+ 0.05	₹ 120.42 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 122.17 लाख की कमी (समर्पण के रूप में ₹ 120.42 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1.75 लाख) तथा प्रावधान में ₹ 1.75 लाख की पुनर्विनियोजन के रूप में वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी रिक्त पदों, मितव्ययिता तथा संभावित बचत के कारण हुई जबकि वृद्धि वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2011-02.103.8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	140.00 (-) 83.72	56.28	28.28	(-) 28.00	समर्पण के रूप में ₹ 83.72 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता तथा सरकार द्वारा मासिक एवं तिमाही व्यय सीमा निर्धारण के कारण हुई।

प्रभारित

- (3) ₹ 35.49 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित की गई।
- (4) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2011-02.101.0125-अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्तें	मूल पुनर्वि.	72.64 (-) 35.39	37.25	37.25	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 35.39 लाख की प्रत्याशित बचत माननीय उपाध्यक्ष पद के रिक्त होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य

(मुख्य शीर्ष- 2014-न्याय प्रशासन, 2015-निर्वाचन, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2216-आवास, 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	26,19,32,77			
पूरक	55,02	26,19,87,79	21,54,69,26	(-) 4,65,18,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 एवं 31 मार्च 2024)				4,49,39,81

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,63,68,10			
पूरक	0	2,63,68,10	2,14,99,52	(-) 48,68,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				41,27,68

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,69,50,01			
पूरक	सांकेतिक	1,69,50,01	1,55,97,91	(-) 13,52,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				13,52,09

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 55.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 46,518.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 44,939.81 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2014-102.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	1,600.00 (-) 1,329.96	270.04	270.03	(-) 0.01	समर्पण के रूप में ₹ 1,329.96 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2014-102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 224.51	175.49	100.49	(-) 75.00	समर्पण के रूप में ₹ 224.51 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2014-103.0701.9634- पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रेक कोर्ट की स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,775.79 (-) 2,198.29	1,577.50	1,537.83	(-) 39.67	समर्पण के रूप में ₹ 2,198.29 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2014-103.0704.9634- पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रेक कोर्ट की स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,517.22 (-) 1,465.51	1,051.71	1,025.26	(-) 26.45	समर्पण के रूप में ₹ 1,465.51 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2014-105.0101.9065- अधीनस्थ कार्यालय के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढीकरण	मूल	900.00	900.00	720.00	(-) 180.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2014-105.4497-सामान्य स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,40,004.38 (-) 20,437.86	1,19,566.52	1,18,992.41	(-) 574.11	₹ 20,437.86 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 30,573.60 लाख की कमी (समर्पण के रूप में ₹ 19,037.86 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,535.74 लाख) तथा ₹ 10,135.74 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी आवासीय घरों के पानी और बिजली शुल्क की शीर्ष 22-005 से प्रतिपूर्ति, 42 प्रतिशत डीए लागू होने तथा पदों के रिक्त रहने के कारण तथा वृद्धि दो दिवसीय सम्मेलन के आयोजन के कारण अतिरिक्त निधि की संभावित आवश्यकता, वित्त आयोग की सिफारिश पर बकाया का भुगतान, उपकरणों/मशीनरी के संधारण तथा अधीनस्थ न्यायालयों की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता तथा अनुपूरक बजट में निधि आवंटित नहीं होने के कारण शीर्ष 22-007 और शीर्ष 33-002 में कम आवंटन के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2014-105.6020-ग्राम न्यायालय	मूल पुनर्वि.	6,000.00 (-) 1,515.74	4,484.26	4,425.17	(-) 59.09	₹ 1,515.74 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 1,525.74 लाख की कमी (समर्पण के रूप में ₹ 1,515.74 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.00 लाख) तथा ₹ 10.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत जबकि वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2015-102.2409-निर्वाचन अधिकारी	मूल पुनर्वि.	5,512.19 (-) 1,165.88	4,346.31	4,270.76	(-) 75.55	₹ 1,165.88 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 1,504.03 लाख की कमी (समर्पण के रूप में ₹ 501.88 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,002.15 लाख) तथा ₹ 338.15 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत तथा विदेशी दौरे में बचत के कारण जबकि वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता एवं उपकरणों के क्रय के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2015-103.3307-मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण	मूल पुनर्वि.	10,000.00 (-) 2,782.43	7,217.57	7,217.57	0.00	₹ 2,782.43 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 3,256.43 लाख की कमी (समर्पण के रूप में ₹ 566.43 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,690.00 लाख) तथा ₹ 474.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत के कारण हुई। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2216-05.053.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 281.64	118.36	38.36	(-) 80.00	समर्पण के रूप में ₹ 281.64 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2225-01.800.0703.5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,105.78 (-) 3,061.93	43.85	7.75	(-) 36.10	समर्पण के रूप में ₹ 3,061.93 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण भी सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2225-01.800.0706.5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,092.28 (-) 2,588.21	504.07	469.78	(-) 34.29	समर्पण के रूप में ₹ 2,588.21 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण भी सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.800.0707.5171- विशेष न्यायालयों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	5,801.04 (-) 3,626.74	2,174.30	2,174.01	(-) 0.29	समर्पण के रूप में ₹ 3,626.74 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2235-60.200.0101.1489- ए.डी.आर. सेंटर्स का निर्माण	मूल पुनर्वि.	500.00 (-) 444.40	55.60	55.59	(-) 0.01	₹ 444.40 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 144.40 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.00 लाख) पद की रिक्तियों, वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों तथा म.प्र. न्यायिक सेवा (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का संशोधन) नियम 2022 के क्रियान्वयन के कारण हुई।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2015-108.9503- मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करना	मूल पुनर्वि.	1,637.50 1,863.09	3,500.59	3,492.59	(-) 8.00	₹ 1,863.09 लाख का निधि में आवर्धन ₹ 1,982.50 लाख की वृद्धि तथा ₹ 119.41 लाख की कमी (पुनर्विनियोजन ₹ 66.50 लाख + समर्पण ₹ 52.91 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि/कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

प्रभारित

- (5) ₹ 4,868.58 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 4,127.68 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

(6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2014-102.0101.0573- उच्च न्यायालय (भारत)	मूल पुनर्वि.	800.00 (-) 278.92	521.08	361.08	(-) 160.00	समर्पण के रूप में ₹ 278.92 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2014-102.0573- उच्च न्यायालय (भारत)	मूल पुनर्वि.	23,248.09 (-) 3,424.18	19,823.91	19,608.01	(-) 215.90	₹ 3,424.18 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 5,784.46 लाख की कमी (समर्पण ₹ 3,424.18 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 2,360.28 लाख) तथा ₹ 2,360.28 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी पद रिक्त रहने तथा डीए दरों के संशोधन नहीं होने के कारण तथा वृद्धि एलटीसी बिल, मेडिकल बिल, पेट्रोल बिल, एमपीएलएस लीज लाईन सर्किट बिल, बिजली बिल के भुगतान, बजट की कमी तथा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2015-106.4006- राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार	मूल पुनर्वि.	20.00 (-) 20.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण विनियोग की बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2216-05.053.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 269.13	130.87	50.87	(-) 80.00	समर्पण के रूप में ₹ 269.13 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य समाप्त

पूंजीगत :

दत्तमत

- (7) ₹ 1,352.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को ₹ 1,352.09 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.1489- ए.डी.आर. सेंटर्स का निर्माण	मूल पुनर्वि.	750.00 (-) 569.83	180.17	180.16	(-) 0.01	समर्पण के रूप में ₹ 569.83 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
4059-01.051.0101.9073- महाधिवक्ता कार्यालय का भवन निर्माण एवं उन्नयन	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
4059-01.051.0101.9074- उच्च न्यायालय का भवन एवं आवासीय परिसर का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 750.00	250.00	250.00	0.00	₹ 750.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 597.53 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 152.47 लाख) वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।

- (9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4216-01.106.0101.9074- उच्च न्यायालय का भवन एवं आवासीय परिसर का निर्माण	मूल पुनर्वि.	0.01 67.74	67.75	67.74	(-) 0.01	₹ 67.74 लाख की निधि का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 152.47 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 84.73 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि/कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास

(मुख्य शीर्ष- 2215—जल पूर्ति तथा सफाई, 2216—आवास, 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505—ग्रामीण रोजगार, 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,49,43,23,69			
पूरक	5,92,00,00	1,55,35,23,69	95,35,08,88	(-) 60,00,14,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				58,99,35,78

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,81			
पूरक	0	6,81	0	(-) 6,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				6,81

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	25,28,00,00			
पूरक	सांकेतिक	25,28,00,00	17,64,93,22	(-) 7,63,06,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				3,99,89,17

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2023 (₹ 6,300.00 लाख) तथा फरवरी 2024 (₹ 52,900.00 लाख) में प्राप्त ₹ 59,200.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 6,00,014.81 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 5,89,935.78 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-02.001.0101.5565- राज्य जल स्वच्छता मिशन	मूल पुनर्वि.	123.67 (-) 123.67	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2215-02.001.0102.5565- राज्य जल स्वच्छता मिशन	मूल पुनर्वि.	42.73 (-) 42.73	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2216-03.198.0101.1134- मुख्यमंत्री जन आवास योजना	मूल पुनर्वि.	6,100.00 (-) 6,100.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2216-03.198.0101.9610- मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना	मूल पुनर्वि.	305.00 (-) 305.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2216-03.198.0102.1134- मुख्यमंत्री जन आवास योजना	मूल पुनर्वि.	2,300.00 (-) 2,300.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2216-03.198.0102.9610- मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना	मूल पुनर्वि.	115.00 (-) 115.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2216-03.198.0103.1134- मुख्यमंत्री जन आवास योजना	मूल पुनर्वि.	1,600.00 (-) 1,600.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2216-03.198.0103.9610- मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना	मूल पुनर्वि.	80.00 (-) 80.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2216-03.198.0701.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पुनर्वि.	2,43,000.00 (-) 1,55,542.26	87,457.74	87,457.74	0.00	₹ 1,55,542.26 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,47,367.46 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 8,174.80 लाख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधानित राशि से अधिक आवंटन की मंजूरी मिलने, निधि की कम आवश्यकता पड़ने तथा केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 202-23 एवं 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।
2216-03.198.0702.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पुनर्वि.	1,17,480.00 (-) 75,210.78	42,269.22	42,269.22	0.00	₹ 75,210.78 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 72,142.56 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 3,068.22 लाख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधानित राशि से अधिक आवंटन की मंजूरी मिलने, निधि की कम आवश्यकता पड़ने तथा केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 202-23 एवं 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2216-03.198.0703.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पुनर्वि.	1,19,520.00 (-) 76,508.00	43,012.00	43,012.00	0.00	₹ 76,508.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 74,373.59 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 2,134.41 लाख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधानित राशि से अधिक आवंटन की स्वीकृति प्राप्त होने, निधि की कम आवश्यकता होने तथा केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 एवं 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।
2216-03.198.0704.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पुनर्वि.	1,62,000.00 (-) 1,03,694.84	58,305.16	58,305.16	0.00	₹ 1,03,694.84 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 97,002.17 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 6,692.67 लाख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधानित राशि से अधिक आवंटन की स्वीकृति प्राप्त होने, निधि की कम आवश्यकता होने तथा केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2216-03.198.0705.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पुनर्वि.	78,320.00 (-) 50,140.52	28,179.48	28,179.48	0.00	₹ 50,140.52 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 47,626.44 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 2,514.08 लाख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधानित राशि से अधिक आवंटन की स्वीकृति प्राप्त होने, निधि की कम आवश्यकता होने तथा केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2216-03.198.0706.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पुनर्वि.	79,680.00 (-) 51,005.33	28,674.67	28,674.67	0.00	₹ 51,005.33 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 49,256.41 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,748.92 लाख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधानित राशि से अधिक आवंटन की स्वीकृति प्राप्त होने, निधि की कम आवश्यकता होने तथा केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2505-01.198.0704.6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल पुनर्वि.	53,375.00 (-) 15,056.60	38,318.40	38,318.40	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 15,056.60 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2505-01.198.0801.6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल पुनर्वि.	33,550.00 (-) 12,444.34	21,105.66	21,105.66	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 12,444.34 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2505-01.198.0801.9566-सामाजिक संपरीक्षा योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	0.01 4,800.00 (-) 2,945.12	1,854.89	1,854.89	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,945.12 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2505-01.198.0802.6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल पुनर्वि.	12,650.00 (-) 4,692.13	7,957.87	7,957.87	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,692.13 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2505-01.198.0803.6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल पुनर्वि.	8,800.00 (-) 3,264.09	5,535.91	5,535.91	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,264.09 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2515-001.0101.1033-विकास खंड कार्यालय	मूल पुनर्वि.	15,846.11 (-) 8,759.51	7,086.60	7,086.33	(-) 0.27	₹ 8,759.51 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 3,538.81 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 5,220.70 लाख) निधि की कम आवश्यकता तथा मांग में कमी के कारण हुई।
2515-001.0101.3926-विकास आयुक्त	मूल पुनर्वि.	1,986.58 (-) 715.22	1,271.36	1,270.74	(-) 0.62	₹ 715.22 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 736.72 लाख की कमी (समर्पण ₹ 707.84 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 28.88 लाख) तथा ₹ 21.50 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी पद रिक्तियों, किसी भी आई.ए.एस. के वेतन आहरण नहीं होने तथा मांग नहीं होने के कारण हुई जबकि वृद्धि निधि की अधिक मांग के कारण हुई।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-001.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	356.85 (-) 89.20	267.65	267.65	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 89.20 लाख की प्रत्याशित बचत डी. डी.ओ. द्वारा आहरण नहीं होने के कारण हुई।
2515-001.0102.1033- विकास खंड कार्यालय	मूल पुनर्वि.	2,448.49 (-) 1,248.90	1,199.59	1,199.55	(-) 0.04	₹ 1,248.90 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 621.39 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 627.51 लाख) निधि की आवश्यकता नहीं होने तथा मांग नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2515-001.0102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	134.55 (-) 78.95	55.60	55.60	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 78.95 लाख की प्रत्याशित बचत डी. डी.ओ. द्वारा आहरण नहीं होने के कारण हुई।
2515-001.0103.1033- विकास खंड कार्यालय	मूल पुनर्वि.	1,603.29 (-) 751.62	851.67	852.24	+ 0.57	₹ 751.62 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 452.13 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 299.49 लाख) निधि की आवश्यकता नहीं होने तथा मांग में कमी के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2515-800.0101.1208- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	मूल पुनर्वि.	23,581.43 (-) 6,837.73	16,743.70	16,735.41	(-) 8.29	समर्पण के रूप में ₹ 6,837.73 लाख की प्रत्याशित बचत मांग नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2515-800.0102.1208- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	मूल पुनर्वि.	2,242.72 (-) 1,285.10	957.62	957.30	(-) 0.32	समर्पण के रूप में ₹ 1,285.10 लाख की प्रत्याशित बचत मांग नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-02.198.0701.5206-निर्मल भारत अभियान	मूल पुनर्वि.	10,980.00 2,206.68	13,186.68	13,186.68	0.00	₹ 2,206.68 लाख का निधि में आवर्धन समर्पण के रूप में ₹ 257.31 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,463.99 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण जबकि वृद्धि केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधानित राशि से अधिक आवंटन की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई।
2215-02.198.0702.5206-निर्मल भारत अभियान	मूल पुनर्वि.	4,140.00 832.03	4,972.03	4,972.03	0.00	₹ 832.03 लाख का निधि में आवर्धन समर्पण के रूप में ₹ 96.94 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 928.97 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण जबकि वृद्धि केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधानित राशि से अधिक आवंटन की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई।
2215-02.198.0704.5206-निर्मल भारत अभियान	मूल पुनर्वि.	7,320.00 1,471.12	8,791.12	8,791.12	0.00	₹ 1,471.12 लाख का निधि में आवर्धन समर्पण के रूप में ₹ 171.54 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,642.66 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण जबकि वृद्धि केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधानित राशि से अधिक आवंटन की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई।
2501-02.198.0702.5770-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास)	मूल पुनर्वि.	2,760.00 1,006.24	3,766.24	3,766.24	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,006.24 लाख का निधि में आवर्धन केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधानित राशि से अधिक आवंटन की स्वीकृति प्राप्त होने तथा केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुआ। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी आधिक्य हुआ।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2501-02.198.0703.5770- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास)	मूल पुनर्वि.	1,920.00 699.99	2,619.99	2,619.99	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 699.99 लाख का निधि में आवर्धन केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधानित राशि से अधिक आवंटन की स्वीकृति प्राप्त होने तथा केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुआ। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2501-02.198.0705.5770- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास)	मूल पुनर्वि.	1,840.00 670.83	2,510.83	2,510.83	0.00	₹ 670.83 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 690.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 19.17 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1.94 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 17.24 लाख) का निवल प्रभाव था। कमी केन्द्रांश की कम प्राप्ति होने के कारण (₹ 1.94 लाख) जबकि वृद्धि केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधानित राशि से अधिक आवंटन की स्वीकृति प्राप्त होने तथा केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2501-02.198.0706.5770- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास)	मूल पुनर्वि.	1,280.00 466.66	1,746.66	1,746.66	0.00	₹ 466.66 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 480.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 13.34 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1.35 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 11.99 लाख) का निवल प्रभाव था। कमी केन्द्रांश की कम प्राप्ति होने के कारण (₹ 1.35 लाख) जबकि वृद्धि केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधानित राशि से अधिक आवंटन की मंजूरी मिलने तथा केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुई। शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2501-03.198.0701.5770- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास)	मूल पुनर्वि.	7,320.00 2,668.72	9,988.72	9,988.72	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,668.72 लाख का निधि में आवर्धन केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधानित राशि से अधिक आवंटन की स्वीकृति प्राप्त होने तथा केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुआ। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2501-03.198.0704.5770- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास)	मूल	4,880.00	6,659.15	6,659.15	0.00	₹ 1,779.15 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,830.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 50.85 लाख की कमी (समर्पण ₹ 5.13 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 45.72 लाख) का निवल प्रभाव था। कमी केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण (₹ 5.13 लाख) जबकि वृद्धि केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधानित राशि से अधिक आवंटन की मंजूरी मिलने तथा केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुआ। शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
	पुनर्वि.	1,779.15				
2515-198.0101.9564- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत रसोइयों को मानदेय भुगतान की राज्य योजना	मूल	12,810.00	29,376.70	29,376.70	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,220.70 लाख का निधि में आवर्धन रसोइयों को मानदेय के कारण हुआ।
	पूरक	11,346.00				
	पुनर्वि.	5,220.70				

पूँजीगत :

दत्तमत

- (5) ₹ 76,306.78 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 39,989.17 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-103.0101.9216- प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	मूल	15,250.00	13,472.00	13,472.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,778.00 लाख की प्रत्याशित बचत मांग में कमी के कारण हुई।
	पुनर्वि.	(-) 1,778.00				

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-103.0701.7467- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना	मूल पुनर्वि.	70,004.00 (-) 38,665.10	31,338.90	31,338.90	0.00	₹ 38,665.10 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 20,365.10 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 18,300.00 लाख) केन्द्र सरकार से कम निधि प्राप्त होने के कारण तथा कोषालय से आहरण हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
4515-103.0702.7467- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना	मूल पुनर्वि.	26,072.00 (-) 14,816.16	11,255.84	11,255.84	0.00	₹ 14,816.16 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 7,916.16 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 6,900.00 लाख) केन्द्र सरकार से कम निधि प्राप्त होने के कारण तथा कोषालय से आहरण हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
4515-103.0703.7467- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना	मूल पुनर्वि.	18,024.00 (-) 10,151.74	7,872.26	7,872.26	0.00	₹ 10,151.74 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 5,351.74 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 4,800.00 लाख) केन्द्र सरकार से कम निधि प्राप्त होने के कारण तथा कोषालय से आहरण हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
4515-103.0704.7467- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना	मूल पुनर्वि.	11,820.00 (-) 2,603.07	9,216.93	9,216.93	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,603.07 लाख की प्रत्याशित बचत कोषालय से आहरण हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास समाप्त

- (7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-800.0101.7251- विकास भवन	मूल पुनर्वि.	200.00 1,707.28	1,907.28	1,907.28	0.00	₹ 1,707.28 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,778.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 70.72 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति के कारण जबकि कमी डी. डी.ओ. द्वारा निधि के आहरण नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
4515-800.0420.6084- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना	मूल पुनर्वि.	10,000.00 26,317.61	36,317.61	0.00	(-) 36,317.61	₹ 26,317.61 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30,000.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 3,682.39 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मांग की अधिकता के कारण जबकि कमी मांग की कमी के कारण हुई।

अनुदान संख्या 31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी

(मुख्य शीर्ष- 2401-फसल कृषि कर्म, 2405-मछली उद्योग, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,96,25,73			
पूरक	57,75,00	3,54,00,73	3,15,48,15	(-) 38,52,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (15 जनवरी तथा 31 मार्च 2024)				7,55,66

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,00			
पूरक	0	2,00	0	(-) 2,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,08,32,05			
पूरक	0	6,08,32,05	5,89,95,00	(-) 18,37,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				4

अनुदान संख्या 31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 3,852.58 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 5,775.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 3,852.58 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 15 जनवरी तथा 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 755.66 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3451-101.0101.7613- प्रदेश में क्रियान्वित परियोजनाओं की मानिट्रिंग, सलाहकार सेवायें, नवाचार, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मूल पुनर्वि.	752.00 (-) 386.94	365.06	365.06	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 386.94 लाख की प्रत्याशित बचत सलाहकारों के पद रिक्त रहने के कारण हुई।
3454-02.001.8048- आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	मूल	7,752.20	7,752.20	5,692.99	(-) 2,059.21	पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (प्रत्येक में ₹ 23.10 लाख) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी/वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
3454-02.001.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	200.00	200.00	69.25	(-) 130.75	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
3454-02.205.0101.9584- डाटा सुदृढीकरण योजना	मूल	200.00	200.00	0.00	(-) 200.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान की बचत हुई थी।
3454-02.205.9983- राज्य सांख्यिकी आयोग	मूल	358.85	358.85	126.08	(-) 232.77	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत

- (4) ₹ 1,837.05 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 0.04 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5475-112.0101.9584- डाटा सुदृढीकरण योजना	मूल	200.00	200.00	0.00	(-) 200.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

- (6) समर्पण राशि ₹ 41,05,83,553 स्वीकृति क्र. 1272(अ)/2024/1-प्रशा./बजट भोपाल, दिनांक 01.04.2024 को, 31.03.2024 उपरांत, दिनांक 01.04.2024 को जारी होने के कारण लेखे में शामिल नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 32—जनसंपर्क

(मुख्य शीर्ष- 2013-मंत्रिपरिषद, 2015-निर्वाचन, 2029-भू-राजस्व, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2041-वाहन कर, 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2054-खजाना और लेखा प्रशासन, 2055-पुलिस, 2056-जेल, 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2202-सामान्य शिक्षा, 2203-तकनीकी शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास, 2220-सूचना तथा प्रचार, 2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 2401-फसल कृषि कर्म, 2403-पशु पालन, 2405-मछली उद्योग, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 2425-सहकारिता, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2701-मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2810-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3054-सड़क तथा सेतु, 3452-पर्यटन, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4220-सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,97,29,05			
पूरक	3,81,00,00	10,78,29,05	10,49,49,79	(-) 28,79,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-)1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 32—जनसंपर्क समाप्त

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,00,00			
पूरक	0	3,00,00	78,52	(-) 2,21,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 2,879.26 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 38,100.00 लाख का अनुपूरक अनुदान, जुलाई 2023 में प्राप्त (₹ 5,700.00 लाख) अत्यधिक सिद्ध हुआ जबकि फरवरी 2024 में प्राप्त (₹ 32,400.00 लाख) अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,879.26 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) ₹ 2,879.26 लाख की सम्पूर्ण बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी।

पूंजीगत :

दत्तमत

- (4) ₹ 221.48 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4220-60.101.0101.0684- कार्यालय भवन निर्माण	मूल	300.00	300.00	78.52	(-) 221.48	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22, तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00,34,17,21			
पूरक	सांकेतिक	1,00,34,17,21	82,56,56,73	(-) 17,77,60,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				17,76,37,90

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,00			
पूरक	0	9,00	2,10	(-) 6,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				6,90

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	17,13,85,03			
पूरक	36,48,75	17,50,33,78	14,76,22,95	(-) 2,74,10,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2,12,29,07

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 1,77,760.48 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 1,77,637.90 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.0102.2773- प्राथमिक शालाएं	मूल पुनर्वि.	3,81,285.00 (-) 44,858.95	3,36,426.05	3,36,426.71	+ 0.66	₹ 44,858.95 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 46,036.18 लाख की कमी (समर्पण ₹ 45,558.95 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 477.23 लाख) तथा ₹ 1,177.23 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत, जिलों द्वारा आहरण नहीं करने तथा टी. ए. बिलों की प्राप्ति नहीं होने के कारण जबकि वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता तथा गेस्ट अध्यापकों को मानदेय के भुगतान के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.0102.3496- माध्यमिक शालाएं	मूल पुनर्वि.	2,22,068.94 (-) 24,474.82	1,97,594.12	1,97,593.40	(-) 0.72	₹ 24,474.82 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 29,578.83 लाख की कमी (समर्पण ₹ 29,351.82 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 227.01 लाख) तथा ₹ 5,104.01 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत, जिलों द्वारा आहरण नहीं करने तथा टी. ए. बिलों की प्राप्ति नहीं होने तथा 11-001 और 11-003 से वेतन भुगतान के कारण जबकि वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2225-01.001.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	14,393.96 (-) 13,362.81	1,031.15	1,031.15	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 13,362.81 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
2225-01.001.0102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	500.00 (-) 500.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.800.0102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 99.41	0.59	0.59	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 99.41 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.102.0102.2321- नेतृत्व विकास एवं भारत दर्शन	मूल पुनर्वि.	112.50 (-) 112.50	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कार्यक्रम आयोजन नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.102.0102.2324- आकांक्षा योजना	मूल पुनर्वि.	1,039.27 (-) 977.22	62.05	62.05	0.00	₹ 977.22 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 300.22 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 677.00 लाख) संभावित बचत तथा लक्ष्य प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.102.0102.4719- अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति के लिए सहायता योजना	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 47.52	2.48	2.48	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 47.52 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से पुनर्वास के मामले प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई।
2225-02.102.0102.7826- कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के परिवहन योजना	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.102.0102.8808- सूचना एवं प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य	मूल पुनर्वि.	510.00 (-) 319.40	190.60	190.60	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 319.40 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.102.0102.9604- अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिये रोजगार मूलक आर्थिक सहायता	मूल पुनर्वि.	6,000.00 (-) 4,560.00	1,440.00	1,440.00	0.00	₹ 4,560.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,860.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 2,700.00 लाख) संभावित बचत तथा वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.102.0802.6500- विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	मूल पुनर्वि.	10,000.00 (-) 10,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2225-02.190.0102.7660- कार्यक्रम, आयोजन एवं प्रबंधन	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 50.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत मांग नहीं होने के कारण हुई।
2225-02.190.0102.9855- वन्या प्रकाशन	मूल पुनर्वि.	550.00 (-) 302.80	247.20	247.20	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 302.80 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमति प्रदान करने के कारण हुई।
2225-02.277.0102.0978- क्रीडा परिसर	मूल पुनर्वि.	2,500.00 (-) 1,293.55	1,206.45	1,206.45	0.00	₹ 1,293.55 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,253.55 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 40.00 लाख) संभावित बचत, वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों, निधि के आहरण नहीं होने तथा जिलों द्वारा मांग नहीं करने के कारण हुई।
2225-02.277.0102.1868- तकनीकी शिक्षा मंडल (मेपसेट)	मूल पुनर्वि.	936.00 (-) 886.00	50.00	50.00	0.00	₹ 886.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 221.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 665.00 लाख) संभावित बचत तथा लक्ष्य प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0102.2604- मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग	मूल पुनर्वि.	206.64 (-) 66.23	140.41	140.41	0.00	₹ 66.23 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 70.67 लाख की कमी (समर्पण ₹ 66.23 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 4.44 लाख) तथा ₹ 4.44 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी आवश्यकता नहीं पड़ने तथा संभावित बचत के कारण जबकि वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण हुई।
2225-02.277.0102.8805- राज्य शासन अनुसूचित जाति/ जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 1 व 8)	मूल पुनर्वि.	6,500.00 (-) 687.03	5,812.97	5,812.97	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 687.03 लाख की प्रत्याशित बचत मांग नहीं होने के कारण हुई।
2225-02.277.0102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	303.02 (-) 303.02	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.0102.9846- स्काउट गाइड	मूल पुनर्वि.	65.00 (-) 49.47	15.53	15.53	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 49.47 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2225-02.277.0422.9516- सी.एम. राइज	मूल पुनर्वि.	1,169.08 (-) 681.74	487.34	487.34	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 681.74 लाख की प्रत्याशित बचत आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई।
2225-02.277.0702.6175- छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु	मूल पुनर्वि.	9,375.00 (-) 9,375.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0705.6175- छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु	मूल पुनर्वि.	3,125.00 (-) 3,125.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
2225-02.277.1702.9516- सी.एम. राइज	मूल पुनर्वि.	1,212.10 (-) 856.43	355.67	355.67	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 856.43 लाख की प्रत्याशित बचत आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.1702.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	303.02 (-) 303.02	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.800.0602.5211- आई.टी.डी.पी./ माडा पॉकेट/ क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	7,900.00 (-) 7,900.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 7,800.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 100.00 लाख) केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2225-02.800.0802.3728- अनुसूचित जनजाति संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास	मूल पुनर्वि.	151.79 (-) 151.79	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.001.0802.1186- राज्य को प्रशासकीय लागत	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 100.00	100.00	100.00	0.00	₹ 100.00 लाख का निधि में आवर्धन केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त होने तथा योजना के अंतर्गत खोले गए एस.एन.ए. खातों में जमा होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

पूँजीगत :

दत्तमत

- (4) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2023 (₹ 1,050.00 लाख) तथा फरवरी 2024 (₹ 2,598.75 लाख) में प्राप्त ₹ 3,648.75 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 27,410.83 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 21,229.07 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-02.277.0102.0762- म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी	मूल पुनर्वि.	3,600.00 (-) 1,815.50	1,784.50	1,784.50	0.00	₹ 1,815.50 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,015.50 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 800.00 लाख) कार्य पूर्ण नहीं होने तथा संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
4225-02.277.0102.0978- क्रीडा परिसर	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 1,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 50.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 950.00 लाख) कार्य योजना नहीं होने के कारण हुई। (₹ 50.00 लाख) शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4225-02.277.0102.6502- महाविद्यालयीन छात्रावास	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 551.30	448.70	448.70	0.00	₹ 551.30 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य पूर्ति नहीं होने तथा बी.सी.ओ. द्वारा निधि के समर्पण के कारण हुई।
4225-02.277.0102.7912- शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण	मूल	2,300.00	2,300.00	0.00	(-) 2,300.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-02.277.0422.0762- म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी	मूल पुनर्वि.	10,000.00 (-) 6,117.84	3,882.16	0.00	(-) 3,882.16	₹ 6,117.84 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 2,417.84 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 3,700.00 लाख) कार्य पूर्ण नहीं होने तथा बी.सी.ओ. द्वारा निधि के समर्पण के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
4225-02.800.0102.3728- अनुसूचित जनजाति संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास	मूल पूरक पुनर्वि.	0.01 250.00 (-) 250.01	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4225-02.800.0602.5211- आई.टी.डी.पी. / माडा पॉकेट/क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	18,000.00 (-) 18,000.00	0.00	0.00	0.00	₹ 18,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 9,789.55 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 8,210.45 लाख) केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (₹ 9,789.55 लाख)। शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4225-02.800.0802.3728- अनुसूचित जनजाति संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास	मूल पुनर्वि.	900.00 (-) 756.92	143.08	143.08	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 756.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य समाप्त

- (7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.202.0102.0581- शासकीय हाई/हायर सेकेंडरी शालायें	मूल पुनर्वि.	15,885.00 4,148.14	20,033.14	20,033.54	+ 0.40	₹ 4,148.14 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,500.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 351.86 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी कार्य पूर्ण नहीं होने तथा बी.सी.ओ. द्वारा निधि के समर्पण के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4225-02.277.0102.1398- सीनियर छात्रावास	मूल पुनर्वि.	4,000.00 3,406.06	7,406.06	7,406.06	0.00	₹ 3,406.06 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,987.58 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 581.52 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी कार्य पूर्ण नहीं होने तथा बी.सी.ओ. द्वारा निधि के समर्पण के कारण हुई।
4225-02.277.0802.7881- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275 (1)	मूल पुनर्वि.	9,000.00 8,210.45	17,210.45	17,210.45	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,210.45 लाख का निधि में आवर्धन योजना के अंतर्गत खोले गए पी.एफ. एम.एस. खाते में इस राशि के जमा किये जाने की आवश्यकता के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	38,87,00,15			
पूरक	7,55,00,00	46,42,00,15	45,31,33,01	(-) 1,10,67,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,20			
पूरक	0	1,20	0	(-) 1,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00,00,00			
पूरक	0	1,00,00,00	0	(-)1,00,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण समाप्त

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 11,067.14 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2023 (₹ 50,500.00 लाख) तथा फरवरी 2024 (₹ 25,000.00 लाख) में प्राप्त ₹ 75,500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 11,067.14 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) ₹ 11,067.14 लाख की कुल बचत सम्पूर्ण प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी।

पूंजीगत :

दत्तमत

- (4) सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4235-02.101.0101.1167-परिणाम निधि	मूल	6,100.00	6,100.00	0.00	(-) 6,100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4235-02.101.0102.1167-परिणाम निधि	मूल	2,300.00	2,300.00	0.00	(-) 2,300.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

(मुख्य शीर्ष-2851—ग्राम तथा लघु उद्योग, 4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,27,18,87			
पूरक	0	7,27,18,87	6,20,87,10	(-) 1,06,31,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				75,16,37

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)
मूल	6			
पूरक	0	6	1	(-) 5
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				5

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,52,20,05			
पूरक	0	1,52,20,05	1,37,20,00	(-) 15,00,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				5

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 10,631.77 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 7,516.37 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2851-102.0101.9531- एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	मूल पुनर्वि.	305.00 (-) 151.83	153.17	92.17	(-) 61.00	₹ 151.83 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 78.83 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 73.00 लाख) मांग नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2851-102.0101.9538- निर्यात प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	305.00 (-) 115.52	189.48	128.48	(-) 61.00	₹ 115.52 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 43.52 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 72.00 लाख) मांग नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2851-102.0102.9531- एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	मूल पुनर्वि.	115.00 (-) 34.90	80.10	57.10	(-) 23.00	समर्पण के रूप में ₹ 34.90 लाख की प्रत्याशित बचत मांग नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2851-111.0101.9921- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना	मूल पुनर्वि.	10,000.02 (-) 769.96	9,230.06	7,467.86	(-) 1,762.20	समर्पण के रूप में ₹ 769.96 लाख की प्रत्याशित बचत मांग नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2851-200.1464-जिला उद्योग केन्द्र	मूल पुनर्वि.	7,657.09 (-) 2,065.14	5,591.95	5,591.69	(-) 0.26	₹ 2,065.14 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 2,115.39 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2,065.14 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 50.00 लाख) तथा ₹ 50.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी मांग नहीं होने, स्थायी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता का भुगतान नहीं करने तथा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण जबकि वृद्धि स्थायी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता में भुगतान हेतु निधि का अभाव तथा आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे कर्मियों को वेतन भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2851-800.0101.5101-सीपेट को अधोसंरचना अनुदान	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 199.36	200.64	120.64	(-) 80.00	समर्पण के रूप में ₹ 199.36 लाख की प्रत्याशित बचत मांग नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2851-800.0103.2124-एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	14,624.00 (-) 3,468.25	11,155.75	10,140.50	(-) 1,015.25	समर्पण के रूप में ₹ 3,468.25 लाख की प्रत्याशित बचत मांग नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2851-101.0101.6750-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग का अधोसंरचना विकास	मूल पुनर्वि.	20.00 (-) 7.20	12.80	123.30	+ 110.50	समर्पण के रूप में ₹ 7.20 लाख की प्रत्याशित बचत म.प्र. शासन से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत

- (4) ₹ 1,500.05 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 0.05 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4851-800.0101.6820- क्लस्टरों की स्थापना	मूल	1,500.00	1,500.00	0.00	(-) 1,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 36—परिवहन

(मुख्य शीर्ष- 2041—वाहन कर, 3055—सड़क परिवहन, 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 5055—सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,49,82,36			
पूरक	0	1,49,82,36	84,74,19	(-) 65,08,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				64,51,08

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	25,00			
पूरक	0	25,00	8,02	(-) 16,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				16,98

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00,01			
पूरक	0	10,00,01	2,78,19	(-) 7,21,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				7,21,82

अनुदान संख्या 36—परिवहन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 6,508.17 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 6,451.08 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2041-001.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 50.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2041-001.3561- मुख्यालय स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,756.25 (-) 1,979.04	777.21	778.00	+ 0.79	समर्पण के रूप में ₹ 1,979.04 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/ सेवा के दौरान आकस्मिक निधन, स्थायी कर्मचारियों के सेवा में नियमितीकरण, प्रशासनिक पदों की रिक्तता तथा कंपनियों द्वारा उपकरण उत्पादन के अभाव में ठेकेदार से अनुबंध समझौता नहीं होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2041-001.7638- स्मार्ट कार्ड योजना	मूल पुनर्वि.	3,000.00 (-) 1,094.44	1,905.56	1,905.56	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,094.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2041-101.4280- जिला स्थापना	मूल पुनर्वि.	5,924.07 (-) 2,511.69	3,412.38	3,411.79	(-) 0.59	समर्पण के रूप में ₹ 2,511.69 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/सेवा के दौरान आकस्मिक निधन, स्थायी कर्मचारियों के सेवा में नियमितीकरण, प्रशासनिक पदों की रिक्तता तथा केन्द्रीकृत मेल डिलीवरी हेतु फर्म के साथ अनुबंध नहीं होने पर व्यय नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 36-परिवहन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3055-004.9845- ग्रामीण परिवहन नीति का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 200.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (3) ₹ 16.98 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित की गई।
(4) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2041-101.4280- जिला स्थापना	मूल पुनर्वि.	25.00 (-) 16.98	8.02	8.02	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 16.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (5) ₹ 721.82 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित की गई।
(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-80.201.0101.7311- कार्यालय भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 721.81	278.19	278.19	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 721.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 37-पर्यटन

(मुख्य शीर्ष-3452-पर्यटन, 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,17,96,29			
पूरक	38,55	1,18,34,84	74,40,12	(-) 43,94,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				43,94,72

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,52,00,00			
पूरक	सांकेतिक	1,52,00,00	1,44,49,29	(-) 7,50,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				7,50,71

अनुदान संख्या 37—पर्यटन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 38.55 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 4,394.72 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2024 को समर्पित कर दी गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3452.01.101.0101.1271- पर्यटन नीति का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 312.00	88.00	88.00	0.00	₹ 312.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 112.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 200.00 लाख) वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
3452.01.101.0102.1271- पर्यटन नीति का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	300.00 (-) 234.00	66.00	66.00	0.00	₹ 234.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
3452.01.101.0103.1271- पर्यटन नीति का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 156.00	44.00	44.00	0.00	₹ 156.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
3452.01.190.0101.3346- पर्यटन क्षेत्र में प्रचार प्रसार हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	5,000.00 (-) 2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	₹ 2,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
3452.80.001.0101.1271- पर्यटन नीति का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	2,900.00 (-) 1,102.00	1,798.00	1,798.00	0.00	₹ 1,102.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।

अनुदान संख्या 37-पर्यटन समाप्त

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3452.80.001.0101.1919- मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के स्थापना व्यय हेतु सहायता	मूल पुनर्वि.	1000.00 200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	₹ 200.00 लाख का निधि में आवर्धन म.प्र. पर्यटन बोर्ड की स्थापना हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

पूंजीगत :

दत्तमत

- (5) ₹ 750.71 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2024 को समर्पित कर दी गई।

अनुदान संख्या 38—आयुष

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,21,94,28			
पूरक	5,00,00	7,26,94,28	6,24,42,24	(-) 1,02,52,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 मार्च 2024)				84,43,76

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8,00			
पूरक	0	8,00	18	(-) 7,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	23,59,20			
पूरक	0	23,59,20	18,11,95	(-) 5,47,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 10,252.04 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 28 मार्च 2024 को केवल ₹ 8,443.76 लाख का अभ्यर्पण किया गया।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01.110.0101.9593- आयुष औषधियों का क्रय	मूल	400.00	400.00	311.62	(-) 88.38	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-01.110.0102.9593- आयुष औषधियों का क्रय	मूल	300.00	300.00	239.46	(-) 60.54	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-02.101.0101.0460- आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय	मूल पूरक पुनर्वि.	17,130.08 500.00 (-) 3,295.31	14,334.77	14,222.72	(-) 112.05	₹ 3,295.31 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 3,305.31 लाख की कमी (समर्पण ₹ 3,295.31 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 10.00 लाख) तथा ₹ 10.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः अधिक प्रावधान के कारण हुई जबकि वृद्धि कम प्रावधान के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-02.101.0101.4194- शासकीय आयुर्वेदिक फार्मसी एवं डिपो	मूल पुनर्वि.	564.66 (-) 175.11	389.55	339.11	(-) 50.44	समर्पण के रूप में ₹ 175.11 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-02.101.0101.4286- निदेशक आयुष एवं प्रशासन	मूल पुनर्वि.	1,129.70 (-) 312.23	817.47	741.08	(-) 76.39	समर्पण के रूप में ₹ 312.23 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-02.101.0101.9519- देवारण्य योजना	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 186.70	213.30	133.30	(-) 80.00	समर्पण के रूप में ₹ 186.70 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-02.101.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	1,155.00 (-) 509.97	645.03	414.03	(-) 231.00	समर्पण के रूप में ₹ 509.97 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-02.101.0102.0460- आयुष चिकित्सालय एवं औषद्यालय	मूल पुनर्वि.	9,463.20 (-) 1,027.12	8,436.08	8,353.97	(-) 82.11	समर्पण के रूप में ₹ 1,027.12 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-02.101.0102.9519- देवारण्य योजना	मूल पुनर्वि.	300.00 (-) 32.00	268.00	128.00	(-) 140.00	समर्पण के रूप में ₹ 32.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-02.101.0702.1277- राष्ट्रीय आयुष मिशन	मूल पुनर्वि.	1,704.00 (-) 1,412.32	291.68	291.68	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,412.32 लाख की प्रत्याशित बचत अधिक प्रावधान के कारण हुई।
2210-02.101.0705.1277- राष्ट्रीय आयुष मिशन	मूल पुनर्वि.	736.00 (-) 541.55	194.45	194.45	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 541.55 लाख की प्रत्याशित बचत अधिक प्रावधान के कारण हुई।
2210-02.103.0102.3613- यूनानी फार्मसी	मूल पुनर्वि.	128.59 (-) 28.11	100.48	82.14	(-) 18.34	समर्पण के रूप में ₹ 28.11 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-02.103.0102.4760- यूनानी अस्पताल एवं चिकित्सालय	मूल पुनर्वि.	121.85 (-) 52.87	68.98	64.48	(-) 4.50	समर्पण के रूप में ₹ 52.87 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 38—आयुष समाप्त

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-02.101.0704.1277- राष्ट्रीय आयुष मिशन	मूल पुनर्वि.	2,048.00 1,491.42	3,539.42	3,539.42	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,491.42 लाख का निधि में आवर्धन कम बजट प्रावधान के कारण हुआ।

पूंजीगत :

दत्तमत

- (5) ₹ 547.25 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-02.101.0101.0461- आयुष प्रशासन का सुदृढीकरण	मूल	199.20	199.20	94.97	(-) 104.23	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4210-02.101.0102.0461- आयुष प्रशासन का सुदृढीकरण	मूल	100.00	100.00	45.00	(-) 55.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4210-02.101.0103.0461- आयुष प्रशासन का सुदृढीकरण	मूल	60.00	60.00	35.36	(-) 24.64	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.101.0103.0469- आयुष महाविद्यालय	मूल	200.00	200.00	60.00	(-) 140.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

(मुख्य शीर्ष- 2408-खाद्य, भंडारण और भंडागार, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4408-खाद्य, भंडारण तथा भंडागार पर पूंजीगत परिव्यय, 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय एवं 6408-खाद्य भंडारण तथा भंडागार के लिए कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,08,72,32			
पूरक	6,50,16,81	16,58,89,13	14,39,95,51	(-) 2,18,93,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				8,42,47

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,85			
पूरक	0	1,85	0	(-) 1,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				60

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,02,10,63			
पूरक	1	1,02,10,64	59,85,07	(-) 42,25,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,54,56

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 21,893.62 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 65,016.81 लाख का अनुपूरक अनुदान, जुलाई 2023 (₹ 50,016.80 लाख) में प्राप्त अत्यधिक सिद्ध जबकि फरवरी 2024 (₹ 15,000.01 लाख) में प्राप्त अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 21,893.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 842.47 लाख अभ्यर्पित किया गया।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.001.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	121.99	121.99	1.53	(-) 120.46	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2408-01.001.0102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	46.57	46.57	0.00	(-) 46.57	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2408-01.001.1471- जिला कार्यालय	मूल पुनर्वि.	6,470.63 150.00	6,620.63	4,357.22	(-) 2,263.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2408-01.102.0101.5623- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए अन्नपूर्णा योजना	मूल पुनर्वि.	12,200.00 (-) 9,760.00	2,440.00	0.00	(-) 2,440.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,760.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2408-01.102.0101.7165- खाद्यान्न भण्डारण हेतु गारंटी योजना	मूल	1,200.00	1,200.00	768.00	(-) 432.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2408-01.102.0101.9087- खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	मूल पूरक	61.00 40,300.00	40,361.00	33,617.25	(-) 6,743.75	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.102.0102.5623-गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए अन्नपूर्णा योजना	मूल पुनर्वि.	4,600.00 (-) 3,808.16	791.84	0.00	(-) 791.84	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,808.16 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2408-01.102.0102.9087-खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	मूल पूरक	23.00 14,300.00	14,323.00	11,882.73	(-) 2,440.27	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2408-01.102.0103.5623-गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए अन्नपूर्णा योजना	मूल पुनर्वि.	3,200.00 (-) 2,560.00	640.00	0.00	(-) 640.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,560.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2408-01.102.0701.7367-लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराइजेशन	मूल	388.01	388.01	0.00	(-) 388.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2408-01.102.0701.7658-फोर्टीफाईड चावल का वितरण	मूल	91.50	91.50	0.00	(-) 91.50	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2408-01.190.0101.9214-डबल फोर्टीफाईड/आयोडाईस्ड नमक का वितरण	मूल	3,660.00	3,660.00	2,928.00	(-) 732.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2408-01.190.0102.9214-डबल फोर्टीफाईड/आयोडाईस्ड नमक का वितरण	मूल	1,380.00	1,380.00	1,104.00	(-) 276.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2408-01.190.0103.9214-डबल फोर्टीफाईड/आयोडाईस्ड नमक का वितरण	मूल	960.00	960.00	768.00	(-) 192.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.800.0801.9253- उपभोक्ता जागरूकता कल्याण योजना	मूल	80.02	80.02	0.00	(-) 80.02	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2408-02.190.0101.1275- वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति, 2012 के अंतर्गत अनुदान	मूल पुनर्वि.	91.50 (-) 91.50	0.00	0.00	0.00	₹ 91.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.102.0101.9954- मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना	मूल पुनर्वि.	0.01 789.17	789.18	784.85	(-) 4.33	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 789.17 लाख का निधि में आवर्धन योजना में सांकेतिक प्रावधान के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2408-01.102.0102.9954- मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना	मूल पुनर्वि.	0.01 194.52	194.53	143.15	(-) 51.38	₹ 194.52 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 258.52 लाख की वृद्धि तथा ₹ 64.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि योजना में सांकेतिक प्रावधान के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2408-01.102.0103.9954- मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना	मूल पुनर्वि.	0.01 140.31	140.32	119.07	(-) 21.25	₹ 140.31 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 179.84 लाख की वृद्धि तथा ₹ 39.53 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि योजना में सांकेतिक प्रावधान के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.102.0703.1299- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	5,280.00 3,191.60	8,471.60	8,471.60	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,191.60 लाख का निधि में आवर्धन भारत सरकार से प्राप्तियों के भुगतान तथा योजना कोड 1299 में देनदारियों के भुगतान के कारण हुई।
2408-01.102.0706.1299- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	3,520.00 1,320.99	4,840.99	4,840.99	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,320.99 लाख का निधि में आवर्धन भारत सरकार से प्राप्तियों के भुगतान तथा योजना कोड 1299 में देनदारियों के भुगतान के कारण हुई।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (5) ₹ 4,225.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 154.56 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5475-800.6113- संभागीय कार्यालय का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	172.38 (-) 154.56	17.82	17.82	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 154.56 लाख की प्रत्याशित बचत पी.आई.यू. द्वारा किये गए व्यय के कारण हुई।
6408-02.190.1401.7272- गोदामों का निर्माण	मूल	6,100.00	6,100.00	3,638.65	(-) 2,461.35	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
6408-02.190.1402.7272- गोदामों का निर्माण	मूल	2,300.00	2,300.00	1,371.95	(-) 928.05	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6408-02.190.1403.7272- गोदामों का निर्माण	मूल	1,600.00	1,600.00	954.40	(-) 645.60	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (7) समर्पण राशि ₹ 8,74,39,740 स्वीकृति क्र. 308/011/2023-24, दिनांक 31.03.2024 को अंतिम निर्धारित तिथि 15.05.2024 के पश्चात प्राप्त होने के कारण लेखे में शामिल नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 40—पंचायत

(मुख्य शीर्ष-2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 3604—पंचायती राज संस्थानों एवं स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन और 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	69,72,06,13			
पूरक	26,05,00,00	95,77,06,13	73,95,87,98	(-) 21,81,18,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	50			
पूरक	0	50	0	(-) 50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 40—पंचायत जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 2,18,118.15 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2023 (₹ 47,000.00 लाख) तथा फरवरी 2024 (₹ 2,13,500.00 लाख) में प्राप्त ₹ 2,60,500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,18,118.15 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-101.0101.2467- पंचायत संचालनालय	मूल पुनर्वि.	794.51 1,000.00	1,794.51	1,584.26	(-) 210.25	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख के निधि में आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024) इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-101.2474- पंचायती राज संस्थाओं से सम्बंधित प्रभार	मूल	23,972.65	23,972.65	19,322.06	(-) 4,650.59	पुनर्विनियोजन के रूप में प्रावधान में ₹ 13.50 लाख की समान राशि की वृद्धि तथा कमी हुई। वृद्धि, कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-198.0701.0647- ग्राम स्वराज अभियान	मूल पूरक	2,816.76 3,720.00	6,536.76	2,857.00	(-) 3,679.76	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-198.0702.0647- ग्राम स्वराज अभियान	मूल पूरक	1,062.04 1,320.00	2,382.04	540.00	(-) 1,842.04	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-198.0704.0647- ग्राम स्वराज अभियान	मूल पूरक	1,877.82 2,480.00	4,357.82	1,904.67	(-) 2,453.15	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 40—पंचायत जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-198.0705.0647- ग्राम स्वराज अभियान	मूल पूरक	708.03 880.00	1,588.03	360.00	(-) 1,228.03	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-198.1301.9638- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल पूरक	1,88,063.00 1,32,370.00	3,20,433.00	2,43,846.45	(-) 76,586.55	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-198.1302.9638- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल पूरक	70,909.00 46,970.00	1,17,879.00	70,909.00	(-) 46,970.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2515-198.1303.9638- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल पूरक	49,328.00 34,160.00	83,488.00	38,203.19	(-) 45,284.81	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
3604-196.8209- पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधाएं	मूल	4,209.00	4,209.00	1,015.25	(-) 3,193.75	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
3604-197.0101.4610- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	मूल पूरक	9,845.40 11,385.00	21,230.40	20,288.57	(-) 941.83	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
3604-198.0101.6602- स्थानीय निकायों/ पंचायती राज संस्थाओं को कर संग्रहण हेतु प्रोत्साहन अनुदान	मूल	61.00	61.00	0.00	(-) 61.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
3604-198.0101.9579- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर नर्मदा तट पर स्थित ग्राम पंचायतों के लिये अनुदान	मूल	305.00	305.00	0.00	(-) 305.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 40—पंचायत जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3604-198.0101.9580-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर भीमबैठका तथा तामिया के पर्यटन विकास हेतु अनुदान	मूल	61.00	61.00	0.00	(-) 61.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
3604-198.0101.9611-स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन योजना	मूल	4,819.00	4,819.00	0.00	(-) 4,819.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
3604-198.0102.4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	मूल पूरक पुनर्वि.	3,712.20 4,155.00 (-) 5,000.00	2,867.20	1,242.95	(-) 1,624.25	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 5,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
3604-198.0103.4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	मूल पूरक पुनर्वि.	2,582.40 2,960.00 (-) 5,000.00	542.40	201.55	(-) 340.85	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 5,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2853-02.198.0101.6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	मूल पुनर्वि.	53,802.00 15,000.00	68,802.00	62,288.74	(-) 6,513.26	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,000.00 लाख के निधि में आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 40—पंचायत समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3604-198.8209- पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधाएं	मूल	1,104.00	1,104.00	2,850.32	+ 1,746.32	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

पूंजीगत :

दत्तमत

(5) ₹ 0.01 लाख की सम्पूर्ण बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 41—प्रवासी भारतीय
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2852—उद्योग)

राजस्व :

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	86,33			
पूरक	20,00,00	20,86,33	20,01,00	(-) 85,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

- (1) ₹ 85.33 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 2,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 85.33 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास

(मुख्य शीर्ष- 2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,43,20,50			
पूरक	0	1,43,20,50	1,29,04,97	(-) 14,15,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				14,15,27

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,01			
पूरक	0	5,01	0	(-) 5,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				5,01

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,05,04			
पूरक	0	10,05,04	1,89,44	(-) 8,15,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				8,15,60

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास समाप्त

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 1,415.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को ₹ 1,415.27 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02.001.0101.3171- भोपाल गैस दुर्घटना सम्बन्धी दावा संचालनालय	मूल पुनर्वि.	202.62 (-) 100.45	102.17	102.17	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 100.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.001.3757- राहत एवं पुनर्वास हेतु जिलाध्यक्ष कार्यालय भोपाल में अतिरिक्त अमला	मूल पुनर्वि.	330.47 (-) 147.54	182.93	182.93	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 147.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (3) ₹ 815.60 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-01.110.0101.0775- स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 810.56	189.44	189.44	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 810.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2204-खेल तथा युवा सेवाएं, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,96,91,84			
पूरक	20,00,01	2,16,91,85	1,82,39,15	(-) 34,52,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 मई 2023, 21 फरवरी तथा 31 मार्च 2024)				21,08,09

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	53			
पूरक	0	53	0	(-) 53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				53

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,41,20,93			
पूरक	0	5,41,20,93	2,91,20,20	(-) 2,50,00,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2,50,00,60

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 2,000.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 3,452.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 08 मई 2023, 21 फरवरी 2024 एवं 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 2,108.09 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-103.0101.1361-खेलो म.प्र. युवा खेल	पूरक पुनर्वि.	1,280.00 (-) 51.63	1,228.37	1,051.29	(-) 177.08	₹ 51.63 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 29.63 लाख + ₹ 22.00 लाख पुनर्विनियोजन) वास्तविक व्यय के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2204-103.0101.2304-निदेशन और प्रशासन	मूल पुनर्वि.	2,554.07 (-) 808.24	1,745.83	1,702.77	(-) 43.06	₹ 808.24 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 736.15 लाख + ₹ 72.09 लाख पुनर्विनियोजन) वास्तविक व्यय के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2204-103.0101.7662-खेलो इंडिया म.प्र.	मूल पुनर्वि.	979.02 (-) 81.31	897.71	706.89	(-) 190.82	₹ 81.31 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 46.31 लाख + ₹ 35.00 लाख पुनर्विनियोजन) वास्तविक व्यय के आधार पर तथा वित्त विभाग द्वारा राशि के आहरण पर रोक के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2204-103.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	327.00 (-) 102.79	224.21	158.81	(-) 65.40	₹ 102.79 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 45.75 लाख + समर्पण ₹ 57.04 लाख) वास्तविक व्यय के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-103.0102.1361-खेलो म.प्र. युवा खेल	पूरक पुनर्वि.	400.00 (-) 50.39	349.61	286.76	(-) 62.85	समर्पण के रूप में ₹ 50.39 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक व्यय तथा वित्त विभाग द्वारा प्रावधानित बजट आवंटन नहीं करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2204-103.0102.7662-खेलो इंडिया म.प्र.	मूल पुनर्वि.	362.57 (-) 54.46	308.11	243.49	(-) 64.62	₹ 54.46 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 15.46 लाख + ₹ 39.00 लाख पुनर्विनियोजन) वास्तविक व्यय तथा वित्त विभाग द्वारा राशि आहरण हेतु अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2204-103.0102.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	157.00 (-) 65.00	92.00	60.60	(-) 31.40	₹ 65.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 47.75 लाख + ₹ 17.25 लाख पुनर्विनियोजन) वास्तविक व्यय के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2204-103.0103.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	116.00 (-) 43.79	72.21	49.01	(-) 23.20	₹ 43.79 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 31.79 लाख + ₹ 12.00 लाख पुनर्विनियोजन) वास्तविक व्यय के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2204-800.0101.4938-युवा संधि को अनुदान	मूल पुनर्वि.	603.15 (-) 106.53	496.62	455.29	(-) 41.33	समर्पण के रूप में ₹ 106.53 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय पर लगाये गये प्रतिबंध के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2204-800.0101.6703-स्टेडियम एवं खेल अवसंरचना का निर्माण	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 77.55	322.45	245.45	(-) 77.00	₹ 77.55 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 7.55 लाख + ₹ 70.00 लाख पुनर्विनियोजन) वित्त विभाग द्वारा राशि आहरण हेतु अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-800.0101.9044- मों तुझे प्रणाम	मूल पुनर्वि.	183.00 (-) 102.52	80.48	80.48	0.00	₹ 102.52 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 69.52 लाख + ₹ 33.00 लाख पुनर्विनियोजन) वित्त विभाग द्वारा राशि आहरण हेतु अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई।
2204-800.0102.5159- खेल अकादमियों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,051.53 (-) 140.12	911.41	890.50	(-) 20.91	समर्पण के रूप में ₹ 140.12 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक व्यय के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2204-800.0102.6239- खेल प्रशिक्षण केन्द्रों को खेल सामग्री	मूल पुनर्वि.	95.50 (-) 52.93	42.57	39.47	(-) 3.10	₹ 52.93 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 2.93 लाख + ₹ 50.00 लाख पुनर्विनियोजन) वास्तविक व्यय के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-800.0102.8840- खिलाडियों को प्रोत्साहन	मूल पुनर्वि.	959.00 234.29	1,193.29	1,192.49	(-) 0.80	₹ 234.29 लाख की निधि का आवर्धन प्रावधान में ₹ 69.46 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1.46 लाख + ₹ 68.00 लाख पुनर्विनियोजन) तथा पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 303.75 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी वास्तविक व्यय के आधार के कारण जबकि वृद्धि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाडियों को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार राशि वितरण करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-800.0103.8840- खिलाडियों को प्रोत्साहन	मूल पुनर्वि.	660.75 124.35	785.10	783.94	(-) 1.16	₹ 124.35 लाख का निधि का आवर्धन प्रावधान में ₹ 55.15 लाख की कमी (समर्पण ₹ 6.15 लाख + ₹ 49.00 लाख पुनर्विनियोजन) तथा पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 179.50 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी वास्तविक व्यय के आधार तथा वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबन्ध के कारण जबकि वृद्धि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार राशि वितरण करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

पूंजीगत :

दत्तमत

- (5) ₹ 25,000.73 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 25,000.60 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01.800.0101.7265- ओलंपिक 2024	मूल पुनर्वि.	192.00 (-) 122.06	69.94	69.94	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 122.06 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण के लिए अनुमति प्राप्त न होने के कारण राशि का प्रयोग नहीं किया गया।
4202-03.003.0101.7662- खेलो इंडिया म.प्र.	मूल पुनर्वि.	20,313.00 (-) 13,000.29	7,312.71	7,312.71	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 13,000.29 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण के लिए अनुमति प्राप्त न होने के कारण राशि का उपयोग नहीं किया तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुई।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-03.003.0102.7662- खेलो इंडिया म.प्र.	मूल पुनर्वि.	7,659.00 (-) 3,968.37	3,690.63	3,690.63	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,968.37 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण के लिए अनुमति प्राप्त न होने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुई।
4202-03.003.0103.7662- खेलो इंडिया म.प्र.	मूल पुनर्वि.	5,328.00 (-) 5,305.96	22.04	22.04	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 5,305.96 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण के लिए अनुमति प्राप्त न होने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुई।
4202-03.800.0103.6703- स्टेडियम एवं खेल अवसंरचना का निर्माण	मूल पुनर्वि.	2,146.40 (-) 543.48	1,602.92	1,602.92	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 543.48 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण के लिए अनुमति प्राप्त न होने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुई।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	30,56,94,84			
पूरक	4	30,56,94,88	22,65,87,12	(-) 7,91,07,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				7,74,12,44

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	35,00			
पूरक	0	35,00	0	(-) 35,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				35,00

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,87,93,19			
पूरक	4	6,87,93,23	4,59,40,38	(-) 2,28,52,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2,22,17,52

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 0.04 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 79,107.76 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 77,412.44 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.0101.0798- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	1,50,856.63 (-) 47,531.95	1,03,324.68	1,03,390.22	+ 65.54	₹ 47,531.95 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 465.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 47,996.95 लाख की कमी (समर्पण ₹ 42,766.95 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 5,230.00 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अपर्याप्त बजट, कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान, गंभीर बीमारी संबंधी लंबित चिकित्सा देयकों के भुगतान, शेष अवधि तथा बिजली देयकों के भुगतान के कारण जबकि कमी संभावित बचत, आहरण पर प्रतिबंध, वित्त विभाग द्वारा राशि जारी नहीं करने तथा वेतन के सम्बन्ध में अपेक्षित व्यय की कमी के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.0101.5765- प्रयोगशाला का उन्नयन	मूल पुनर्वि.	1,220.00 (-) 1,220.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,220.00 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
2202-03.103.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	1,350.00 (-) 1,100.00	250.00	161.91	(-) 88.09	समर्पण के रूप में ₹ 1,100.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2202-03.103.0101.9574- शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	190.01 (-) 190.01	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 190.01 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.0102.5550- पुस्तकालय का विकास	मूल पुनर्वि.	46.00 (-) 12.50	33.50	32.33	(-) 1.17	समर्पण के रूप में ₹ 12.50 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर लगाये गए प्रतिबंधों तथा वित्त विभाग द्वारा कटौती राशि जारी नहीं करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2202-03.103.0102.6916- गाँव की बेटी योजना	मूल पुनर्वि.	2,000.00 (-) 1,310.00	690.00	685.99	(-) 4.01	समर्पण के रूप में ₹ 1,310.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर लगाये गए प्रतिबंधों तथा महाविद्यालय द्वारा राशि आहरण नहीं करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2202-03.103.0102.9574- शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	180.01 (-) 180.01	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 180.01 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.0103.0798- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	38,915.81 (-) 11,495.31	27,420.50	27,387.68	(-) 32.82	₹ 11,495.31 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 95.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 11,590.31 लाख की कमी (समर्पण ₹ 10,620.31 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 970.00 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अपर्याप्त बजट, कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान, गंभीर बीमारी संबंधी लंबित चिकित्सा देयकों के भुगतान, शेष अवधि के लिए बिजली देयकों के भुगतान के कारण हुई जबकि कमी संभावित बचत, आहरण पर प्रतिबंध, वित्त विभाग द्वारा राशि जारी नहीं करने तथा वेतन के सम्बन्ध में अपेक्षित व्यय की कमी के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2202-03.103.0103.5765- प्रयोगशाला का उन्नयन	मूल पुनर्वि.	320.00 (-) 320.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 320.00 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
2202-03.103.0103.9574- शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	130.01 (-) 130.01	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 130.01 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.104.0101.3444- अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	मूल पुनर्वि.	12,500.00 (-) 3,040.00	9,460.00	9,454.01	(-) 5.99	₹ 3,040.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 2,790.00 लाख तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 250.00 लाख) संभावित बचत तथा गैर अनुदानित महाविद्यालयों के शैक्षणिक संवर्ग को सातवें वेतनमान हेतु आदेश जारी नहीं करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.104.0102.3444- अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	मूल पुनर्वि.	5,000.00 (-) 4,679.00	321.00	320.00	(-) 1.00	₹ 4,679.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 4,629.00 लाख तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख) संभावित बचत तथा गैर अनुदानित महाविद्यालयों के शैक्षणिक संवर्ग को सातवें वेतनमान हेतु आदेश जारी नहीं करने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.104.0101.7043- अतिथि विद्वानों को मानदेय	मूल पुनर्वि.	7,500.01 4,990.00	12,490.01	12,477.46	(-) 12.55	₹ 4,990.00 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,000.00 लाख की वृद्धि तथा प्रावधान में समर्पण के रूप में ₹ 10.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अतिथि विद्वानों के मानदेय में वृद्धि के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2202-03.104.0102.7043- अतिथि विद्वानों को मानदेय	मूल पुनर्वि.	3,277.76 1,595.00	4,872.76	4,860.01	(-) 12.75	₹ 1,595.00 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,600.00 लाख की वृद्धि तथा प्रावधान में समर्पण के रूप में ₹ 5.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अतिथि विद्वानों के मानदेय में वृद्धि के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

प्रभारित

- (5) ₹ 35.00 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.0101.0798- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	35.00 (-) 35.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 35.00 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर लगाये गए प्रतिबंधों तथा वित्त विभाग द्वारा कटौती राशि जारी नहीं करने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (7) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 0.04 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (8) ₹ 22,852.85 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 22,217.52 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01.203.0101.6938- अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल को ब्लाक ग्रांट	मूल पुनर्वि.	447.00 (-) 447.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 447.00 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत इस शीर्ष के अंतर्गत अपेक्षित मांग की कमी होने के कारण हुई।
4202-01.203.0701.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	3,752.58 (-) 2,632.58	1,120.00	1,120.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,632.58 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01.203.0704.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	2,093.60 (-) 1,346.93	746.67	746.67	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,346.93 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.203.0705.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	864.80 (-) 619.80	245.00	245.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 619.80 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.203.1201.7464- म.प्र. उच्चतर शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	20,350.00 (-) 8,911.00	11,439.00	11,336.43	(-) 102.57	₹ 8,911.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 6,611.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 2,300.00 लाख) निविदा प्रक्रिया में विलम्ब, निर्माण एजेंसी द्वारा समय पर पूंजीगत कार्य पूर्ण नहीं होने, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर के निर्माण कार्य तथा पी.आई.यू. विभाग के अंतर्गत निर्माण के लिए मांग के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.203.1202.7464- म.प्र. उच्चतर शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	7,682.00 (-) 5,501.00	2,181.00	2,162.60	(-) 18.40	₹ 5,501.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 4,901.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 600.00 लाख) निविदा प्रक्रिया में विलम्ब, निर्माण एजेंसी द्वारा समय पर पूंजीगत कार्य पूर्ण नहीं होने, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर के निर्माण कार्य तथा पी.आई.यू. विभाग के अंतर्गत निर्माण के लिए मांग के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 44-उच्च शिक्षा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01.203.1203.7464- म.प्र. उच्चतर शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	5,344.00 (-) 4,163.00	1,181.00	1,039.31	(-) 141.69	₹ 4,163.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 3,763.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 400.00 लाख) निविदा प्रक्रिया में विलम्ब, निर्माण एजेंसी द्वारा समय पर पूंजीगत कार्य पूर्ण नहीं होने, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर के निर्माण कार्य तथा पी.आई.यू. विभाग के अंतर्गत निर्माण के लिए मांग के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

- (10) उपरोक्त टिप्पणी (9) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-03.102.0101.2329- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जबलपुर को ब्लाक ग्रांट	मूल पुनर्वि.	1,830.00 1,150.00	2,980.00	2,980.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,150.00 लाख का निधि में आवर्धन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जबलपुर के निर्माण कार्य के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 45—लोक परिसंपत्ति प्रबंधन
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व एवं 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	55,76,13			
पूरक	0	55,76,13	8,07,69	(-) 47,68,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	85,00,00			
पूरक	25,00,00	1,10,00,00	85,96,47	(-) 24,03,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

- (1) ₹ 4,768.44 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2029-104.0101.3837-परिसमापक की परिसंपत्तियों से प्राप्त राजस्व से भुगतान	मूल 5,000.00	5,000.00	607.53 (-) 4,392.47	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2029-104.0101.9549-म.प्र. राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड को सहायता	मूल 500.00	500.00	200.00 (-) 300.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 45—लोक परिसंपत्ति प्रबंधन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2029-104.7656-	मूल	76.11	76.11	0.16	(-) 75.95	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूंजीगत :

- (3) ₹ 2,403.53 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में मार्च 2024 में प्राप्त ₹ 2,500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (4) ₹ 2,403.53 लाख के उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-80.051.7875-	मूल	2,500.00				पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 395.81 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग को सौंपी गई संपत्तियों का विकास कार्य	पुनर्वि.	(-) 395.81	2,104.19	722.20	(-) 1,381.99	
4070-190.0101.9549-	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-) 1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

- (6) उपरोक्त टिप्पणी (5) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-80.051.0101.9848-	मूल	5,000.00				पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 395.81 लाख का निधि में आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
लोक परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना	पूरक	2,500.00				
	पुनर्वि.	395.81	7,895.81	7,874.27	(-) 21.54	

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,80,52,24			
पूरक	6,00,01	1,86,52,25	1,59,68,88	(-) 26,83,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2024)				26,83,24

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00			
पूरक	0	5,00	0	(-) 5,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,62,52,05			
पूरक	1	1,62,52,06	73,56,76	(-) 88,95,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2024)				22,04,03

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 600.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,683.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2024 को केवल ₹ 2,683.24 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गता हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3425-60.004.0101.1090- क्लाउड सेवाओं का प्रदाय एवं प्रबंधन	मूल पुनर्वि.	305.00 (-) 305.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 305.00 लाख की प्रत्याशित बचत मंत्री परिषद् से स्वीकृति नहीं मिलने पर व्यय नहीं होने के कारण हुई।
3425-60.004.0102.1090- क्लाउड सेवाओं का प्रदाय एवं प्रबंधन	मूल पुनर्वि.	115.00 (-) 115.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 115.00 लाख की प्रत्याशित बचत मंत्री परिषद् से स्वीकृति नहीं मिलने पर व्यय नहीं होने के कारण हुई।
3425-60.004.0103.1090- क्लाउड सेवाओं का प्रदाय एवं प्रबंधन	मूल पुनर्वि.	80.00 (-) 80.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत मंत्री परिषद् से स्वीकृति नहीं मिलने पर व्यय नहीं होने के कारण हुई।
3425-60.200.0101.2304- निदेशन और प्रशासन	मूल पुनर्वि.	1,063.06 (-) 200.00	863.06	863.00	(-) 0.06	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की प्रत्याशित बचत परिषद् में केवल पांच वाहन उपलब्ध होने पर रखरखाव व्यय नहीं हो पाने के कारण हुई।
3425-60.600.0101.5818- स्टेट डाटा सेंटर का उन्नयन, परिचालन एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	1,501.00 (-) 270.00	1,231.00	1,231.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 270.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
3425-60.600.0101.7257- राज्य आई.टी. संवर्ग परामर्श सेवाओं हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	1,215.00 (-) 243.00	972.00	972.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 243.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा 20 प्रतिशत राशि जारी नहीं करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3425-60.600.0101.7614- आर सी बी सी/डी ई जी एस/एन आई सी आदि केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	3,000.00 (-) 580.00	2,420.00	2,420.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 580.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा 20 प्रतिशत राशि जारी नहीं करने के कारण हुई।
3425-60.600.0102.6874- स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क की स्थापना	मूल पुनर्वि.	826.16 (-) 247.42	578.74	578.74	0.00	₹ 247.42 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण हेतु स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (4) ₹ 8,895.30 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2024 को केवल ₹ 2,204.03 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गता हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5425-600.0101.7062- प्रदेश में आई.टी. पार्क की स्थापना	मूल	4,270.00	4,270.00	188.34	(-) 4,081.66	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
5425-600.0101.7615- प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,220.00 (-) 1,220.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,220. 00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं हेतु लंबित स्वीकृति के कारण हुई।
5425-600.0102.7062- प्रदेश में आई.टी. पार्क की स्थापना	मूल	1,610.00	1,610.00	71.01	(-) 1,538.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
5425-600.0102.7615- प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना	मूल पुनर्वि.	460.00 (-) 460.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 460.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं हेतु लंबित स्वीकृति के कारण हुई।

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5425-600.0103.7062- प्रदेश में आई.टी. पार्क की स्थापना	मूल	1,120.00	1,120.00	49.40	(-) 1,070.60	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
5425-600.0103.7615- प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना	मूल पुनर्वि.	320.00 (-) 320.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 320.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं हेतु लंबित स्वीकृति के कारण हुई।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार

(मुख्य शीर्ष—2203—तकनीकी शिक्षा, 2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	22,62,18,44			
पूरक	0	22,62,18,44	13,18,96,10	(-) 9,43,22,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2,61,58,43

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	21	(-) 9,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				9,79

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	7,34,84,02			
पूरक	2,78,75	7,37,62,77	5,07,13,24	(-) 2,30,49,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,76,38,51

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 94,322.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 26,158.43 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2203-105.0101.2667- पॉलिटैक्निक संस्थाएं	मूल पुनर्वि.	17,520.70 (-) 5,244.61	12,276.09	12,274.23	(-) 1.86	₹ 5,244.61 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 827.36 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 4,417.25 लाख) समय पर देयक प्राप्त नहीं होने तथा रिक्त पद की पूर्ति नहीं करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2203-105.0102.2667- पॉलिटैक्निक संस्थाएं	मूल पुनर्वि.	4,627.28 (-) 2,064.88	2,562.40	2,562.30	(-) 0.10	₹ 2,064.88 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 214.88 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,850.00 लाख) समय पर देयक प्राप्त नहीं होने तथा रिक्त पद की पूर्ति नहीं करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2203-112.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	605.00 (-) 427.50	177.50	177.51	+ 0.01	समर्पण के रूप में ₹ 427.50 लाख की प्रत्याशित बचत शीर्ष में आहरण पर प्रतिबन्ध होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2203-112.0102.5400-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदण्ड के अनुसार कमियों की पूर्ति	मूल पुनर्वि.	115.00 (-) 113.48	1.52	1.52	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 113.48 लाख की प्रत्याशित बचत शीर्ष में आहरण पर प्रतिबन्ध होने के कारण हुई।
2203-112.0102.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	180.00 (-) 120.76	59.24	59.24	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 120.76 लाख की प्रत्याशित बचत शीर्ष में आहरण पर प्रतिबन्ध होने के कारण हुई।
2203-112.0103.5400-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदण्ड के अनुसार कमियों की पूर्ति	मूल पुनर्वि.	80.00 (-) 77.01	2.99	2.99	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 77.01 लाख की प्रत्याशित बचत शीर्ष में आहरण पर प्रतिबन्ध होने के कारण हुई।
2230-02.101.0101.0724-जनभागीदारी के आधार पर रोजगार कार्यालयों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	300.01 (-) 240.01	60.00	0.00	(-) 60.00	₹ 240.01 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 214.81 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 25.20 लाख) संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-02.101.0801.0644-इंटरलिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 160.00	40.00	0.00	(-) 40.00	समर्पण के रूप में ₹ 160.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.003.0101.1868-तकनीकी शिक्षा मंडल (मेपसेट)	मूल पुनर्वि.	351.00 (-) 280.80	70.20	0.00	(-) 70.20	समर्पण के रूप में ₹ 280.80 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2230-03.003.0701.2327- संकल्प प्रोजेक्ट	मूल पुनर्वि.	646.00 (-) 516.80	129.20	0.00	(-) 129.20	समर्पण के रूप में ₹ 516.80 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.003.0704.2327- संकल्प प्रोजेक्ट	मूल पुनर्वि.	399.99 (-) 319.99	80.00	0.00	(-) 80.00	समर्पण के रूप में ₹ 319.99 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2230-03.003.1201.0741- ए.बी.डी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल पुनर्वि.	4,150.09 (-) 2,399.24	1,750.85	1,043.51	(-) 707.34	समर्पण के रूप में ₹ 2,399.24 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2230-03.003.1202.0741- ए.बी.डी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल पुनर्वि.	1,284.53 (-) 979.90	304.63	51.59	(-) 253.04	समर्पण के रूप में ₹ 979.90 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2230-03.101.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	120.50 (-) 96.40	24.10	0.00	(-) 24.10	समर्पण के रूप में ₹ 96.40 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.101.0102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	115.00 (-) 92.00	23.00	0.00	(-) 23.00	समर्पण के रूप में ₹ 92.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2230-03.101.0801.5392- स्ट्राइव योजना	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 800.00	200.00	0.00	(-) 200.00	समर्पण के रूप में ₹ 800.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2230-03.101.0801.7490- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	मूल पुनर्वि.	4,300.40 (-) 3,440.32	860.08	0.00	(-) 860.08	समर्पण के रूप में ₹ 3,440.32 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.101.0802.7490- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	मूल पुनर्वि.	1,353.60 (-) 1,082.88	270.72	0.00	(-) 270.72	समर्पण के रूप में ₹ 1,082.88 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.101.0803.7490- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	मूल पुनर्वि.	1,386.40 (-) 1,109.12	277.28	0.00	(-) 277.28	समर्पण के रूप में ₹ 1,109.12 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.102.0101.1138- मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना	मूल पुनर्वि.	61,000.00 (-) 19,367.50	41,632.50	3,763.58	(-) 37,868.92	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,367.50 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2230-03.102.0102.1138- मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना	मूल पुनर्वि.	23,000.00 (-) 7,302.50	15,697.50	0.00	(-) 15,697.50	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,302.50 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2230-03.102.0103.1138- मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना	मूल पुनर्वि.	16,000.00 (-) 5,080.00	10,920.00	0.00	(-) 10,920.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,080.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान में अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2203-104.0101.0820- मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना	मूल पुनर्वि.	10,000.00 17,994.95	27,994.95	27,994.95	0.00	₹ 17,994.95 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,995.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में प्रावधान में ₹ 0.05 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2203-104.0101.2377- मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन योजना)	मूल पुनर्वि.	500.00 1,322.50	1,822.50	1,822.50	0.00	₹ 1,322.50 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,372.50 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2203-104.0102.0820- मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना	मूल पुनर्वि.	3,000.00 6,785.00	9,785.00	9,785.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,785.00 लाख के निधि में आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2203-104.0103.0820- मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना	मूल पुनर्वि.	2,500.00 4,720.00	7,220.00	7,220.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,720.00 लाख के निधि में आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2203-104.0103.2377- मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन योजना)	मूल पुनर्वि.	100.00 360.00	460.00	460.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 360.00 लाख के निधि में आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (4) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 278.75 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 23,049.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 17,638.51 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-02.104.0101.6477- व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	14,640.01 (-) 2,710.08	11,929.93	11,929.93	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,710.08 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-02.104.0701.1232- आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	मूल पुनर्वि.	128.10 (-) 128.10	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 128.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-02.104.0701.2667- पॉलिटेक्निक संस्थाएं	पूरक पुनर्वि.	178.39 (-) 178.39	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 178.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4202-02.104.0702.9895- वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों में आई.टी.आई./ कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना	मूल	350.95	350.95	0.00	(-) 350.95	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4202-02.104.0703.2667- पॉलिटेक्निक संस्थाएं	पूरक पुनर्वि.	44.60 (-) 44.60	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 44.60 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4202-02.104.0704.1232- आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	मूल पुनर्वि.	55.00 (-) 55.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 55.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4202-02.105.0701.1140- अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास केन्द्र	मूल	1,830.01	1,830.01	0.00	(-) 1,830.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4202-02.105.0702.1140- अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास केन्द्र	मूल	690.01	690.01	0.00	(-) 690.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4202-02.105.0703.1140- अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास केन्द्र	मूल	480.01	480.01	0.00	(-) 480.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4202-02.105.0704.1140- अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास केन्द्र	मूल	1,220.01	1,220.01	0.00	(-) 1,220.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4202-02.105.0705.1140- अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास केन्द्र	मूल	460.01	460.01	0.00	(-) 460.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4202-02.105.0706.1140- अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास केन्द्र	मूल	320.01	320.01	0.00	(-) 320.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4202-03.003.0704.1232- आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	मूल पुनर्वि.	61.00 (-) 61.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 61.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-03.003.1203.0741- ए.बी.डी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल पुनर्वि.	6,525.76 (-) 5,890.24	635.52	635.52	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 5,890.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

- (7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान में अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-02.105.0801.2667- पॉलिटेक्निक संस्थाएं	मूल पुनर्वि.	0.01 69.99	70.00	70.00	0.00	₹ 69.99 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 178.39 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में प्रावधान में ₹ 108.40 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास

(मुख्य शीर्ष- 2055-पुलिस, 2700—मुख्य सिंचाई, 2801—बिजली, 4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,34,90,95			
पूरक	62,50,00	2,97,40,95	2,87,74,59	(-) 9,66,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				9,66,36

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	36,30,92,25			
पूरक	48,02,00,01	84,32,92,26	81,97,29,50	(-) 2,35,62,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2,33,17,14

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,50,01			
पूरक	0	1,50,01	1,23,42	(-) 26,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				26,59

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 966.36 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, फरवरी 2024 ₹ 6,250.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 966.36 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित की गई।

पूंजीगत :

दत्तमत

- (3) ₹ 23,562.76 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2023 (₹ 3,99,500.01 लाख) तथा फरवरी 2024 (₹ 80,700.00 लाख) में प्राप्त ₹ 4,80,200.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (4) ₹ 23,562.76 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 23,317.14 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) यद्यपि ₹ 23,562.76 लाख की कुल बचत सम्पूर्ण प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम है, निम्नलिखित उप-शीर्षों के अंतर्गत उल्लेखनीय परिवर्तन देखे गए हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-41.800.1901.2872- बरगी नहर व्यपवर्तन योजना	मूल पुनर्वि.	11,400.00 (-) 23.07	11,376.93	12,875.93	(-) 1,499.00	समर्पण के रूप में ₹ 23.07 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक व्यय, निर्माण कार्य सम्बन्धी लंबित देयकों के भुगतान, निधि जारी नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा आहरण सीमा नहीं बढ़ाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-41.800.1903.2872- बरगी नहर व्यपवर्तन योजना	मूल पुनर्वि.	3,000.00 (-) 512.84	2,487.16	1,988.16	(-) 499.00	₹ 512.84 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 6.84 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 506.00 लाख) वास्तविक व्यय, निर्माण कार्य सम्बन्धी लंबित देयकों के भुगतान तथा भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के विरुद्ध शेष राज्यांश का एस.एन.ए. खातों में हस्तान्तरण के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
4700-45.800.0102.5177- परियोजना का हिस्सा एन. एच.डी.सी. को भुगतान	O	500.00	500.00	0.00	(-) 500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4700-51.001.0101.2428- निष्पादन स्थापना (यूनिट—एक एवं यूनिट—दो)	मूल पुनर्वि.	4,267.69 (-) 2,229.06	2,038.63	2,051.51	+ 12.88	₹ 2,229.06 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 2,232.06 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी वास्तविक व्यय, निर्माण कार्य सम्बन्धी लंबित देयकों के भुगतान, निधि जारी नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा आहरण सीमा नहीं बढ़ाने के कारण हुई। वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4700-51.001.0101.3296- मंडल कार्यालय एवं अधिनस्थ तीन संभागों का स्थापना व्यय	मूल पुनर्वि.	861.64 (-) 822.05	39.59	44.01	+ 4.42	₹ 822.05 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 706.05 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 116.00 लाख) वास्तविक व्यय, निर्माण कार्य सम्बन्धी लंबित देयकों के भुगतान, निधि जारी नहीं होने, वित्त विभाग द्वारा आहरण सीमा नहीं बढ़ाने तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-51.001.0101.3557- मुख्यालय स्थापना (मुख्य अभियंता आर.अ.बा.लो.सा.)	मूल पुनर्वि.	629.59 (-) 294.05	335.54	341.01	+ 5.47	समर्पण के रूप में ₹ 294.05 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक व्यय, निर्माण कार्य सम्बन्धी लंबित देयकों के भुगतान, निधि जारी नहीं होने, वित्त विभाग द्वारा आहरण सीमा नहीं बढ़ाने तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4700-51.001.0101.8191- निष्पादन स्थापना (यूनिट-दो)	मूल पुनर्वि.	5,290.28 (-) 2,163.88	3,126.40	3,152.60	+ 26.20	समर्पण के रूप में ₹ 2,163.88 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक व्यय, निर्माण कार्य सम्बन्धी लंबित देयकों के भुगतान, निधि जारी नहीं होने, वित्त विभाग द्वारा आहरण सीमा नहीं बढ़ाने तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4700-66.800.0102.5091- लोअर गोर्ड परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,800.00 (-) 351.31	1,448.69	1,474.17	+ 25.48	₹ 351.31 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1.31 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 350.00 लाख) वास्तविक व्यय, निर्माण कार्य सम्बन्धी लंबित देयकों के भुगतान, निधि जारी नहीं होने, वित्त विभाग द्वारा आहरण सीमा नहीं बढ़ाने तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.001.0101.3115- भू अर्जन हेतु मुआवजा	मूल पुनर्वि.	1,450.00 (-) 214.53	1,235.47	81.06	(-) 1,154.41	₹ 214.53 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 98.53 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 116.00 लाख) वास्तविक व्यय, निर्माण कार्य सम्बन्धी लंबित देयकों के भुगतान, निधि जारी नहीं होने, वित्त विभाग द्वारा आहरण सीमा नहीं बढ़ाने तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4700-80.800.0101.0999- ढीमरखेड़ा माइक्रो सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	1,800.00 (-) 1,185.00	615.00	544.83	(-) 70.17	₹ 1,185.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 125.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,060.00 लाख) वास्तविक व्यय, निर्माण कार्य सम्बन्धी लंबित देयकों के भुगतान, निधि जारी नहीं होने, वित्त विभाग द्वारा आहरण सीमा नहीं बढ़ाने तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-45.800.0102.5152- हालोन परियोजना	मूल पुनर्वि.	4,500.00 (-) 1,598.77	2,901.23	977.46	(-) 1,923.77	₹ 1,598.77 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 874.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 724.77 लाख) वास्तविक व्यय तथा लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-45.001.1902.5152- हालोन परियोजना	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 93.03	6.97	2,057.45	+ 2,050.49	समर्पण के रूप में ₹ 93.03 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक व्यय, निर्माण कार्य सम्बन्धी लंबित देयकों के भुगतान, निधि जारी नहीं होने, वित्त विभाग द्वारा आहरण सीमा नहीं बढ़ाने तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4801-80.800.0101.3561- मुख्यालय स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,679.44 (-) 1,839.10	1,840.34	1,872.72	+ 32.38	₹ 1,839.10 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21.75 लाख की वृद्धि तथा ₹ 1,860.85 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,824.10 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 36.75 लाख) का निवल प्रभाव था। कमी वास्तविक व्यय, निर्माण कार्य सम्बन्धी लंबित देयकों के भुगतान, निधि जारी नहीं होने, वित्त विभाग द्वारा आहरण सीमा नहीं बढ़ाने, कम्प्यूटर ऑपरेटर के लंबित बिलों के भुगतान तथा मकान किराया भत्ता के भुगतान के कारण हुई जबकि कमी वेतन देयकों तथा मकान किराया भत्ता के भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

(6) उपरोक्त टिप्पणी (5) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान में अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.800.1401.9838- आई.एस.पी. कालीसिंध उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना फेस-2	पूरक पुनर्वि.	22,200.00 62,300.00	84,500.00	94,000.00	+ 9,500.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 62,300.00 लाख का निधि में आवर्धन लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

(7) उचंत लेन—देन:—

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2023—24 के दौरान 'उचंत' शीर्ष के अंतर्गत कोई भी व्यय दर्ज नहीं किये गये हैं। 'उचंत' के अंतर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अंतर्गत की गई हैं। वर्ष 2023—24 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न 'उचंत' उप—शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन—देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:—

विवरण	1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2024 को अंत शेष नामे + जमा(-)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय- (लाख ₹ में)				
(i) भण्डार	+ 13.47	0.00	0.00	+ 13.47
(ii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 3.82	0.00	0.00	(-) 3.82
योग	+ 9.65	0.00	0.00	+ 9.65
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
(i) क्रय	(-) 55.08	0.00	0.00	(-) 55.08
(ii) भण्डार	(-) 2,111.65	0.00	0.00	(-) 2,111.65
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 102.80	0.00	0.00	(-) 102.80
(iv) कार्यशाला उचंत	(-) 258.61	0.00	0.00	(-) 258.61
योग	(-) 2,528.14	0.00	0.00	(-) 2,528.14
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
(i) भण्डार	+ 67.09	0.00	0.00	+ 67.09
(ii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 237.78	0.00	0.00	(-) 237.78
योग	(-) 170.69	0.00	0.00	(-) 170.69

प्रभारित

(8) ₹ 26.59 लाख राशि की संपूर्ण बचत 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास समाप्त

(9) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-43.001.0101.4641- स्थापना (डिक्रीधन)	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 21.78	78.22	78.22	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 21.78 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक व्यय, निर्माण कार्य सम्बन्धी लंबित देयकों के भुगतान, निधि जारी नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा आहरण सीमा नहीं बढ़ाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 4225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	19,34,16,84			
पूरक	सांकेतिक	19,34,16,84	11,00,35,07	(-) 8,33,81,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				8,33,81,24

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	2,15	(-) 7,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				7,85

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,28,00,11			
पूरक	8,00,00	2,36,00,11	1,22,77,35	(-) 1,13,22,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,13,22,76

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 83,381.77 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2024 को ₹ 83,381.24 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.001.0103.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	4,959.00 (-) 3,650.51	1,308.49	1,308.49	0.00	₹ 3,650.51 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,500.51 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 2,150.00 लाख) जिलाधिकारियों द्वारा निधि के प्रयोग नहीं करने तथा वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबन्ध के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.190.0103.9606- अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता	मूल पुनर्वि.	4,000.00 (-) 2,732.00	1,268.00	1,268.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,732.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबन्ध के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.196.0103.4717- अनुसूचित जाति छात्रावास	मूल पुनर्वि.	6,659.49 (-) 3,324.49	3,335.00	3,335.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,324.49 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा व्यय नहीं होने तथा व्यय पर प्रतिबन्ध के कारण हुई।
2225-01.196.0103.8805- राज्य शासन अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 1 व 8)	मूल पुनर्वि.	4,122.00 (-) 1,636.05	2,485.95	2,485.95	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,636.05 लाख की प्रत्याशित बचत बी.सी.ओ. द्वारा डी.पी.आई. की राशि का आहरण नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.196.0103.8844- कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं (कक्षा ग्यारहवीं)	मूल पुनर्वि.	2,273.00 (-) 1,466.85	806.15	806.15	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,466.85 लाख की प्रत्याशित बचत बी.सी.ओ. द्वारा डी.पी.आई. की राशि का आहरण नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.196.0703.0327-अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	मूल पुनर्वि.	256.55 (-) 256.55	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 256.55 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत डी.पी.आई. द्वारा मांग नहीं होने के कारण हुई।
2225-01.196.0703.5133-विविध छात्रवृत्तियां	मूल पुनर्वि.	6,300.00 (-) 6,254.44	45.56	45.56	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 6,254.44 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधा छात्रों के खाते हस्तांतरण करने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई।
2225-01.196.0706.0327-अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	मूल पुनर्वि.	171.04 (-) 171.04	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 171.04 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत डी.पी.आई. द्वारा मांग नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.277.0103.2324-आकांक्षा योजना	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 1,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 300.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 700.00 लाख) सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा संस्थानों एवं छात्रों के चयन प्रक्रिया पश्चात हुई संभावित बचत के कारण हुई।
2225-01.277.0703.7764-पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	मूल पुनर्वि.	37,500.00 (-) 37,500.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 37,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने तथा भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत राशि एन.एस.पी. पोर्टल के डी.बी.टी. माध्यम से सीधा छात्रों के खाते हस्तांतरण करने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.793.0103.5191- अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 के अंतर्गत राहत	मूल पुनर्वि.	5,100.00 (-) 5,100.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,454.10 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 3,645.90 लाख) राज्य के प्रतिबद्ध दायित्वों के प्रावधान को समाप्त करने पर खंड कोड 0103 में राशि की आवश्यकता नहीं होने तथा भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2225-01.793.0603.2040- सावित्री बाई फूले स्वा सहायता	मूल पुनर्वि.	820.00 (-) 820.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 820.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.793.0703.9550- नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ	मूल पुनर्वि.	60.57 (-) 60.57	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 60.57 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत मुख्यालय की स्थापना के साथ योजना के विलय के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.793.0706.9550- नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ	मूल पुनर्वि.	42.45 (-) 42.45	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 42.45 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत मुख्यालय की स्थापना के साथ योजना के विलय के कारण हुई।
2225-01.793.0803.1213- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	मूल पुनर्वि.	12,875.00 (-) 12,875.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 12,875.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान में अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.001.0103.2294- संचालनालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,000.00 1,589.16	2,589.16	2,589.16	0.00	₹ 1,589.16 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,150.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 560.84 लाख के प्रावधान की कमी का निवल प्रभाव था। कमी तिमाही व्यय सीमा में छूट नहीं मिलने तथा 20 प्रतिशत राशि वित्त विभाग द्वारा रोकने के कारण हुई। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।
2225-01.793.0706.5191- अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 के अंतर्गत राहत	मूल पुनर्वि.	4,280.00 2,879.03	7,159.03	7,159.03	0.00	₹ 2,879.03 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,879.16 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 0.13 लाख के प्रावधान की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भारत सरकार के योजना अंश में अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने तथा इस योजना में राज्यांश के 50:50 होने के कारण हुई।

पूंजीगत :

दत्तमत

- (4) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 800.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 11,322.76 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-01.277.0103.8829- शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	4,000.00 (-) 3,412.05	587.95	587.95	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,412.05 लाख की प्रत्याशित बचत नए संस्थानों हेतु शासन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-01.800.0103.6101- संत रविदास स्मारण निर्माण	मूल	500.00	7.19	7.19	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,292.81 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण एजेंसी के निर्धारण नहीं हो पाने के कारण हुई।
	पूरक	800.00				
	पुनर्वि.	(-) 1,292.81				
4225-01.800.0603.4722- अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों का विकास	मूल	3,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि.	(-) 3,000.00				
4225-01.800.0803.5635- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	मूल	1,600.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,600.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि.	(-) 1,600.00				

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

(मुख्य शीर्ष- 2401-फसल कृषि कर्म, 4401—फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,84,43,40			
पूरक	7,69,00	4,92,12,40	3,13,29,70	(-) 1,78,82,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00,05			
पूरक	0	5,00,05	4,00,00	(-) 1,00,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2023 (₹ 759.00 लाख) तथा फरवरी 2024 (₹ 10.00 लाख) में प्राप्त ₹ 769.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 17,882.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण जारी

(3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-119.0101.2816- फसल बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	2,500.00 (-) 150.00	2,350.00	0.00	(-) 2,350.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत योजना के कार्यान्वयन नहीं होने पर राशि का व्यय नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0101.6522- मसाला क्षेत्र विस्तार योजना	मूल	305.00	305.00	91.82	(-) 213.18	₹ 213.18 लाख की बचत सामग्री प्रदान करने हेतु विक्रेताओं की अनुपलब्धता होने पर लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2401-119.0101.9531- एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	मूल	61.00	61.00	0.00	(-) 61.00	योजना के कार्यान्वयन नहीं होने पर राशि का व्यय नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।
2401-119.0101.9538- निर्यात प्रोत्साहन योजना	मूल	61.00	61.00	0.00	(-) 61.00	योजना के कार्यान्वयन नहीं होने पर राशि का व्यय नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0102.2816- फसल बीमा योजना	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	योजना के कार्यान्वयन नहीं होने पर राशि का व्यय नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0102.6522- मसाला क्षेत्र विस्तार योजना	मूल	115.00	115.00	18.89	(-) 96.11	₹ 96.11 लाख की बचत सामग्री प्रदान करने हेतु विक्रेताओं की अनुपलब्धता होने पर लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2401-119.0103.2816- फसल बीमा योजना	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0701.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	647.00	647.00	0.00	(-) 647.00	एस.एन.ए. के रूप में उद्यानिकी विभाग का नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधानित राशि अप्रयुक्त रही।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-119.0702.5116- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	मूल	690.00	690.00	365.00	(-) 325.00	भारत सरकार से तीसरी किश्त प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 325.00 लाख की बचत हुई।
2401-119.0702.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	621.00	621.00	0.00	(-) 621.00	एस.एन.ए. के रूप में उद्यानिकी विभाग का नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधानित राशि अप्रयुक्त रही।
2401-119.0702.7848- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन	मूल	1,380.00	1,380.00	674.00	(-) 706.00	भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत निधि आवंटित नहीं होने के कारण बचत हुई।
2401-119.0703.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	432.00	432.00	0.00	(-) 432.00	एस.एन.ए. के रूप में उद्यानिकी विभाग का नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधानित राशि अप्रयुक्त रही।
2401-119.0704.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	1,098.00	1,098.00	0.00	(-) 1,098.00	एस.एन.ए. के रूप में उद्यानिकी विभाग का नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधानित राशि अप्रयुक्त रही।
2401-119.0705.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	414.00	414.00	0.00	(-) 414.00	एस.एन.ए. के रूप में उद्यानिकी विभाग का नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधानित राशि अप्रयुक्त रही।
2401-119.0705.7848- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन	मूल	920.00	920.00	409.83	(-) 510.17	भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत निधि आवंटित नहीं होने के कारण बचत हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0706.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	288.00	288.00	0.00	(-) 288.00	एस.एन.ए. के रूप में उद्यानिकी विभाग का नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधानित राशि अप्रयुक्त रही।
2401-119.0706.7848- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन	मूल	640.00	640.00	347.63	(-) 292.37	भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत निधि आवंटित नहीं होने के कारण बचत हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0655- संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय	मूल पूरक	13,212.21 10.00	13,222.21	9,361.78	(-) 3,860.43	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-119.3902- पौध शाला उद्यान	मूल	11,292.15	11,292.15	8,132.26	(-) 3,159.89	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान में अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-119.0101.6496- उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	0.01 150.00	150.01	150.00	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.00 लाख का निधि का आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत सांकेतिक राशि के प्रावधान के कारण हुई।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (5) ₹ 100.05 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
 (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4401-119.0701.5116- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	मूल	300.00	300.00	240.00	(-) 60.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
4401-119.0704.5116- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	मूल	200.00	200.00	160.00	(-) 40.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (7) समर्पण राशि ₹ 1,77,95,41,460 स्वीकृति क्र. 673/1976053/2024/58, भोपाल दिनांक 26.04.2024 को निर्धारित तिथि 15.05.2024 उपरांत प्राप्त होने तथा 31.03.2024 पश्चात दिनांक 26.04.2024 को स्वीकृत होने के कारण लेखे में शामिल नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या 51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व

(मुख्य शीर्ष- 2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,12,43,68			
पूरक	0	1,12,43,68	77,52,51	(-) 34,91,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,50			
पूरक	0	1,50	0	(-) 1,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 3,491.17 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2250-800.0101.2104- बोली आंचलिक भाषा एवं धार्मिक प्रकाशन	मूल 50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2250-800.0101.7227- तीर्थ यात्रा योजना	मूल	4,950.72	4,950.72	3,562.43	(-) 1,388.29	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2250-800.1477- संचालक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व की स्थापना	मूल	293.56	293.56	112.68	(-) 180.88	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 293.56 लाख की समान राशि की वृद्धि तथा कमी हुई। कमी वास्तविक व्यय के आधार पर हुई जबकि वृद्धि आउटसोर्स कर्मियों को मानदेय के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2250-800.5805- धर्मशालाओं का निर्माण	मूल	150.00	150.00	72.00	(-) 78.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2250-800.6225- सेवादारों के मानदेय में वृद्धि एवं नेमनुक	मूल	3,500.00	3,500.00	2,587.85	(-) 912.15	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2250-800.6292- धार्मिक आस्था के स्थलों का जीर्णोद्धार	मूल	1,500.00	1,500.00	868.22	(-) 631.78	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2250-800.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	51.00	51.00	0.00	(-) 51.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा

(मुख्य शीर्ष- 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	19,34,61,66			
पूरक	3,33,06,00	22,67,67,66	20,77,31,24	(-) 1,90,36,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,01			
पूरक	0	10,01	0	(-) 10,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	12,33,64,32			
पूरक	3,62,50,00	15,96,14,32	13,97,34,71	(-) 1,98,79,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 19,036.42 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2023 (₹ 11,000.00 लाख) तथा फरवरी 2024 (₹ 22,306.00 लाख) में प्राप्त ₹ 33,306.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

- (2) ₹ 19,036.42 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.110.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	1,212.00	1,212.00	787.37	(-) 424.63	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-05.105.0101.4065- विशेष अवसरों पर प्रचार	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 35.00	15.00	0.00	(-) 15.00	₹ 35.00 लाख की प्रत्याशित बचत वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-05.105.0101.6458- चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में वायरोलॉजी लैब की स्थापना (13वाँ वित्त आयोग)	मूल	201.78	201.78	130.20	(-) 71.58	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-05.105.0101.7660- कार्यक्रम, आयोजन एवं प्रबंधन	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 38.00	12.00	0.00	12.00	₹ 38.00 लाख की प्रत्याशित बचत वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-05.105.0704.1211- पी.एम.एस.एस.वाय.परि. अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना	मूल पूरक	0.06 2,262.00	2,262.06	538.48	(-) 1,723.58	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-05.105.0705.1211- पी.एम.एस.एस.वाई.परि. अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना	मूल पूरक	0.04 1,122.00	1,122.04	0.00	(-) 1,122.04	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-05.105.0706.1211- पी.एम.एस.एस.वाई.परि. अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना	मूल पूरक	0.04 516.00	516.04	0.00	(-) 516.04	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2210-05.105.0706.1915- दन्त महाविद्यालय	पूरक	904.00	904.00	0.00	(-) 904.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

प्रभारित

- (4) ₹ 10.01 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

(5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.110.0101.1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध चिकित्सालय	मूल	10.01	10.01	0.00	(-) 10.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (6) ₹ 19,879.61 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 36,250.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (7) ₹ 19,879.61 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.105.0101.1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध चिकित्सालय	मूल पुनर्वि.	1,600.00 (-) 111.00	1,489.00	961.99	(-) 527.01	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 111.00 लाख की प्रत्याशित बचत वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4210-03.105.0101.5402- छिंदवाडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस	मूल	6,100.00	6,100.00	3,698.01	(-) 2,401.99	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4210-03.105.0101.6335- चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नयन	मूल पुनर्वि.	2,525.00 (-) 700.00	1,825.00	1,210.62	(-) 614.38	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख की प्रत्याशित बचत वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4210-03.105.0101.7158- चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1000 बिस्तर अस्पताल का निर्माण	मूल	2,368.00	2,368.00	190.63	(-) 2,177.37	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.105.0101.7280-	मूल	700.01	700.01	0.00	(-) 700.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
मानसिक चिकित्सालय इंदौर एवं मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर का उन्नयन						
4210-03.105.0101.7296-	मूल पुनर्वि.	2,083.50 (-) 564.00	1,519.50	485.00	(-) 1,034.50	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 564.00 लाख की प्रत्याशित बचत वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दो हजार बेड्स का सुपरस्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण						
4210-03.105.0102.7158-	मूल पुनर्वि.	874.00 (-) 500.00	374.00	0.00	(-) 374.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1000 बिस्तर अस्पताल का निर्माण						
4210-03.105.0102.7296-	मूल पुनर्वि.	540.50 (-) 400.00	140.50	0.00	(-) 140.50	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.00 लाख की प्रत्याशित बचत वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दो हजार बेड्स का सुपरस्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण						
4210-03.105.0103.5402-	मूल	1,600.00	1,600.00	0.00	(-) 1,600.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
छिंदवाडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस						
4210-03.105.0103.7158-	मूल पुनर्वि.	605.00 (-) 200.00	405.00	0.00	(-) 405.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की प्रत्याशित बचत वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1000 बिस्तर अस्पताल का निर्माण						
4210-03.105.0103.7296-	मूल पुनर्वि.	376.00 (-) 375.00	1.00	0.00	(-) 1.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 375.00 लाख की प्रत्याशित बचत वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दो हजार बेड्स का सुपरस्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण						
4210-03.105.0701.1210-	मूल	5,040.01	5,040.01	858.00	(-) 4,182.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जबलपुर की स्थापना						

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.105.0701.1211- पी.एम.एस.एस.वाई.परि. अंतर्गत सुपरस्पेशल्टी अस्पताल की स्थापना	मूल	1,920.00	1,920.00	0.00	(-) 1,920.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4210-03.105.0701.2061- एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	मूल	1,098.01	1,098.01	0.00	(-) 1,098.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4210-03.105.0701.5388- अलाइड हेल्थ सेंटर	मूल	1,370.01	1,370.01	0.00	(-) 1,370.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4210-03.105.0701.9080- रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय	मूल	305.01	305.01	0.00	(-) 305.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4210-03.105.0702.2061- एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	मूल	1,414.01	1,414.01	0.00	(-) 1,414.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4210-03.105.0702.9080- रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय	मूल	115.01	115.01	0.00	(-) 115.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4210-03.105.0703.2061- एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	मूल	1,288.01	1,288.01	0.00	(-) 1,288.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4210-03.105.0704.1211- पी.एम.एस.एस.वाई.परि. अंतर्गत सुपरस्पेशल्टी अस्पताल की स्थापना	मूल	780.01	780.01	0.00	(-) 780.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4210-03.105.0704.9080- रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय	मूल	7,339.51	7,339.51	0.00	(-) 7,339.51	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4210-03.105.0705.2064- टरसियरी केयर कैंसर, ग्वालियर	मूल	322.00	322.00	0.00	(-) 322.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4210-03.105.0706.2064- टरसियरी केयर कैंसर, ग्वालियर	मूल	224.00	224.00	0.00	(-) 224.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.105.0706.7853- नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना	मूल	3,200.00	3,550.77	1,247.00	(-) 2,303.77	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,970.23 लाख की प्रत्याशित बचत वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
	पूरक	2,321.00				
	पुनर्वि.	(-) 1,970.23				

(9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान में अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.105.0101.1103- रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय (राज्य सहायित)	मूल	1,899.46	3,869.69	3,295.97	(-) 573.72	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,970.23 लाख का निधि में आवर्धन नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
	पुनर्वि.	1,970.23				
4210-03.105.0101.9077- नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण (राज्य सहायित)	मूल	3,237.00	21,896.77	21,896.77	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,659.77 लाख का निधि में आवर्धन नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण तथा लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुआ।
	पुनर्वि.	18,659.77				
4210-03.105.0102.1103- रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय (राज्य सहायित)	मूल	1,792.00	1,792.00	2,514.43	+ 722.43	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4210-03.105.0102.9077- नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण (राज्य सहायित)	मूल	1,197.00	9,216.00	9,205.84	(-) 10.16	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,019.00 लाख का निधि में आवर्धन नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण तथा लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
	पुनर्वि.	8,019.00				

अनुदान संख्या 52-चिकित्सा शिक्षा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.105.0103.9077- नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण (राज्य सहायित)	मूल पुनर्वि.	874.00 2,735.00	3,609.00	3,609.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,735.00 लाख का निधि में आवर्धन नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण तथा लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुआ।
4210-03.105.0703.1136- नवीन नर्सिंग कालेजों का निर्माण	मूल	240.00	240.00	416.00	+ 176.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4210-03.105.0704.1136- नवीन नर्सिंग कालेजों का निर्माण	मूल	610.00	610.00	1,079.00	+ 469.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4210-03.105.0705.1136- नवीन नर्सिंग कालेजों का निर्माण	मूल	230.00	230.00	377.00	+ 147.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

- (10) समर्पण राशि ₹ 21378.79 लाख स्वीकृति क्रमांक 436/1973760/2024/55-2 भोपाल दिनांक 15.04.2024 को निर्धारित तिथि 15.05.2024 उपरांत प्राप्त होने तथा 31.03.2024 पश्चात दिनांक 15.04.2024 को स्वीकृत होने के कारण लेखे में शामिल नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या 53—अल्प संख्यक कल्याण

(मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	14,56,30			
पूरक	0	14,56,30	9,68,84	(-) 4,87,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10			
पूरक	0	10	0	(-) 10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,40,00,00			
पूरक	0	1,40,00,00	84,03	(-) 1,39,15,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 53—अल्प संख्यक कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 487.46 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.800.0101.5180- बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण	मूल	54.66	54.66	11.17	(-) 43.49	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2225-03.800.0101.6626- अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार	मूल	46.34	46.34	0.00	(-) 46.34	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.0101.7237- मध्य प्रदेश हज कमेटी को हज हाउस के निर्माण हेतु अनुदान	मूल	60.00	60.00	0.00	(-) 60.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.0801.2676- 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति	मूल	20.00	20.00	0.00	(-) 20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.6609- पोस्ट मैट्रिक अल्प संख्यक कन्या छात्रावास	मूल	65.25	65.25	28.17	(-) 37.08	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.8244- अल्पसंख्यक आयोग	मूल	177.13	177.13	64.59	(-) 112.54	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.9411- चर्च एवं दरगाह इत्यादि को अनुदान	मूल	60.00	60.00	0.00	(-) 60.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 53—अल्प संख्यक कल्याण समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत

- (3) ₹ 13,915.97 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-03.277.0701.5617- अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम	मूल	8,400.00	8,400.00	70.03	(-) 8,329.97	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
4225-03.277.0704.5617- अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम	मूल	5,600.00	5,600.00	14.00	(-) 5,586.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 54—पिछड़ा वर्ग कल्याण

(मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	12,84,07,74			
पूरक	2,50,00,00	15,34,07,74	11,87,87,49	(-) 3,46,20,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5			
पूरक	0	5	0	(-) 5
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 54—पिछड़ा वर्ग कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2023 में प्राप्त ₹ 25,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 34,620.25 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.001.0101.9918- मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग	मूल	200.00	200.00	65.25	(-) 134.75	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2225-03.277.0101.0496- आश्रम और छात्रावास	मूल	656.42	656.42	362.67	(-) 293.75	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.277.0101.6175- कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु छात्रवृत्ति	मूल	28,800.00	28,800.00	21,931.50	(-) 6,868.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2225-03.277.0101.6890- जिला स्तरीय कन्या छात्रावास की स्थापना	मूल	646.70	646.70	343.31	(-) 303.39	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.277.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	2,461.00	2,461.00	430.26	(-) 2,030.74	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.277.0801.2676- 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति	मूल	20,000.00	20,000.00	2,519.48	(-) 17,480.52	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.0101.5180- बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण	मूल	1,000.00	1,000.00	189.20	(-) 810.80	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 54-पिछड़ा वर्ग कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.800.0101.9607- पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता	मूल	5,000.00	5,000.00	19.27	(-) 4,980.73	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूंजीगत :

दत्तमत

(4) ₹ 0.05 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास

(मुख्य शीर्ष- 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236-पोषण, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,45,07,71,00			
पूरक	64,41,14,06	2,09,48,85,06	2,02,99,37,52	(-) 6,49,47,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				6,48,83,58

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	10,00	0
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,78,67,08			
पूरक	1,93,12,92	3,71,80,00	1,39,36,40	(-) 2,32,43,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2,32,43,60

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 64,947.54 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2023 (₹ 3,05,533.37 लाख) तथा फरवरी 2024 (₹ 3,38,580.69 लाख) में प्राप्त ₹ 6,44,114.06 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 64,947.54 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को केवल ₹ 64,883.58 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) यद्यपि ₹ 64,947.54 लाख की कुल बचत सम्पूर्ण प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम है, निम्नलिखित उप शीर्षों में विशिष्ट विविधताएँ देखी गई हैं:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.102.0701.0658- आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	मूल	38,572.85	37,371.00	35,954.60	(-) 1,416.40	₹ 4,826.85 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 3,697.04 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा 1,129.81 लाख) वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन, आगामी अनुपूरक आकलन के अनुसार तैयार किये जाने के कारण एवं केन्द्रांश के समान राज्यांश के आहरण के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
	पूरक	3,625.00				
	पुनर्वि.	(-) 4,826.85				
2235-02.102.0704.0658- आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	मूल	36,618.54	22,572.46	23,988.86	+ 1,416.40	₹ 28,043.66 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 14,030.64 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा 14,013.02 लाख) वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन, आगामी अनुपूरक आकलन के अनुसार तैयार किये जाने के कारण एवं केन्द्रांश के समान राज्यांश के आहरण के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	13,997.58				
	पुनर्वि.	(-) 28,043.66				

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.102.0708.0658- आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	मूल	26,870.99	35,445.80	35,346.08	(-) 99.72	₹ 4,618.57 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 32,492.02 लाख की कमी (समर्पण ₹ 4,228.78 लाख + ₹ 28,263.24 लाख पुनर्विनियोजन) तथा प्रावधान में पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 27,873.45 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि आंगनवाड़ी कर्मियों के वेतन भुगतान के कारण तथा कमी संभावित बचत एवं वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन, आगामी अनुपूरक आकलन के अनुसार तैयार किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
	पूरक	13,193.38				
	पुनर्वि.	(-) 4,618.57				
2235-02.102.0709.0658- आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	मूल	11,077.98	12,030.71	11,970.99	(-) 59.71	₹ 5,552.95 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 8,973.84 लाख की कमी (समर्पण ₹ 3,297.46 लाख + ₹ 5,676.38 लाख पुनर्विनियोजन) तथा प्रावधान में पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 3,420.89 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि आंगनवाड़ी कर्मियों तथा लघु आंगनवाड़ी कर्मियों के वेतन भुगतान के कारण तथा कमी संभावित बचत एवं वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन, आगामी अनुपूरक आकलन के अनुसार तैयार किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
	पूरक	6,505.67				
	पुनर्वि.	(-) 5,552.95				

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.103.0704.6917- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएम्हीवाई) (मिशन शक्ति सामर्थ्य)	मूल	11,093.50	7,643.73	4,649.23	(-) 2,994.50	₹ 8,099.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 1,700.69 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,398.31 लाख) पात्र लाभार्थियों को सहायता तथा केन्द्रांश के समान राज्यांश के आहरण के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
	पूरक	4,649.23				
	पुनर्वि.	(-) 8,099.00				

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान में अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.102.0707.0658- आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	मूल	64,013.33	1,50,291.15	1,57,934.13	+ 7,642.98	₹ 71,942.81 लाख का निधि में आवर्धन ₹ 4,979.08 लाख की कमी (समर्पण ₹ 4,504.08 लाख + ₹ 475.00 लाख पुनर्विनियोजन) तथा प्रावधान में पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 76,921.89 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि आंगनवाड़ी कर्मियों तथा लघु आंगनवाड़ी कर्मियों के वेतन भुगतान, संविदा कर्मियों के वेतन भुगतान तथा मानदेय शीर्ष में कम बजट प्रावधान के कारण तथा कमी संभावित बचत एवं पुनर्विनियोजन वित्त विभाग द्वारा आगामी अनुपूरक आंकलन के अनुसार तैयार किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
	पूरक	14,335.01				
	पुनर्वि.	71,942.81				

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.103.0101.1130- मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023	मूल	4,61,172.40	10,56,535.97	10,56,635.97	+ 100.00	₹ 1,50,563.57 लाख का निधि में आवर्धन ₹ 733.55 लाख की कमी (समर्पण के रूप में ₹ 633.55 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख) तथा पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,51,297.12 लाख की प्रावधान में वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि लाभार्थियों को सहायता के कारण तथा कमी वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबन्ध तथा शीर्ष में लंबित देनदारियों के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
	पूरक	4,44,800.00				
	पुनर्वि.	1,50,563.57				

पूँजीगत :

दत्तमत

- (5) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2023 में प्राप्त (₹ 16,708.92 लाख) तथा फरवरी 2024 (₹ 2,604.00 लाख) में प्राप्त ₹ 19,312.92 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 23,243.60 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4235-02.102.0102.5360- आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	मूल	2,210.00	1,029.20	1,029.20	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,180.80 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
	पुनर्वि.	(-) 1,180.80				

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4235-02.102.0701.0658- आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	मूल पूरक पुनर्वि.	600.00 9,701.95 (-) 8,668.09	1,633.86	1,633.86	0.00	₹ 8,668.09 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में समर्पण के रूप में ₹ 9,701.95 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,033.86 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि आंगनवाड़ी कर्मचारियों एवं लघु आंगनवाड़ी कर्मचारियों को भुगतान के कारण हुई जबकि कमी संभावित बचत तथा पुनर्विनियोजन वित्त विभाग द्वारा आगामी अनुपूरक आंकलन के अनुसार तैयार किये जाने के कारण हुई।
4235-02.102.0704.0658- आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	मूल पूरक पुनर्वि.	400.00 6,467.97 (-) 5,778.73	1,089.24	1,089.24	0.00	₹ 5,778.73 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में समर्पण के रूप में ₹ 6,467.97 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 689.24 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि आंगनवाड़ी कर्मचारियों एवं लघु आंगनवाड़ी कर्मचारियों को भुगतान के कारण हुई जबकि कमी संभावित बचत तथा पुनर्विनियोजन वित्त विभाग द्वारा आगामी अनुपूरक आंकलन के अनुसार तैयार किये जाने के कारण हुई।
4235-02.102.1501.7449- सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,352.02 (-) 1,352.02	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,352.02 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति नहीं मिलने पर व्यय न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4235-02.103.0801.1327- वन स्टॉप सेंटर (मिशन शक्ति-संबल)	मूल पुनर्वि.	192.00 (-) 192.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 192.00 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के समान राज्यांश के आहरण के कारण हुई।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4235-02.800.0701.5608- महिला विश्रामालय का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	180.00 (-) 180.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 180.00 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के समान राज्यांश के आहरण के कारण हुई।
4235-02.800.0701.6103- समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) (मिशन वात्सल्य)	मूल पुनर्वि.	1,200.00 (-) 1,032.52	167.48	167.48	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,032.52 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के समान राज्यांश के आहरण के कारण हुई।
4235-02.800.0704.5608- महिला विश्रामालय का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	120.00 (-) 120.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 120.00 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के समान राज्यांश के आहरण के कारण हुई।

अनुदान संख्या 56—कुटीर एवं ग्रामोद्योग

(मुख्य शीर्ष- 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,32,71,58			
पूरक	0	1,32,71,58	86,26,15	(-) 46,45,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	25,00			
पूरक	0	25,00	8,98	(-) 16,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 56—कुटीर एवं ग्रामोद्योग जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 4,645.43 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-103.0101.9531- एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2851-103.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	61.00	61.00	0.00	(-) 61.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-103.0931- केंद्रीय कार्यालय	मूल	567.24	567.24	327.26	(-) 239.98	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-103.2542- पर्यवेक्षक कर्मचारीवृन्द (क्षेत्रीय कार्यालय)	मूल	1,692.83	1,692.83	1,133.02	(-) 559.81	पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (₹ 3.50 लाख प्रत्येक) की वृद्धि एवं कमी हुई। कमी तथा वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-104.0101.9531- एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2851-104.0701.1135- प्रधानमंत्री विकास (कारीगर) योजना	मूल	183.00	183.00	0.00	(-) 183.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2851-104.0702.1135- प्रधानमंत्री विकास (कारीगर) योजना	मूल	69.00	69.00	0.00	(-) 69.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 56—कुटीर एवं ग्रामोद्योग जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-104.0703.1135- प्रधानमंत्री विकास (कारीगर) योजना	मूल	48.00	48.00	0.00	(-) 48.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2851-104.0704.1135- प्रधानमंत्री विकास (कारीगर) योजना	मूल	122.00	122.00	0.00	(-) 122.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2851-104.0705.1135- प्रधानमंत्री विकास (कारीगर) योजना	मूल	46.00	46.00	0.00	(-) 46.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2851-105.0101.9531- एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।
2851-107.0101.6778- एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना	मूल	488.00	488.00	159.93	(-) 328.07	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-107.0102.6778- एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना	मूल	184.00	184.00	65.72	(-) 118.28	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-107.0103.6778- एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना	मूल	128.00	128.00	30.48	(-) 97.52	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-107.3778- रेशम उद्योग की योजनाओं का क्रियान्वयन	मूल	4,275.39	4,275.39	2,823.42	(-) 1,451.97	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)।

पूंजीगत :

दत्तमत

(3) ₹ 16.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 56—कुटीर एवं ग्रामोद्योग समाप्त

(4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4851-107.0101.6336- रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएं एवं अन्य निर्माण कार्य	मूल	25.00	25.00	8.98	(-) 16.02	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23, 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 57-आनंद
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं)

राजस्व :

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,00,02			
पूरक	0	7,00,02	4,87,00	(-) 2,13,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

- (1) ₹ 213.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-091.1476- आनन्दम	मूल	700.01	700.01	487.00	(-) 213.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ xvi पर संदर्भित)

आकस्मिकता निधि के अग्रिम से प्राप्त व्यय का अनुदानवार ब्यौरा, जिसकी वर्ष की समाप्ति से पूर्व निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गई

अनुदान	मुख्य शीर्ष	खंड	स्वीकृत अग्रिम राशि ₹	स्वीकृति तिथि	अग्रिम से व्यय ₹	अग्रिम की आगामी वर्ष में प्रतिपूर्ति की तिथि
02-विमानन	2052	राजस्व	₹ 15,00,00,000	29-09-2023	₹ 40,00,00,000	--
		दत्तमत	₹ 10,00,00,000	01-11-2023	(15,00,00,000 की प्रतिपूर्ति नहीं की गई)	
			₹ 15,00,00,000	14-03-2024		

परिशिष्ट-II

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ xvi पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या एवं नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक (+) कमी (-)
(1)	(2)	(3)	(4)
	(हजार ₹ में)		
01. सामान्य प्रशासन			
राजस्व-			
प्रभारित	(-) 33,52,40	0	33,52,40
03. गृह-			
राजस्व-			
दत्तमत	87,36,40	13,08	(-) 87,23,32
पूँजीगत-			
दत्तमत	20,00,00	0	(-) 20,00,00
07. वाणिज्यिक कर			
राजस्व-			
दत्तमत	1	0	(-) 1
08. भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय-			
राजस्व-			
दत्तमत	32,72,01,02	11,62,88,05	(-) 21,09,12,97
10. वन-			
पूँजीगत-			
दत्तमत	5,10,96,54	9,37,51,61	4,26,55,07
12. ऊर्जा-			
राजस्व-			
दत्तमत	4,60,99,99	0	(-) 4,60,99,99
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी-			
राजस्व-			
दत्तमत	4,71,71,49	0	(-) 4,71,71,49
पूँजीगत-			
दत्तमत	28,00,00	6,99,98	(-) 21,00,02

परिशिष्ट-II-जारी

(1)	(2)	(3)	(4)
(हजार ₹ में)			
22. नगरीय विकास एवं आवास-			
राजस्व-			
दत्तमत	4,68,00,04	8,63,63,17	3,95,63,13
23. जल संसाधन-			
राजस्व-			
दत्तमत	1,70,01	0	(-) 1,70,01
24. लोक निर्माण कार्य-			
राजस्व-			
दत्तमत	3,00,00,00	0	(-) 3,00,00,00
25. खनिज साधन-			
राजस्व-			
दत्तमत	27,06,60	21,43,76	(-) 5,62,84
पूँजीगत-			
दत्तमत	20,00	0	(-) 20,00
27. स्कूल शिक्षा-			
राजस्व-			
दत्तमत	98,25,19	49,13,26	(-) 49,11,93
पूँजीगत-			
दत्तमत	2,83,00,00	2,51,24,65	(-) 31,75,35
29. विधि और विधायी कार्य-			
राजस्व-			
दत्तमत	2,37,84,18	0	(-) 2,37,84,18
30. ग्रामीण विकास-			
राजस्व-			
दत्तमत	3,81,28,00	2,00,00,00	(-) 1,81,28,00
33. जनजातीय कार्य			
राजस्व-			
दत्तमत	13,63,61	4,87,34	(-) 8,76,27
पूँजीगत-			
दत्तमत	82,00,01	62,87,02	(-) 19,12,99
47. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार-			
राजस्व-			
दत्तमत	21	0	(-) 21
पूँजीगत-			
दत्तमत	(-) 1	0	1

परिशिष्ट-II-समाप्त

(1)	(2)	(3)	(4)
(हजार ₹ में)			
48. नर्मदा घाटी विकास-			
राजस्व-			
दत्तमत	16,02,86	0	(-) 16,02,86
पूंजीगत-			
दत्तमत	1,47,35,88	0	(-) 1,47,35,88
49. अनुसूचित जाति कल्याण-			
राजस्व-			
दत्तमत	96,06	0	(-) 96,06
52. चिकित्सा शिक्षा			
पूंजीगत-			
दत्तमत	2	0	(-) 2
55. महिला एवं बाल विकास			
राजस्व-			
दत्तमत	10,45,35,84	0	(-) 10,45,35,84
योग-	79,20,21,55	35,60,71,91	(-) 43,59,49,64
राजस्व-			
दत्तमत	68,82,21,51	23,02,08,66	(-) 45,80,12,85
प्रभारित	(-) 33,52,40	0	33,52,40
पूंजीगत-			
दत्तमत	10,71,52,44	12,58,63,26	1,87,10,82
महायोग			
राजस्व	68,48,69,11	23,02,08,66	(-) 45,46,60,45
पूंजीगत	10,71,52,44	12,58,63,26	1,87,10,82

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/gwalior-i/hi>

